

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)
उत्तर प्रदेश सरकार

विषय सूची

विवरण	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय–1 : सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों का रूझान	1.1	1
बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता	1.2	2
संग्रह की लागत	1.3	3
कर निर्धारण के बकाये मामले	1.4	4
प्रति करदाता व्यापारकर संग्रह	1.5	4
राजस्व के बकाये	1.6	4
लेखा परीक्षा के परिणाम	1.7	5
अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियॉ	1.8	6
लोक लेखासमिति में विचार–विमर्श हेतु 30 नवम्बर 2004 तक लम्बित लेखापरीक्षा प्रस्तर/समीक्षायें	1.9	7
अध्याय–2 : व्यापार कर विभाग		
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	9
केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्प्रान्तीय बिक्री एवं शाखा को माल का स्थानान्तरण विषय पर समीक्षा	2.2	9
करमुक्ति/सेटआफ/अधिस्थगन/की अनियमित स्वीकृति	2.3	16
कर की कम गणना/समायोजन	2.4	18
टर्नओवर का कम निर्धारण	2.5	18
अनियमित घोषणा प्रपत्रों की स्वीकृति	2.6	19
माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण	2.7	19
कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण	2.8	19
त्रुटिपूर्ण दर से करारोपण के फलस्वरूप कम करारोपण	2.9	21
घोषणा पत्रों का दुरूपयोग	2.10	22
रियायत की गलत स्वीकृति	2.11	24
व्याज का अनारोपण	2.12	24
अर्थदण्ड का अनारोपण	2.13	25
अध्याय–3 : राज्य आबकारी		
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	27
शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन	3.2	27
कुल अपचायक शर्करा (टी0आर0एस0) के मार्गस्थ छीजन से राजस्व क्षति	3.3	27
अध्याय–4 : वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	29
अस्थायी परमिट फीस का कम आरोपण	4.2	29
अतिरिक्त कर का अवनिर्धारण	4.3	29
अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति	4.4	30
अध्याय–5 : अन्य कर प्राप्तियॉ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	31

स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस		
स्टाम्प शुल्क पर समीक्षा	5.2	31
सम्पत्ति के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.3	42
पट्टा अवधि की गलत गणना	5.4	42
अतिरिक्त शुल्क का अनारोपण	5.5	43
विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	5.6	44
भू–राजस्व		
संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना	5.7	45
अध्याय– 6 अन्य विभागीय प्राप्तियॉ		
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	47
खदान एवं खनिज विभाग		
खदानो एवं खनिजो से प्राप्तिं पर समीक्षा	6.2	47
लोक निर्माण विभाग		
स्टोन वोल्डर के संग्रह पर रायल्टी का वसूल न किया जाना	6.3	57

प्राक्कथन

31 मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष से सम्बन्धित यह प्रतिवेदन संविधान की धारा 151 (2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया हैं।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकारों, एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा–16 के अन्तर्गत सम्पन्न की जाती है। इस प्रतिवेदन में प्राप्तियों के लेखापरीक्षा परिणाम, व्यापार कर, राज्य आबकारी, भू–राजस्व, मोटर वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस, राज्य के अन्य कर एवं करेतर प्राप्तियों को समाविष्ट करते हुए हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित मामले उनमें से है जिन्हें वर्ष 2003–2004 तथा पूर्ववर्ती वर्षो में अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया, किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन समीक्षाओं सहित 25 प्रस्तर सम्मिलित हैं जिसमें ब्याज, अर्थदण्ड, कर के अनारोपण/ कम आरोपण आदि से संबंधित 473.20 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है। कुछ मुख्य तथ्य नीचे वर्णित हैः–

I. सामान्य

- वर्ष 2003–04 के दौरान राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व दोनों कर (13601.23 करोड़ रूपये) तथा करेतर (2282.08 करोड़ रूपये) विगत वर्ष के दौरान 14697.30 करोड़ रूपये के विपरीत 15882.83 करोड़ रूपये रहा ।

(प्रस्तर 1.1.1)

- वर्ष 2003–04 के दौरान व्यापार कर राज्य आबकारी वाहनों माल एवं यात्रियों पर कर स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस भूराजस्व तथा अन्य विभागीय प्राप्तियों से सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में 799.81 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण कम आरोपण राजस्व हानि आदि के 4210 मामलों का पता चला वर्ष 2003–04 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 2.98 करोड़ रूपये की निहित धनराशि वाले अवनिर्धारण एवं कम आरोपण आदि के 122 मामले स्वीकार किये जिसमें से सन्निहित 16.10 लाख रूपये के 59 मामले मार्च 2004 तक वसूल किये गये।

(प्रस्तर 1.7)

- 4296.86 करोड़ रूपये की धनराशि के 31 दिसम्बर 2003 तक निर्गत 8412 निरीक्षण प्रतिवेदन जिनमें 17506 लेखा परीक्षा प्रस्तर सम्मिलित थे जून 2004 तक लम्बित थे ।

(प्रस्तर 1.8)

II. व्यापार कर

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्प्रान्तीय बिक्री एवं शाखा को माल का स्थानान्तरण विषय पर समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयेः

- बिना फार्म–सी के रियायती दर की गलत स्वीकृति के शासनादेश के कारण 23.94 करोड़ रूपये का कम आरोपण।

(प्रस्तर 2.2.6)

- 30 व्यापारियों के मामले में त्रुटिपूर्ण फार्म–सी पर केन्द्रीय व्यापारकर में रियायती दर की गलत स्वीकृति से 6.91 करोड़ रूपये का आवांक्षित कर लाभ।

(प्रस्तर 2.2.8)

- त्रुटिपूर्ण फार्म–एच के आधार पर निर्यात बिक्री पर गलत कर मुक्ति से 2.55 करोड़ रूपये के कर का अनारोपण।

(प्रस्तर 2.2.10)

लेखा परीक्षा के दौरान प्रकाश में आयी अन्य अनियमितताएं :

- अधिक मुजरा प्रदान करने के कारण 12.95 करोड़ रूपये (ब्याज सहित) का अनारोपण।

(प्रस्तर 2.3.2)

- विभाग द्वारा अधिस्थगन की अनियमित स्वीकृति के फलस्वरूप 3.55 करोड़ रूपये का अवांक्षित वित्तीय लाभ।

(प्रस्तर 2.3.3)

- 9 व्यापार कर कार्यालयों के 15 इकाइयों में कर की कम गणना से 23.32 करोड़ रूपये कर का कम समायोजन ।

(प्रस्तर 2.4)

- माल के गलत वर्गीकरण के कारण 7.37 करोड़ रूपये के कर का अवनिर्धारण।

(प्रस्तर 2.7)

- कर/अतिरिक्त कर के अनारोपण से 8.09 करोड़ रूपये का कम करारोपण ।

(प्रस्तर 2.8)

III. राज्य आबकारी

- शीरे से 11.12 लाख अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण 5.34 करोड़ रूपये के आबकारी राजस्व की क्षति।

(प्रस्तर 3.2)

IV. वाहनों माल एवं यात्रियों पर कर

- मैक्सी कैब पर अतिरिक्त कर के अवनिर्धारण से 59.24 लाख की क्षति

(प्रस्तर 4.3)

V. अन्य कर प्राप्तियॉ

'स्टाम्प शुल्क' पर समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयें :

- वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा प्रदत्त, वर्ष 1993–94 से 2002–03 की प्राप्तियों के आकड़ों में 133.63 करोड़ रूपये का अन्तर पाया गया ।

(प्रस्तर 5.2.6)

- भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक से प्राप्त अधिक एवं कम स्टाम्पों, कमशः 390 करोड़ तथा 807.90 करोड़ रूपये के अन्तर का वर्ष 1993 से 2003 के दौरान कोई मिलान नही किया गया

(प्रस्तर 5.2.8)

- कोषागार से विकीत स्टाम्प पेपरों के मूल्य का, निबंधन के विभाग में पंजीकृत विलेखों में प्रयुक्त स्टाम्प पत्रों के मूल्य से प्रतिसत्यापन करने पर पाया गया कि कोषागार द्वारा किये गये विक्रय से 404.68 करोड़ रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपर अधिक उपयोग किये गये ।

(प्रस्तर 5.2.9)

- स्टाम्पो के परिवहन में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण 20.74 करोड़ रूपये के स्टाम्प पेपरों की क्षति हुयी ।

(प्रस्तर 5.2.10)

- अन्य राज्यों में स्थिति अनधिकृत अभिकरणों से बीमा स्टाम्प की खरीद से शासन को 19.03 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति हुयी ।

(प्रस्तर 5.2.11)

- आन्तरिक नियन्त्रण के अभाव में कोषागार की बिक्री से अधिक स्टाम्प पेपरों के उपयोग को आसान बना दिया ।

(प्रस्तर 5.2.14)

- सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण 19.76 करोड़ रूपये के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण ।

(प्रस्तर 5.3)

- अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के अनारोपण से 90.13 करोड़ रूपये की क्षति ।

(प्रस्तर 5.5)

- लेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प के कम आरोपण से 1.79 करोड़ रूपये की क्षति ।

(प्रस्तर 5.6)

VI. अन्य विभागीय प्राप्तियॉ

'खान एवं खनिज से प्राप्ति' पर समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयें

- शासन द्वारा हमीरपुर तथा फतेहपुर तहसील में न्यूनतम आरक्षित मूल्य से कम बोली स्वीकार करने से 12.09 करोड़ रूपये की क्षति ।

(प्रस्तर 6.2.8)

- शासन द्वारा रायल्टी पर स्टाम्प शुल्क न लेने तथा गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क के मद में 1.44 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति ।

(प्रस्तर 6.2.11)

- लोक निर्माण विभाग/ ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा पत्थर के वोल्डरों के संग्रह पर ठेकेदारो से रायल्टी के भुगतान का न तो सत्यापन किया गया न ही वसूली की गयी जिसके कारण 7.23 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति हुयी।

(प्रस्तर 6.2.16)

अध्याय–1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों का रूझान

1.1.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2003–2004 के दौरान उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों का अंश एवं अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी ऑकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04
I. राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व					
(क) कर राजस्व	9400.91	10979.97	10388.82	12783.81	13601.23
(ख) करेतर राजस्व	2011.74	1944.65	1787.07	1913.49	2282.08
योग	**11412.65**	**12924.62**	**12175.89**	**14697.30**	**15883.31**
II. भारत सरकार से प्राप्तियॉ					
(क) विभाज्य संघीय अंश मदों में राज्य का भाग	7478.90	9045.47	10130.49	10814.87	13272.97
(ख) सहायक अनुदान	2603.57	2773.18	3291.53	2309.02	2481.69
योग	**10082.47**	**11818.65**	**13422.02**	**13123.89**	**15754.66**
III. राज्य की कुल प्राप्तियॉ (III)	**21495.12**	**24743.27**	**25597.91**	**27821.19**	**31637.97**
IV. I से *III की प्रतिशतता	*53*	*52*	*48*	*53*	*50*

1.1.2 वर्ष 2003–2004 के लिये कर राजस्व का विवरण साथ ही साथ पूर्ववर्ती चार वर्षों के ऑकड़ें नीचे दिये गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं0	राजस्व शीर्ष	1999. 2000	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2002–03 के सन्दर्भ में 2003–04 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2002–03 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	व्यापार कर	3703.59	5436.52	5052.40	6850.93	7684.13	(+) 833.20	(+) 12.16
2.	राज्य आबकारी	2126.33	2238.54	1961.38	2555.05	2472.37	(-) 82.68	(-) 3.23
3.	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1177.57	1269.75	1429.29	2078.68	2296.06	(+) 217.38	(+) 10.45
4.	माल एवं यात्रियों पर कर	100.26	85.81	76.65	77.33	80.21	(+) 2.88	(+) 3.72
5.	वाहनों पर कर	512.10	543.08	503.04	618.84	676.96	(+) 58.12	(+) 9.39
6.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	126.41	136.30	9.22	145.29	174.72	(+) 29.43	(+) 20.26
7.	भू–राजस्व	116.09	69.85	72.93	64.23	117.67	(+) 53.44	(+) 83.20

* विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2002–03 के वित्त लेखा में लघु शीर्षों द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–11' देखें। इस विवरण के वित्त लेखों में लेखा शीर्षक कर राजस्व के अन्तर्गत–0020– निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0032– धन पर कर, 0037–सीमाकर, 0038–संघ उत्पाद शुल्क एवं 0044–सेवा कर, 0045 सामग्री व सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क–राज्यों के समुदेशित निबल प्राप्तियों के हिस्सों के आंकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गए राजस्व से निकाल दिया गया तथा विभाज्य संघीय करों में राज्य के हिस्से में शामिल किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	135.89	504.58	152.34	100.02	92.78	(-) 64.23	(-) 40.90
9.	अन्य (होटल प्राप्तियाँ एवं निगमित कर आदि)	5.29	4.49	3.67	3.70	6.33	(+) 2.63	(+) 71.08
	योग	**9400.91**	**10979.97**	**10388.82**	**12783.81**	**13601.23**	**(+) 1050.17**	**(+) 8.21**

अन्तर के लिए कारण जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि शासन से पूछा गया था (नवम्बर 2004 एवं जनवरी 2005) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2005)

1.1.3 वर्ष 2003–2004 के लिये करेतर राजस्व का विवरण पूर्ववर्ती चार वर्षों के ऑकड़ों के साथ निम्नांकित सारिणी में दर्शायें गये हैं:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	1999–2000	2000–01	2001–02	2002–03	2003–04	2002–2003 के सन्दर्भ में 2003–2004 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–)	2002–2003 के सन्दर्भ में वृद्धि अथवा कमी की प्रतिशतता
1. विविध सामान्य सेवाएँ	126.80	55.48	39.44	48.28	41.80	(-) 6.48	(-) 13.42
2. ब्याज प्राप्तियाँ	476.68	525.17	543.49	515.38	658.09	(+) 142.71	(+) 27.69
3. वानिकी एवं वन्य जीव	160.52	76.86	68.31	86.27	60.96	(-) 25.31	(-) 29.34
4. बृहत एवं मध्यम सिंचाई	40.16	282.13	115.76	90.12	136.10	(+) 45.98	(+) 51.02
5. शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	137.63	177.24	137.66	255.35	227.68	(-) 27.67	(-) 10.84
6. अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	103.70	61.51	131.47	110.95	116.91	(+) 5.96	(+) 5.37
7. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	180.17	196.44	190.19	262.54	251.05	(-) 11.49	(-) 4.38
8. पुलिस	53.17	85.29	67.38	95.40	75.91	(-) 19.49	(-) 20.43
9. क्रॉप हस्बेन्ड्री	16.51	58.36	75.77	25.58	188.73	(+) 163.15	(+) 637.80
10. सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	26.37	23.53	36.33	19.59	33.65	(+) 14.06	(+) 71.77
11. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	34.97	31.74	31.14	41.44	42.69	(+) 1.25	(+) 3.02
12. लघु सिंचाई	36.61	18.96	17.73	12.11	18.53	(+) 6.42	(+) 53.01
13. सड़क एवं सेतु	24.30	29.93	16.27	17.97	41.79	(+) 23.82	(+) 132.55
14. लोक निर्माण	26.77	26.94	14.66	25.26	19.92	(-) 5.34	(-) 21.14
15. सहकारिता	17.76	6.54	5.23	6.18	7.57	(+) 1.39	(+) 22.49
16. अन्य	549.62	288.53	296.24	301.07	360.70	(+) 59.63	(+) 19.81
योग:	**2011.74**	**1944.65**	**1787.07**	**1913.49**	**2282.08**	**(+) 368.59**	**(+) 19.26**

अन्तर के लिए कारण जहाँ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि शासन से पूछा गया था (नवम्बर 2004 एवं जनवरी 2005) प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2005)-

1.2 बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता

वर्ष 2003–2004 के दौरान कर एवं करेतर राजस्व के बजट अनुमानों तथा वास्तविक प्राप्तियों के मध्य मुख्य शीर्ष में भिन्नता निम्नांकित सारिणी में दी गयी हैं:

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियॉ	भिन्नता वृद्धि (+) कमी (–)	भिन्नता की प्रतिशतता
(क) कर राजस्व				
1. व्यापार कर	8138.49	7684.13	(-) 454.36	(-) 5.58
2. राज्य आबकारी	2850.00	2472.37	(-) 377.63	(-) 13.25
3. स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	2200.00	2296.06	(+) 96.06	(+) 4.37
4. माल एवं यात्रियों पर कर	529.92	80.21	(-) 449.71	(-) 84.86
5. वाहनों पर कर	455.97	676.96	(+) 221.01	(+) 48.47
6. वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर	175.61	92.78	(-) 82.83	(-) 47.16
7. विद्युत पर कर एवं शुल्क	169.32	174.72	(+) 5.40	(+) 0.31
8. भू–राजस्व	75.00	117.67	(+) 42.67	(+) 56.89
(ख) करेतर राजस्व				
1. विविध सामान्य सेवाएँ	81.10	41.80	(-) 39.30	(-) 48.45
2. ब्याज प्राप्तियाँ	438.97	658.09	(+) 219.12	(+) 49.92
3. वानिकी एवं वन्य जीवन	67.06	60.96	(-) 6.01	(-) 8.96
4. बृहत् एवं मध्यम सिंचाई	196.50	136.10	(-) 60.40	(-) 30.73
5 शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	160.02	227.68	(+) 67.66	(+) 42.28
6. अलौह धातु उत्खनन एवं धातु मय उद्योग	250.00	251.05	(+) 1.05	(+) 0.42

अन्तर के लिए कारण जहॉ भी महत्वपूर्ण था यद्यपि शासन से पूछा गया था (नवम्बर 2004 एवं जनवरी 2005) प्राप्त नहीं हुआ है (मार्च 2005)

1.3 संग्रह की लागत

वर्ष 2000–2001, 2002–2003 तथा 2003–2004 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों के अन्तर्गत सकल संग्रह पर हुए व्यय के प्रतिशत के साथ ही साथ वर्ष 2002–2003 के दौरान सकल संग्रह पर हुए व्यय के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशत का विवरण नीचे दिया गया है।

(करोड़ रुपये में)

राजस्व शीर्ष	वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह पर व्यय	सकल संग्रह से व्यय की प्रतिशतता	वर्ष 2002–03 के लिए अखिल भारतीय औसत
व्यापार कर	2001-02	6158.55	139.99	2.3	
	2002-03	6850.93	167.40	2.4	1.18
	2003-04	7684.13	197.13	2.6	
वाहनों, माल तथा यात्रियों पर कर	2001-02	644.10	11.27	1.7	
	2002-03	696.17	11.76	1.7	2.86
	2003-04	757.17	[φ]12.71	1.7	
राज्य आबकारी	2001-02	1963.89	24.67	1.3	
	2002-03	2555.05	25.75	1.0	2.92
	2003-04	2472.37	28.51	1.2	
स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस	2001-02	1473.88	19.82	1.3	
	2002-03	2078.68	36.63	1.8	3.46
	2003-04	2296.06	50.59	2.2	

[φ] विभाग द्वारा सूचित

उपरोक्त में देखा जा सकता है कि व्यापारकर मद में संग्रह की लागत राष्ट्रीय औसत की तुलना में अधिक है।

1.4 कर निर्धारण के बकाये मामले

वर्ष 1998–99 से 2003–2004 तक के लिये वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित कर निर्धारण के मामले, वर्ष के दौरान निपटाये जाने हेतु नियत मामले, वर्ष में निस्तारित किये गये मामलों तथा वर्ष के अन्त में निपटाये जाने हेतु कर निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या जैसा कि व्यापार कर विभाग द्वारा सूचित किया गया था, नीचे दिया गया हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान कर निर्धारण हेतु नियत मामले	योग	वर्ष के दौरान निस्तारित मामले	वर्ष के अन्त में अवशेष	कालम 5 की कालम 4 से प्रतिशतता
1998–99	442379	466899	909278	489535	419743	53.84
1999–2000	457508	489838	947346	489357	457989	51.66
2000–01	457989	461697	919686	490853	428833	53.37
2001–02	428833	524561	953394	485771	467623	50.95
2002–03	467623	529858	997481	521969	475512	52.33
2003–04	475512	483428	958940	476263	482677	49.67

यह देखा गया कि वर्ष 1999–2000 के अन्तिमअवशेष से अनुवर्ती वर्षो के प्रारम्भिकशेष में भिन्नता है। विभाग ने बताया कि यह भिन्नता अन्य विभागों से वर्ष के दौरान प्राप्त सूचनाओं एवं त्रुटियों के सुधार के कारण है। विभाग को अभिलेखों के रख रखाव की प्रणाली ठीक करने की आवश्यकता हैं जिससे कि आकड़ों की सम्पत्ति एवं शुद्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

1.5 प्रति करदाता व्यापारकर संग्रह

वर्ष 1999–2000 से 2003–04 के दौरान करदाता की संख्या, व्यापारकर राजस्व और प्रति करदाता राजस्व, जैसा कि व्यापारकर विभाग द्वारा सूचित किया गया, नीचे सारिणी में दिया गया है।

(लाख रुपये में)

वर्ष	करदाता की संख्या	व्यापारकर संख्या	राजस्व/करदाता
1999--2000	3.99	378474.00	0.95
2000-01	3.83	582892.00	1.52
2001-02	3.85	615855.00	1.59
2002-03	4.07	710393.00	1.74
2003-04	4.52	765135.00	1.69

करदाताओं की संख्या वर्ष 2000–01 के दौरान उत्तरांचल राज्य में उनके स्थानान्तरण के कारण कम हो गयी तथा तत्पश्चात् पेट्रोल /डीजल पर प्रवेश कर जो राज्य आबकारी विभाग से व्यापारकर विभाग हस्तान्तरित किया गया, के आरोपण के कारण व्यापारकर राजस्व बढ़ गया।

1.6 राजस्व के बकाये

प्रमुख राजस्व शीर्ष के अन्तर्गत 31 मार्च 2004 को राजस्व के बकाये की स्थिति, जैसा कि सम्बन्धित विभाग द्वारा सूचित किया गया था निम्न प्रकार थीः

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	लम्बित संग्रह बकाया		विलम्बित कर की राशि जो वसूली के लिए देय नहीं थी	टिप्पणी
		योग	5 वर्ष से अधिक पुराने बकाएँ		
1	2	3	4	5	6
1	व्यापार कर	6297.09	उपलब्ध नहीं है	3505.66	रू0 6297.09 करोड़ में से रू0 504.09 करोड़ के लिए मॉग भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। न्यायालयों, सरकार तथा प्रशासनिय न्यायधिकरणों द्वारा कमशः रू0 918.19 करोड़, रू0 274.62 करोड़ तथा रू0 146.55 करोड़ स्थगित कर दी गयी थी। रू0 2166. 30 करोड़ की वसूली संशोधन/समीक्षा के प्रार्थना पत्रों पर बकाया है। रू0 1077.12 करोड़ की मॉग को अपलिखित होने की सम्भावना थी। रू0 209.96 करोड़ बीमार औद्योगिक इकाइयों पर बकाया है। रू0 1000.26 करोड़ की मॉग विभिन्न श्रेणी के व्यापारियों, सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों पर बकाया है। अवशेष बकाया के लिये विशिष्ट कार्यवाही की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी है।
2	मनोरंजन कर	9.36	3.29	शून्य	विभाग ने बताया कि सम्बन्धित अधिकारियों को, बकाये को जितनी जल्दी सम्भव हो सके, वसूल करने के लिये निर्देशित कर दिया गया है।
3	राज्य आबकारी	59.5	शून्य	19.03	रू0 59.12 करोड़ में से रू0 40.09 करोड़ के लिये मॉग भूराजस्व के बकाये के रूप में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। रू0 16.81 करोड़ की वसूली न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गयी थी और रू0 2.22 करोड़ बट्टे खाते में डाल दिया गया था।
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	10.82	9.06	0.27	रू0 10.82 करोड़ मे से रू0 7.91 करोड़ के लिये मॉग भू–राजस्व के बकाये के रू॰ में वसूली हेतु प्रमाणित कर दिया गया था। रू0 0.27 करोड़ की मॉग न्यायालय द्वारा स्थागित कर दी गयी थी। रू02.64 करोड़ अवशेष बकाये के सन्दर्भ में विभाग द्वारा विशिष्ट कार्यवाही की सूचना नहीं दी गयी ।

1.7 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहनों माल तथा यात्रियों पर कर, स्टाम्प चुल्क एवं निबन्धन फीस, भू–राजस्व, मनोरंजन कर लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग एवं वन प्राप्तियॉ आदि के अभिलेखों की नमूना जॉच से 4210 मामलों में 799.81 करोड़ रूपये के कर के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व क्षति के मामले प्रकाच में आये। वर्ष 2003–2004 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 122 मामलों में 2.98 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये जिसमें से 59 मामलों में 16. 10 लाख रूपये मार्च 2004 तक वसूल किये गये।

इस प्रतिवेदन में कर के अनारोपण, कम आरोपण, शुल्क, ब्याज, अर्थदण्ड आदि से सम्बन्धित 3 समीक्षाएं सहित 25 प्रस्तर हैं जिसमें 473.20 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है। विभाग/सरकार ने 32 मामलों में 104.01 करोड़ रूपये की सन्निहित धनराशि को सितम्बर और अक्टूबर 2004 में हुयी वार्ता में स्वीकार कर लिया है। अवशेष मामलों मे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ हैं (नवम्बर 2004)।

1.8 अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा आपत्तियॉ

त्रुटिपूर्ण निर्धारणों, करों, अभिकरों, शुल्क आदि के कम आरोपण पर लेखा परीक्षा टिप्पणियों के साथ ही साथ लेखा परीक्षा के दौरान प्रारम्भिक अभिलेखों में पाई गई कमियों, जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका को निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से विभागाध्यक्षों तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को सूचित किया जाता है। अति महत्वपूर्ण अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। कार्यालयाध्यक्षों द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के उत्तर दो माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

राजस्व प्राप्तियों से सम्बन्धित 31 दिसम्बर 2003 तक जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या जिनका निस्तारण 30 जून 2004 तक विभागों द्वारा लम्बित था। साथ ही साथ पूर्ववर्ती दो वर्षों के तदनरूपी ऑकड़ें नीचे दिये गये हैं:

क्र. सं.		2002	2003	2004
1.	जून तक अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	9323	9308	8412
2.	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	17168	15741	17506
3.	निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	5196.31	2727.30	4296.86

जून 2004 को अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों का विभागवार विभाजन नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्राप्ति के प्रकृति	अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनिस्तारित लेखा परीक्षा आपत्तियों की संख्या	सन्निहित राजस्व की धनराशि (करोड़ रुपये में)	वर्ष जिनसे आपत्यिॉ सम्बन्धित है
1	वानिकी एवं वन्य जीवन	1023	2133	1566.61	1991-92 से 2003-04
2	व्यापार कर	910	4830	1573.82	1984-85 से 2003-04
3	राज्य आबकारी	759	1132	245.71	1984-85 से 2003-04
4	भू–राजस्व	917	1231	42.72	1987-88 से 2003-04
5	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	1142	2410	66.35	1984-85 से 2003-04
6	लोक निर्माण	469	765	26.26	1985-86 से 2003-04
7	सिंचाई	412	708	341.88	1984-85 से 2003-04
8	गन्ने के कय पर कर	121	137	59.31	1985-86 से 2003-04
9	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	1669	2889	33.93	1984-85 से 2003-04
10	कृषि	226	346	111.88	1985-86 से 2003-04
11	विद्युत शुल्क	353	393	196.35	1985-86 से 2003-04
12	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	127	179	19.83	1991-92 से 2003-04
13	सहकारिता	114	123	5.91	1985-86 से 2003-04
14	मनोरंजन कर	170	230	6.30	1986-87 से 2003-04
	योग	**8412**	**17506**	**4296.86**	

यह शासन के संज्ञान में नवम्बर 2004 और जनवरी 2005 में लाया गया; अनिस्तारित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों को निस्तारित करने के लिए शासन द्वारा उठाये गये कदमों की सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है (जनवरी 2005)।

1.9 लोक लेखा समिति द्वारा विचार विमर्श हेतु 30 नवम्बर 2004 तक अनिस्तारित आलेख्य प्रस्तरों/ समीक्षाओं की संख्या नीचे दी गयी हैं:

लोक लेखा समिति द्वारा विचार विमर्श हेतु लम्बित लेखा परीक्षा प्रस्तरों/समीक्षाओं का विवरण निम्नवत है:

वर्ष	व्यापार कर	राज्य आबकारी	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर	स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	भू–राजस्व	अन्य राजस्व प्राप्तियॉ	वन प्राप्तियॉ	अन्य विभागीय प्राप्तियॉ
1984-85	10	Nil	09	09	02	Nil	11	09
1985-86	11	07	16	04	05	07	11	14
1986-87	12	04	23	04	03	05	11	14
1987-88	14	10	17	05	05	06	08	Nil
1988-89	19	11	09	04	04	05	07	16
1989-90	12	10	09	02	06	04	11	20
1990-91	17	06	07	02	04	05	11	16
1991-92	13	06	05	04	02	05	06	11
1992-93	13	09	11	03	02	05	09	14
1993-94	15	07	12	03	02	04	06	13
1994-95	09	07	12	03	02	NIL	08	NIL
1995-96	05	03	05	01	NIL	05	08	03
1996-97	13	06	08	03	01	04	01	05
1997-98	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	04	NIL	04
1998-99	03	NIL	NIL	05	NIL	02	NIL	NIL
1999-2000	08	01	08	04	04	NIL	03	NIL
2000-01	05	04	01	02	01	02	01	05
2001-02	14	02	05	02	01	04	02	04
2002-03	13	02	03	03	01	02	01	01
योग	**206**	**95**	**160**	**63**	**45**	**69**	**115**	**149**
कुल योग								**902**

अध्याय–2 व्यापार कर विभाग

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–04 के दौरान व्यापारकर के कार्यालयों के कर निर्धारण वादों तथा अन्य अभिलेखों की लेखा परीक्षा के दौरान नमूना जॉच में कर के अवनिर्धारण, अर्थदण्ड/ब्याज के अनारोपण अथवा कम अरोपण तथा कर की अनियमित छूट इत्यादि के 2272 मामले पाये गये जिसमें 163.24 करोड़ रूपये की राशि विहित थी, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते है:–

(करोड़ रूपये में)

क0 सं0	श्रेणियॉ	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	अर्थदण्ड/ब्याज का अनारोपण अथवा कम आरोपण	516	16.80
2.	अनियमित कर मुक्ति	500	25.47
3.	अतिरिक्त कर का अनारोपण	65	1.47
4.	कर की गलत दर,	143	2.49
5.	माल का गलत वर्गीकरण	167	7.45
6.	आवर्तन (टर्नओवर) पर कर लगने से छूट जाना	140	18.29
7.	केन्द्रीय बिक्रीकर से सम्बन्धित अनियमिततायें	146	1.05
8.	कर का अवनिर्धारण	223	28.08
9.	**केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्प्रान्तीय बिक्री एवं शाखा को माल का स्थानान्तरण विषय** पर संमीक्षा	1	42.86
10.	अन्य अनियमिततायें	371	19.28
	योग	2272	163.24

वर्ष 2003–04 के दौरान विभाग ने 32 मामलों में निहित 2.09 करोड़ रूपये का अवनिर्धारण आदि स्वीकार किया जिसमें मार्च 2004 तक 12 मामलों में निहित 9.78 लाख रूपये की वसूली की गई।

कुछ निदर्शी मामले तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्प्रान्तीय बिक्री एवम् शाखा को माल का स्थानान्तरण विषय पर एक समीक्षा जिसमें 122.35 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं।

2.2 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तर्प्रान्तीय बिक्री एवं शाखा को माल का स्थानान्तरण'' विषय पर समीक्षा

मुख्य अशं

- शासकीय आदेश के द्वारा बिना फार्म 'सी' प्रस्तुत किये रियायती दर का गलत लाभ दिये जाने के फलस्वरूप रूपये 23.94 करोड़ कर का कम आरोपण।

(प्रस्तर 2.2.6)

- 30 व्यापारियों को त्रुटिपूर्ण फार्म–'सी' पर केन्द्रीय बिक्री कर में रियायती दर का गलत लाभ दिये जाने के परिणाम स्वरूप रूपये 6.91 करोड़ का कर में आदेय लाभ दिया जाना।

(प्रस्तर 2.2.8)

- प्रपत्रों के हस्तान्तरण द्वारा त्रुटिपूर्ण बिक्री के फलस्वरूप गलत कर मुक्ति के कारण रूपये 0.38. करोड़ की राजस्व क्षति हुई।

(प्रस्तर 2.2.9)

- त्रुटिपूर्ण फार्म 'एच' के समर्थन से निर्यात बिक्री पर अनियमित कर मुक्ति दिये जाने के फलस्वरूप रूपये 2.55 करोड़ के कर का निर्धारण न किया जाना,

(प्रस्तर 2.2.10)

- मिथ्या घोषणा के लिये रूपये 96.37 लाख का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 2.2.13)

प्रस्तावना

2.2.1 उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत व्यापार कर आरोपित एवं एकत्रित किया जाता है, सिद्धान्तः अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान, माल के विक्रय पर करों के आरोपित, एकत्रित एवं वितरित करने के लिये, अधिनियम की विभिन्न धाराओं में यह निहित है कि कब किसी माल का बिक्रय या क्रय अन्तर्प्रान्तीय व्यापार या वाणिज्य या प्रान्त के बाहर अथवा देश बाहर निर्यात होता है। केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं अधीनस्थ नियमों के अन्तर्गत अन्तर्प्रान्तीय बिक्री एवं व्यापार कर भुगतान के दायित्वों से मुक्ति/रियायत का दावा करता है तो व्यापारी को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष निर्धारित समय में, पूर्ण रूप से भरे हुये एवं क्रेता व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित फार्म/प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

संगठनात्मक ढॉचा

2.2.2 लखनऊ स्थित मुख्यालय में कमिश्नर, व्यापार कर के अधीन व्यापार कर विभाग का समग्र नियंत्रण निदेशन एवं अधीक्षण है, राज्य में 14 जोन हैं प्रत्येक जोन अपर आयुक्त, व्यापार कर के अधीन है। जोन 36 प्रशासनिक परिक्षेत्रों में बटा है, परिक्षेत्र ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) के अधीन है। परिक्षेत्र को पुनः मंडलों व खण्डों में बॉटा गया है, प्रत्येक का प्रभारी कर निर्धारण अधिकारी यथा डिप्टी कमिश्नर (क0नि0) और सहायक कमिश्नर है।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

2.2.3 यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समीक्षा सम्पादित की गई कि :

- क्या अन्तर्प्रान्तीय बिक्री एवं शाखा को माल के हस्तान्तरण के मामले में, कर निर्धारण एवं राजस्व की वसूली हेतु समुचित कार्यपद्धति और प्रक्रिया वर्तमान है और

- क्या अन्तर्प्रान्तीय बिक्री एवं शाखा को माल के हस्तान्तरण के मामले में जारी अधिनियम/नियमों तथा आदेशों/निर्देशों के प्राविधान निहित उद्देश्यों को परिपूर्ण करते है, जिनके लिये वे बनाये गये थे।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

2.2.4 36 में से 12[♣] परिक्षेत्रो के अवधि 1998–99 से 2002–03 तक के अभिलेखों की जुलाई 2003 से जून 2004 नमूना जॉच की गई। आगे के प्रस्तरों में समीक्षा के निष्कर्ष दिये गये है।

स्टाक ट्रांसफर/कन्साइनमेंट का सत्यापन न किया जाना

2.2.5 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम सपठित केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम (रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर) नियमावली, 1957 के अन्तर्गत, जब एक व्यापारी यह दावा करता है कि

♣ आगरा, गाजियाबाद, कानपुर (ए,बी,सी), लखनऊ (ए,बी), मेरठ, मुरादाबाद, मुज्जफरनगर, नोएडा एवं सहारनपुर।

वह इस अधिनियम के अन्तर्गत कर के भुगतान का दायी नही है, ऐसी स्थिति में, किसी भी माल के बारे में इस आधार पर कि ऐसे माल का एक राज्य से दूसरे राज्य को गतिशील होना, उसके द्वारा ऐसे माल का हस्तान्तरण होने के कारण, न कि बिक्री के कारण, उसके द्वारा किये जा रहे व्यापार के अन्यत्र स्थानों को या उसके अभिकर्त्ता को अथवा प्रधान को, जैसा भी हो, यह प्रमाणित करने का दायित्व व्यापारी पर हैं कि अभुक माल का गतिमान होना स्टाक ट्रांसफर है और इस उद्देश्य से वह कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष माल प्राप्त करने वाले व्यापारी (हस्तान्तरिति) द्वारा पूर्णरूप से भरा हुआ व हस्ताक्षरित फार्म–'एफ' कर से मुक्ति हेतु प्रस्तुत करेगा। पुनःश्च उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, के अन्तर्गत यदि एक व्यापारी जान बूझकर अपने टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत करता है, कर के अतिरिक्त अर्थदण्ड के रूप में कर का न्यूनतम 50 प्रतिशत किन्तु 200 प्रतिशत से अधिक नहीं, की राशि का भुगतान करेगा। कमिश्नर, व्यापार कर ने परिपत्र दिनांक 21 दिसम्बर 1996 द्वारा समस्त कर निर्धारण अधिकारियों को प्रत्येक तिमाही में स्टाक ट्रांसफर का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप में, सम्बन्धित ज्वांइट कमिश्नर (विशेष अनुसंधान शाखा) को सत्यापन कराये जाने हेतु प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये थे।

12 परिक्षेत्रों के अभिलेखों की नमूना जॉच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अप्रैल 1998 से मार्च 2003 तक कर निर्धारण अधिकारियों ने 2065 व्यापारियों के अन्तिम कर निर्धारण किये जिसमें रूपये 24,296.21 करोड़ धनराशि के स्टाक/शाखा को माल हस्तान्तरित करने के थे। हॉलाकि, 198 व्यापारियों (9.6 प्रतिशत) से सम्बन्धित रू0 358. 47 करोड़ (1.5 प्रतिशत) मात्र के माल के स्टाक/शाखा हस्तान्तरण के विवरण निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित ज्वांइट कमिश्नर (विशेष अनु0 शाखा) को प्रेषित किये गये। शेष 1867 मामलों से सम्बन्धित रू0 23,937.74 करोड़ के माल के स्टाक/शाखा हस्तान्तरण की वांछित सूचना ज्वांइट कमिश्नर (बि0अनु0शा0) को प्रेषित किये जाने के अभाव में, लेखा परीक्षा में कर का अनारोपण/अर्थदण्ड की संभावना से इंकार नही किया जा सकता। विवरण निम्नवत हैः–

क्रम संख्या	परिक्षेत्र परिक्षेत्र	कुल स्टाक/शाखा को हस्तान्तरण		ज्वां0 क0 (वि0 अनु0 शा0) को संदर्भित ट्रांसफर		ज्वां0 क0 (वि0 अनु0 शा0) को सत्यापन हेतु प्रेषित नहीं किये गये स्टाक ट्रांसफर	
		मामलों की संख्या	धनराशि (करोड़ रू0 में)	मामलों की संख्या	धनराशि (करोड़ रू0 में)	मामलों की संख्या	धनराशि (करोड़ रू0 में)
1.	आगरा	240	1906.18	27	234.55	213	1671.63
2.	गाजियाबाद	228	2777.56	02	12.12	226	2765.44
3.	कानपुर (ए बी, एवं सी परिक्षेत्र)	372	2063.87	169	111.80	203	1952.07
4.	लखनऊ (ए एवं बी, परिक्षेत्र)	74	1563.72	–	–	74	1563.72
5.	मेरठ	103	864.28	–	–	103	864.28
6.	मुरादाबाद	42	480.40	–	–	42	480.40
7.	मुज्जफरनगर	109	110.69	–	–	109	110.69
8.	नोयड़ा	840	14161.28	–	–	840	14161.28
9.	सहारनपुर	57	368.23	–	–	57	368.23
	योग	2065	24296.21	198	358.47	1867	2393.74

उत्तर प्रदेश राज्य के व्यापारियों द्वारा दिल्ली, चंडीगढ़ (यू0टी0) पंजाब एवं हरियाणा राज्य के व्यापारियों को किये गये फार्म एफ से स्टाक ट्रांसफर से सम्बन्धित घोषणा प्रपत्रों/माल प्राप्ति विवरण की उपयोगिता लेखों के अन्तर्राज्यीय प्रति सत्यापन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वर्ष 1998–99 से 2000–01 में कानपुर व मेरठ के पॉच व्यापारियों द्वारा फार्म 'एफ' से समर्थित किये गये स्टाक ट्रांसफर क्रमशः रूपये 16. 06 करोड़ एवं रूपये 12.19 करोड़ के विरूद्ध दूसरे राज्यों को वास्तविक स्टाक ट्रांसफर

क्रमशः रूपये 11.24 करोड़ एवं रूपये 16.08 करोड़ पाये गये, रूपये 4.82 करोड़ माल के अधिक स्टाक ट्रांसफर की गलत अनुमति राज्य के अन्दर बिक्री के अन्तर्गत आती है एवं उत्तर प्रदेश राज्य में कर योग्य है। फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित रूपये 1.32 करोड़ के कर का कम आरोपण किया गया जैसा कि अनुलग्नक–I, में वर्णित है।

उत्तर प्रदेश के व्यापारियों द्वारा दूसरे राज्य के व्यापारियों को रूपये 3.89 करोड़ धनराशि के कम माल का स्थानान्तरण, उत्तर प्रदेश के व्यापारियों द्वारा टर्नओवर छुपाये जाने के अन्तर्गत आता है, फलस्वरूप अर्थदण्ड सहित रूपये 1.19 करोड़ के कर का कम आरोपण किया गया जैसा कि अनुलग्नक– II, में वर्णित है।

रियायती दर पर कर का त्रुटिपूर्ण आरोपण

2.2.6 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार, सरकारी गजट में एक विज्ञप्ति के द्वारा ही ऐसे माल की दरों में कमी कर सकती है, जिनका विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया हो।

लखनऊ परिक्षेत्र के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह विदित हुआ कि 4 प्रकरणों में दिसम्बर 2000 से मार्च 2001 तक, दिसम्बर 2000 के एक शासकीय आदेश के तहत उत्तरॉचल राज्य को रूपया 149.63 करोड़ मूल्य के पेटोलियम पदार्थों की बिक्री पर, सही दर 20 प्रतिशत के स्थान पर रियायती दर 4 प्रतिशत (बिना फार्म 'सी') की दर से रूपये 5.99 करोड़ गलत कर निर्धारण किया गया। परिणामस्वरूप रूपये 23.94 करोड़ कर का कम आरोपण किया गया।

केन्द्रीय बिक्री कर में रियायती दर का गलत लाभ दिया जाना

2.2.7 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं अधीनस्थ नियमों के अनुसार, एक व्यापारी को अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान किसी सम्व्यवहार के पूर्व पंजीकृत होना चाहिए।

कानपुर (ए ,बी तथा सी) एवं नोयडा परिक्षेत्रों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह ज्ञात हुआ कि दो व्यापारियों को वर्ष 2000–01 में, दूसरे प्रान्त के व्यापारियों द्वारा अपने प्रदेश में पंजीयन प्रमाण–पत्र प्राप्त करने से पूर्व ही उपलब्ध कराये गये फार्म–'सी' के बल पर रूपये 1.48 करोड़ मूल्य के माल की अर्न्तप्रान्तीय बिक्री पर रियायती दर का गलत लाभ दिया गया। फलस्वरूप रूपये 12.00 लाख कर का कम आरोपण किया गया।

त्रुटिपूर्ण 'सी' फार्म

2.2.8 केन्द्रीय बिक्री कर (उ0 प्र0) नियमावली, 1957 के अनुसार केन्द्रीय बिक्री कर में रियायती दर का लाभ प्राप्त करने हेतु 'मूल अंकित' समस्त प्रकार से पूर्ण फार्म–'सी' यथा जारी करने वाले व्यापारी की पंजीयन संख्या एवं दिनांक, क्रय आदेश संख्या एवं दिनांक इत्यादि कर निर्धारण अभिलेखों पर अंकित होना चाहिए।

10 परिक्षेत्रों♥ के अभिलखों की नमूना जॉच में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 1998–99 से 2000–01 के दौरान रूपये 101.62 करोड़ मूल्य के माल की अन्तर्प्रान्तीय बिक्री पर कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा त्रुटिपूर्ण फार्म–'सी' जिन पर वांछित विवरण जैसे केन्द्रीय पंजीयन संख्या एवं फार्म सी जारी करने का दिनांक तथा क्रय आदेश संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे, के बल पर 30 व्यापारियों को केन्द्रीय बिक्री कर में रियायती दर का लाभ प्रदान किया गया। इन मामलों में गलत रियायती दर का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप रूपये 6.91 करोड़ कर का कम आरोपण किया गया।

♥ गाजियाबाद, कानपुर (ए.बी.एवं सी), लखनऊ (ए व बी) मेरठ, मुज्जफरनगर नोयड़ा एवं सहारनपुर।

विलेखों के हस्तान्तरण द्वारा अनियमित बिक्री से गलत कर मुक्ति

2.2.9 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत जहां अन्तराज्यिक व्यापार या वाणिज्यिक के अनुक्रम में किसी माल के विक्रय से या तो एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल का संचलन हुआ है या ऐसा विक्रय एक राज्य से अन्य राज्य को ऐसे माल के संचलन के दौरान उस माल को हक दस्तावेजों के अन्तरण द्वारा किया गया। वहां ऐसे संचलन के दौरान ऐसे माल की हक दस्तावेजों के अन्तरण द्वारा किया गया कोई पश्चातवर्ती विक्रय इस अधिनियम के अधीन कर मुक्त होगा। यदि पंजीकृत व्यापारी द्वारा जिससे माल खरीदा गया था सम्यक रूप से भरा गया और हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र विकेता व्यापारी द्वारा कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

4 परिक्षेत्रों[▲] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 1998–99 से 2000–01 के दौरान 6 व्यापारियों द्वारा रूपये 10.35 करोड़ मूल्य के माल के राज्य में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचलन होने की दशा में, हक दस्तावेजों के अन्तरण के द्वारा किये गये संव्यवहार को अन्तर्प्रान्तीय बिक्री मानते हुये कर के भुगतान से मुक्त कर दिया गया। चूँकि माल राज्य के अन्दर ही संचलित हुआ न कि राज्य के बाहर, करारोपण से मुक्ति अनुमन्य नहीं थी। गलत कर मुक्ति दिये जाने के फलस्वरूप रूपये 38.00 लाख के कर का कम निर्धारण किया गया।

त्रुटिपूर्ण फार्म 'एच' के आधार पर निर्यातबिक्री पर कर मुक्ति का अनियमित लाभ दिया जाना

2.2.10 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम सपठित अधीनस्थ नियमों एवं कमिश्नर परिपत्र मार्च 2001 के प्राविधानों के अनुसार, एक पंजीकृत व्यापारी द्वारा दूसरे पंजीकृत व्यापारी को निर्यात के लिये की गई माल की बिक्री विक्रेता व्यापारी के टर्नओवर में कमी के रूप में मान्य होगी यदि वह निर्यात कर्त्ता द्वारा पूर्णतः भरा गया एवं हस्ताक्षरित फार्म–'एच' ऐसे माल के निर्यात किये जाने के साक्ष्य सहित प्रस्तुत करेगा। निर्यात बिक्री तभी सम्पादित मानी जायेगी जब वह विदेशी क्रेता के क्रय आदेश दिनांक/अनुबन्ध के पश्चात की गयी हो।

11 परिक्षेत्रों के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह ज्ञात हुआ कि 20 व्यापारियों को वर्ष 1999–2001 के दौरान रूपये 35.77 करोड़ के टर्नओवर को भारत के बाहर निर्यात बिक्री मानते हुये कर से मुक्ति प्रदान की गई, यद्यपि इन मामलों में घोषित फार्म–'एच' पूर्ण नहीं थे। जैसे कि वांछित विवरण क्रय आदेश दिनांक/अनुबन्ध उन पर अंकित नहीं थे। अपूर्ण घोषणा पत्रों के बल पर टर्नओवर में छूट का लाभ दिये जाने के फलस्वरूप रूपये 2.55 करोड़ के कर का आरोपण नहीं किया गया जैसा कि अनुलग्नक–III में वर्णित है।

पंजीयन प्रमाण–पत्र

2.2.11 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम एवं अधीनस्थ नियमों के अर्न्तगत एक व्यापारी पंजीयन प्राप्त करने के लिये अपने प्रार्थना पत्र में दूसरे राज्यों में पते सहित अपने व्यापार का स्थान एवं पंजीयन का विवरण सूचित करेगा जिससे वह पंजीयन प्रमाण–पत्र में अंकित किया जा सके।

- **पंजीयन प्रमाण–पत्र में सम्मिलित नहीं किये गये स्थानो पर माल के स्थानान्तरण पर गलत कर मुक्ति :**

13 व्यापारियों के कर निर्धारण मामलों में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 1996–97 से 2000–01 के दौरान कर निर्धारण अधिकारी द्वारा फार्म–'एफ' से आच्छादित रूपये 70.81 करोड़ के

[▲] कानपुर (ए,बी व सी) एवं मुज्जफरनगर।

माल को शाखा को हस्तान्तरण, व्यापारियों के पंजीयन प्रमाण–पत्र में अंकित स्थानों के अतिरिक्त स्थानों पर किये जाने को कर के भुगतान से मुक्ति प्रदान की गई। फलस्वरूप रूपये 5.07 करोड़ के कर का, अनुलग्नक–iv में वर्णित विवरण के अनुसार अनारोपण किया गया।

- पंजीयन प्राप्त करने से पूर्व अभिकर्ता को माल का स्थानान्तरणः

गाजियाबाद नोयडा एवं कानपुर परिक्षेत्रों के 4 कर निर्धारण मामलों में यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 1999–2000 से 2000–01 के दौरान व्यापारियों को प्रान्त बाहर के अभिकर्ता जो उन प्रान्तों में पंजीकृत नहीं थे,, को माल कन्साइन किये जाने पर, रूप्ये 3.15 करोड़ की टर्नओवर बिक्री में कमी की गई। फलस्वरूप रूपये 28.44 लाख कर का कम निर्धारण किया गया।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत अनियमित कर मुक्ति

2.2.12 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत, माल के निर्यात पर कर मुक्ति का प्राविधान है,बशर्ते माल उसी प्रकृति का हो जो व्यापारी ने निर्यात विधान पूर्ण करने के लिये क्रय किया था। विधिक रूप से यह प्रतिपादित[⊗] है कि यदि प्रोसेसिंग के द्वारा क्रय किये गये माल में कोई परिवर्तन किया जाता है तो व्यापारी कर मुक्ति का लाभ प्राप्त करने के अयोग्य होगे। यह भी प्रतिपादित[▽] है कि सैडॅल बुड के लट्ठों से प्राप्त छोटे चिप्स, बिक्री कर कानून के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण है।

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–16 व्यापार कर कानपुर के कर निर्धारण अभिलेखों के अक्टूबर 2002 में किये गये लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि एक व्यापारी ने वर्ष 1996–97 में रूपयें 91.86 लाख मूल्य का संडॅल बुड फार्म एच के सर्मथन से खरीदा एवं वर्ष 1999–2000 में उससे चिप्स निर्माण करने के पश्चात निर्यात कर दिया। एतद्नुसार विदेशी क्रेता को आपूर्ति किया गया माल, निर्यात के लिये क्रय किये गये वास्तविक माल से भिन्न था। यह केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के प्राविधानों के प्रतिकूल था। अतः व्यापारी कर मुक्ति प्राप्त करने के लिये अधिकृत नहीं थे एवं रूपये 13.78 लाख, कर के भुगतान के दायी थे।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने के पश्चात, मई 2004 में विभाग द्वारा रूपये 13. 78 लाख की मांग सृजित की गई। वसूली की स्थिति की प्रतीक्षा है।

प्रकरण विभाग एवं शासन को जून 2003 में प्रतिवेदित किया गया; उत्तर अप्राप्त (मई 2004)।

अर्थदण्ड का अनारोपण

2.2.13 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 10–ए, सपठित 10 (डी) के अन्तर्गत, यदि कोई पंजीकृत व्यापारी, फार्म–'सी' के समर्थन से कर में रियायती दर से, कोई माल गलत तथ्य प्रस्तुत करके कि ऐसी वस्तुयें उसके केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण–पत्र में सम्मिलित हैं, प्रान्त बाहर से क्रय करता है, या यदि प्रान्त बाहर से रियायती दर पर क्रय किये गये माल का उपयोग, पंजीयन में वर्णित कार्य के अतिरिक्त करता है, तो व्यापारी दण्ड का भागी होगा। हॉलाकि ,दण्ड के स्थान पर यदि कर निर्धारण अधिकारी उचित समझे तो वह ऐसे माल की बिक्री पर, कर का डेढ़ गुना अर्थदण्ड आरोपित कर सकते हैं।

⊗ मे0 विजय लक्ष्मी केश्यू के0 एवं अन्य बनाम डिप्टी सी0टी0 ओ0 व अन्य (एस0सी0–32, एस0टी0आई0 1996)।

▽ मे0 महादेव प्रसाद एवं शम्भू दयाल एण्ड के0 बनाम सी0एस0टी0 (एस0टी0आई0 1992 इला0एच0सी0–417) (1993 एस.टी.जे.26) (1992 यू.पी.टी.सी.1226)।

13 व्यापार कर कार्यालयों♥ के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखा परीक्षा में यह विदित हुआ कि, वर्ष 1995–96 से 2000–01 के लिये, 14 व्यापारियों ने जिनके कर निर्धारण दिसम्बर 1999 से जुलाई 2003 के मध्य निस्तारित किये गये,फार्म–'सी' के विरूद्ध रूपये 5.71 करोड़ मूल्य के माल का क्रय किया, जो कि या तो उनके पंजीयन प्रमाण–पत्र से समर्थित नहीं थे, या उनका उपयोग पंजीयन में वर्णित उद्देश्य के अतिरिक्त किया गया। अतएव व्यापारीगण रूपये 96.37 लाख, अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे।

लेखा परीक्षा में इसे इंगित किये जाने के पश्चात, विभाग द्वारा 2 प्रकरणों में रूपये 2.57 लाख का अर्थदण्ड आरोपित किया गया। अन्य प्रकरणों में उत्तर की प्रतीक्षा है, (मई 2004)।

आन्तरिक नियत्रंण

2.2.14 प्रारम्भिक तौर से अन्तर्प्रान्तीय व्यापार एवं ब्रॉच ट्रांसफर के दौरान कर में कमी व कर मुक्ति व्यापारी द्वारा सही घोषणा प्रपत्रों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर ही किया जाता है। यह विभाग का दायित्व है कि वह इन का सत्यापन करा ले एवं संतुष्ट हो ले कि व्यापार वास्तव में ब्रॉच ट्रांसफर एवं अन्तर्प्रान्तीय बिक्री के परिणामस्वरूप ही कियान्वित हुआ है।

यद्यपि विभाग में कुछ स्तर तक तकनीकी नियंत्रण उपलब्ध है किन्तु यह प्रभावी तरीके से कार्यरत नहीं है। यह कमजोर एवं अयोग्य आन्तरिक तकनीकी नियंत्रण का द्योतक है। कमिश्नर, व्यापार कर के परिपत्रों का विचारशीलता से अनुपालन नहीं किया गया एवं अन्य राज्यों से किये गये संव्यवहारों की विश्वसनीयता का सत्यापन किये जाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

आन्तरिक लेखा परीक्षा संगठन स्वतंत्र रूप से कमिश्नर, व्यापार कर के समग्र नियंत्रण में कार्यरत है जिन्हें एक अपर आयुक्त/ज्वांइट कमिश्नर (लेखा) सहयोग करते हैं।

13 सम्प्रेक्षा अधिकारियों व 41 वरिष्ठ सम्प्रेक्षको/सम्प्रेक्षको की कमी थी।

मार्च 2003 तक की लक्ष्य एवं पूर्ति से सम्बन्धित सूचना कमिश्नर, व्यापार कर, कार्यालय द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकी, मुख्यालय स्तर से फील्ड पार्टियों पर कोई नियंत्रण एवं मानीटरिंग नहीं की गई। विभाग ने यह स्वीकार (नवम्बर 2004) किया कि मानव शक्ति की कमी के कारण, लेखा परीक्षा कार्य, निर्धारित मानक के अनुसार सम्पादित नहीं किये जा सके। आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के नमूना जॉच में यह ज्ञात हुआ कि इनमें कार्यपद्धति एवं नियंत्रण की असफलता पर इंगित करने की अपेक्षा व्यक्तिगत आपत्तियॉ, कर का अनारोपण/कम आरोपण की उठाई गई।

निष्कर्ष

2.2.15 लेखा परीक्षा के उपरोक्त परिणामें से यह स्पष्ट है कि अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों का अनुपालन व कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा फार्मों की उचित जॉच न किये जाने एवं एक कमजोर आन्तरिक नियंत्रण तकनीक के फलस्वरूप विभाग को विगत 1998–99 से 2002–03 तक 5 वर्षों मे रूपये 42.86 करोड़ के राजस्व की क्षति हुई। पुनःश्च, यदि कमिश्नर के निदेशो का अनुपालन किया गया होता तो स्टाक ट्रांसफर के अनेक फर्जी/काल्पनिक मामले प्रकाश में आते।

अनुशंसा

अनुमोदन किया जाता है कि

♥ ए0सी0 (ए0)–iii, अलीगढ़, टी0टी0ओ0से0–2, हरदोई, ए0सी0 (ए0)–iii नोयडा, डी0सी0 (ए0)–I इलाहाबाद, डी0सी0(ए0)– iii नोयडा, डी0सी0(ए0)–8 लखनऊ, ए0सी0(ए0) नजीमाबाद, ए0सी0(ए0)– iii इलाहाबाद, ए0सी0(ए0)–3 सहारनपुर, टी0टी0ओ,से0–। बाराबंकी, डी0सी0(ए0)–4 इलाहाबाद, ए0सी0(ए0)–खुर्जा एवं डी0सी0(ए0)–टी0टी0 लखनऊ, ।

- शासन को त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण प्रमाणपत्रों/प्रपत्रों पर अनियमित करमुक्ति प्रदान किये जाने से सम्बन्धित त्रुटि से बचने के लिये, विभाग में एक मजबूत एवं प्रभावी आन्तरिक नियंत्रण तकनीक पर विचार करना चाहिये।

- निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत स्टाक ट्रांसफर से सम्बन्धित संव्यहारो का पूर्णतः (100 प्रतिशत) प्रतिसत्यापन कराये जाने हेतु कार्यपद्धति विकसित की जानी चाहिये।

- आन्तरिक लेखा परीक्षा शाखा को सशक्त किये जाने की आवश्यकता है ।

जुलाई 2004 में कमियों को शासन को प्रतिवेदित किया गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

2.3 कर मुक्ति/सेट आफ/अधिस्थगन की अनियमित स्वीकृति

विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण करने वाली इकाईयों को अनियमित छूट

2.3.1 उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 4–क तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा–8 (5) के अन्तर्गत जारी शासकीय विज्ञप्ति (मार्च, 1995) के द्वारा राज्य सरकार ने घोषित किया है कि नई इकाईयों और उन इकाईयों को भी, जिनका विस्तारीकरण, आधुनिकीकरण, विविधीकरण 31 मार्च, 1995 के पश्चात किया गया है, कर से छूट या कर की दर में कमी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या जब तक कर की दर में ऐसी छूट या कमी से कर अनुतोश की अधिकतम धनराशि प्राप्त न कर ली जाय, इसमें जो भी पहले हो, अनुमन्य होगी। विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण की जाने वाली वर्तमान इकाईयों के मामलों में छूट की मौद्रिक सीमा 'अतिरिक्त स्थिर पूँजी विनिधान' की धनराशि के बराबर है। न्यायिक रूप से यह निर्णीत[#] है' कि 31 मार्च,1995 के पश्चात विस्तारीकरण आधुनिकीकरण या विविधीकरण करने वाली इकाईयों के लिए छूट की सीमा केवल अतिरिक्त स्थिर पूँजी विनिधान की धनराशि तक है। उपरोक्त निर्णय के प्रकाश में विभाग ने नवम्बर 2000 में एक परिपत्र जारी किया जिसके द्वारा कर निर्धारण अधिकारियों को तदनुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

8 व्यापार कर मण्डलों में बहरहाल यह देखा गया अगस्त, 2003 से दिसम्बर, 2003 के मध्य कि 15 इकाईयों को जिन्होने विस्तारीकरण अथवा विविधीकरण 31 मार्च, 1995 के बाद किया है, पात्रता प्रमाण पत्र स्वीकृत किया गया, जिसमे 'अतिरिक्त स्थिर पूँजी विनिधान' के सौ प्रतिशत की सीमा प्राप्त होने तक 813.14 करोड़ रूपये के स्थान पर इसके 150 प्रतिशत से 250 प्रतिशत के बीच 1305.34 करोड़ रूपये की कर की दर में कमी या छूट प्रदान की गई। सीमा से अधिक प्रदान की गयी 492.20 करोड़ रूपये की छूट अनियमित थी। विवरण परिशिष्ट–V के अनुसार है।

लेखा परीक्षा में इसके इंगित किये जाने पर विभाग ने डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) प्रथम व्यापार कर, गाजियाबाद के चार इकाइयों के सम्बन्ध में बताया (अक्टूबर, 2004) कि सरकारी विज्ञप्ति मार्च 1995 में विज्ञप्ति दिनांक 28 जनवरी 2004 से संशोधन कर दिया गया है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा–4 (क) एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा–8(5) में अतीत प्रभाव से विज्ञप्ति जारी करने का प्रावधान नहीं है।

[#] सर्वश्री कजारिया सिरामिक्स लि0 बनाम कमिश्नर, आफ ट्रेड टैक्स (2000 यूपीटीसी–154)

मामला शासन विभाग को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर, 2004)

अधिक मुजरा प्रदान करना

2.3.2 उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 4–खख सपठित उसके अधीन जारी अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर, 1996 तथा 22 मई, 1998 के अन्तर्गत, कच्चे माल की खरीद या बिक्री पर भुगतान किये गये कर का मुजरा धारा–4 खख के अन्तर्गत विज्ञापित माल की राज्य के भीतर या अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान की गई बिक्री पर देय कर के विरूद्ध कतिपय शर्तो और निर्बन्धनों के अधीन अनुमन्य होगा। लोहा और इस्पात उक्त धारा के अन्तर्गत दिनांक 1 जून 1998 से विज्ञापित माल है।

डिप्टी कमिश्नर, (क.नि.)–1 व्यापारकर, गाजियाबाद के कर निर्धारण अभिलेखों की अक्टूबर 2003 में जॉच से पता चला कि एक व्यापारी ने कर निर्धारण वर्ष 1998–99 से 2000–01 के दौरान राज्य के भीतर तथा अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान आधारभूत उत्पादन तक सी. आर.स्ट्रीप्स/शीट्स की बिक्री 291.04 करोड़ रूपये में किया। फरवरी 2001 एवं अक्टूबर 2002 के मध्य कर निर्धारण करते हुये कर निर्धारण अधिकारी ने ऐसे माल के विक्रय पर देय कर की सीमा तक 8.63 करोड़ रूपये का मुजरा दिया, जबकि बिक्री किये गये माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल की खरीद पर भुगतान किये गए कर 2.21 करोड़ रूपये का मुजरा देय था। इसके परिणामस्वरूप 6.42 करोड़ रूपये कर का अधिक मुजरा प्रभावी हुआ। इसके अतिरिक्त 6.53 करोड़ रूपये का ब्याज भी प्रभार्य है।

मामला शासन/ विभाग को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (नवम्बर, 2004)

अधिस्थगन की अनियमित स्वीकृति

2.3.3 उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की सपठित उसके अधीन बनाये गये नियमो के अन्तर्गत कमिश्नर किसी निर्माता के प्रार्थनापत्र पर धारा 4–क के अधीन छूट के बदले में ऐसे निर्माता द्वारा विनिर्मित माल के विक्रय पर उसके द्वारा स्वीकृत किये गये देयकर के भुगतान के लिये नियम–41 में निहित अवधि के उपरान्त कतिपय शर्तो के अधीन अधिस्थगन स्वीकृत कर सकता है। नियम–43 में निर्धारित शर्तो एवं अस्थगन सुविधा योजना अक्टूबर 1995 के अनुसार अस्थगन की सुविधा उन निर्माताओं को नही मिलेगी जिन्होने धारा 4–क के अन्तर्गत करमुक्ति/कर की दर में कमी की सुविधा का उपयोग कर लिया है, जहां निर्माताओं ने सुविधा के प्रारम्भ होने की तिथि से छः माह के पश्चात अधिस्थगन की स्वीकृति के लिए प्रार्थनापत्र दिया है, एवं जहां निर्माताओं ने कर मुक्ति/कर की दर में कमी की अवधि में व्यापार बन्द कर दिया हो। यह न्यायिक[♥] रूप से निर्णीत हो चुका है' कि नई इकाई सुविधा लेने के बाद अधिस्थगन की स्वीकृति के लिये अधिकृत नहीं है। अधिस्थगन कमिश्नर व्यापार कर द्वारा स्वीकृत किया जाता है और अधिस्थगन के स्वीकृति के बाद राज्य सरकार द्वारा पिकअप[β] सरकारी एजेन्सी के माध्यम से ब्याज रहित ऋण मंजूर किया जाता है।

डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)–12, व्यापार कर, आगरा के कर निर्धारण अभिलेखों की 2003 में जॉच से पता चला कि एक व्यापारी को उसके विक्रयधन पर 38.15 करोड़ रूपये 20 दिसम्बर 1999 से 19 दिसम्बर 2009 तक अवधि के लिये, अधिस्थगन स्वीकृत किया गया, व्यापारी अधिस्थगन के लिये हकदार नहीं थे क्योंकि वे धारा 4–क के अन्तर्गत कर मुक्ति/कमी की सुविधा का उपयोग कर चुके थे, और अपना प्रार्थनापत्र सुविधा के प्रारम्भ होने की तिथि से छः माह के पश्चात् दाखिल किये थे, जो कि

♥ बिन्दल बैटरीज (प्रा) लि0 मि0 बनाम स्टेट आफ यू. पी. एण्ड अदर्स (2003) (33) एस. टी. जे.–220)।

β पिकअप. प्राविंशियल इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन आफ उत्तर प्रेदश।

उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम नियमों के प्रावधानों के विरूद्ध है। अधिस्थगन की विभाग द्वारा अनियमित स्वीकृति के कारण व्यापारी को वर्ष 1999–2000, 2001–02 एवं वर्ष 2002–03 के देय कर के भुगतान के लिये पिकअप सरकारी एजेन्सी के माध्यम से अवमुक्त किया गया 3.55 करोड़ रूपये का ब्याज रहित ऋण अनियमित था। इससे व्यापारी को 3.55 करोड़ रूपये का अदेय वित्तीय लाभ फलीभूत हुआ।

मामला शासन/ विभाग को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर, 2004)

2.4 कर की कम गणना/समायोजन

राज्य सरकार ने (मार्च, 1995) को जारी विज्ञप्ति के द्वारा घोषित किया कि नई इकाईयों एवं उन इकाईयों के लिए भी, जिनका विस्तारीकरण, विविधीकरण, आधुनिकीकरण अथवा बैक वर्ड इन्टीग्रेशन किया गया है, कर से छूट या कर की दर में कमी की गणना प्रान्तीय/केन्द्रीय अधिनियम के अधीन सम्बन्धित वस्तु पर सामान्य रूप से लागू कर की दर से की जायेगी।

9 व्यापार कर कार्यालयों की 15 इकाइयों के कर निर्धारण अभिलेखों की अगस्त, 2003 से जनवरी 2004 के मध्य जॉच में उद्घाटित हुआ कि सितम्बर 1998 से दिसम्बर 2003 के मध्य कर निर्धारण वर्षो 1996–97 से 2000–01 के मामलों का करनिर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित वस्तु पर प्रादेशिक/केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत सामान्य रूप से लागू कर की दर के स्थान पर रियायती दर से कर की गणना करके छूट की धनराशि अनुमन्य की गई। इसके परिणाम स्वरूप 23.32 करोड़ रूपये कर का कम समायोजन हुआ, जैसा कि विवरण परिषिश्ट–vi मे दिया गया है।

मामला शासन/ विभाग को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर, 2004)

2.5 टर्नओवर का कम निर्धारण

2.5.1 उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 2 (झ) के स्पष्टीकरण–2 के अन्तर्गत किसी विभाग के सम्बन्ध में मूल्य पर दी गयी कोई नगद या अन्य बट्टे की रकम विक्रयधन में सम्मिलित नहीं की जायेगी। बट्टे के रूप में कटौती मंजूर की जाय, इसके लिए व्यापारी को दर्शाना होता है कि ऐसे बट्टे की रकम बिक्री मूल्य पर प्रदान की गयी थी।' यह न्यायिक रूप से निर्णीत [δ] हो चुका है कि रिबेट अथवा बोनस की धनराशि घटाने योग्य नही है, क्योंकि वह पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कम नहीं करते हैं जो कि टर्नओवर से घटाने के लिए पूर्व शर्त है। माननीय एपेक्स न्यायालय ने भी इस प्रकार का मत[Φ] स्थिर किया है'' कि चक्करदार ढंग से की गयी बिक्री और कुछ नही बल्कि बिक्री है, और वह कर लगाये जाने के योग्य है।

3 व्यापार कर मण्डलो के अभिलेखों अगस्त 2003 से जनवरी 2004 के मध्य जॉच से उद्घाटित हुआकि रू0 14.02 करोड़ बोनस/क्वान्टिटी डिस्काउन्ट की रकम व्यापारियों के टर्नओवर से वहिर्गत की गयी है, यद्यपि कि ये बट्टे की रकम विक्रय मूल्य पर नही दी गयी थी और पूर्व निर्धारित बिक्री मूल्य को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कम नही करती थी। इसके कारण रूपया 14.02 करोड़ टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप रू0 1.07 करोड़ कर का कम आरोपण हुआ, जैसा कि परिशिष्ट–vii में दिया गया है।

δ हैदराबाद कमिकल्स एण्ड फर्टीलाइजर बनाम् स्टेट आफ आन्ध्रप्रदेश (1978)22 एस.टी.सी–298 (आन्ध्रप्रदेश)।

Φ स्टेट आफ तामिलनाडू बनाम श्री निवास सेल्स सरकुलेसन 1996 (एन.टी.एन.) एस.सी.–157।

2.5.2 प्रान्तीय व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत सभी प्रकार की स्प्रिट और स्प्रिट मय शराब की बिक्री दिनांक 20 मई 1998 से 32.5 प्रतिशत की दर से कर लगाए जाने योग्य है। न्यायिक रूप[α] से यह निर्णीत हो चुका है कि फारवर्डिगं चार्जेज एवं सेल्स प्रमोशन टर्नओवर का भाग होते हैं।'

डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–2 व्यापार कर, रामपुर की लेखा परीक्षा में यह देखा गया (दिसम्बर,2003) कि भारत निर्मित विदेशी शराब बनाने एवं बेचने के काम में लगे हुए एक व्यापारी का टर्न ओवर वर्ष 1998–99 से 2000–01 के लिए निर्धारित करते समय फारवार्डिंग चार्जेज एवं सेल्स प्रमोशन की धनराशि 49.94 करोड़ रूपये को टर्न ओवर में सम्मिलित नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 16.23 करोड़ रूपये का कर कम आरोपित हुआ।

मामला शासन। विभाग को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये है (नवम्बर, 2004)।

2.6. अनियमित घोषणा प्रपत्रों की स्वीकृति

उ0प्र0 व्यापार कर नियमावली, 1948 के नियम यथासंशोधित दिनांक 21 अप्रैल, 2001 के अन्तर्गत एकल प्रपत्र में एक कर निर्धारण वर्ष से अधिक और पांच लाख रूपये से अधिक के क्रय या विक्रय का संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

डिप्टी कमिश्नर (क.नि.)–8 व्यापार कर आगरा की लेखा परीक्षा में देखा गया कि (दिसम्बर 2003) एक व्यापारी ने कर निर्धारण वर्ष 2000–2001 में 1.67 करोड़ रूपये के लुब्रीकेन्ट की बिक्री घोषणा प्रपत्रों के विरूद्ध की। यद्यपि ये प्रपत्र क्रेता व्यापारी द्वारा 21 अप्रैल, 2001 के बाद जारी किये गये थे, और रू0 पांच लाख से अधिक के संव्यवहारों से आच्छादित थे, तथापि कर निर्धारण अधिकारी ने इन प्रपत्रों को स्वीकार किया और कर की दर में छूट प्रदान किया, जिससे रू0 25.77 लाख की गलत छूट प्रतिफलित हुई।

मामला विभाग/शासन को मई 2004 में प्रतिवेदित किया गया उनके उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवंम्बर 2004)।

2..7 माल के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अवनिर्धारण

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम 1948 के अन्तर्गत शासन द्वारा समय समय पर विज्ञापित दर की अनुसूची के अनुसार कर आरोपणीय है इसके अतिरिक्त 1 अगस्त 1990 से 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी देय है ।

13 व्यापार कर कार्यालयों की लेखा परीक्षा में अगस्त 2001 से जनवरी 2004 के बीच पाया गया कि वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण सही दर से कर न लगाये जाने के परिणामस्वरूप रूपये 7.37 करोड़ का कर परिशिष्ट–viii के अनुसार कम आरोपित हुआ है ।

मामले विभाग तथा शासन को सितम्बर 2002 तथा मई 2004 के मध्य प्रतिवेदित किये गये उनके उत्तर प्राप्त नही हुये है (नवम्बर 2004)

2.8 कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण

2.8.1 उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत वस्तुओं पर कर देयता दर सूची पर आधारित उनके वर्गीकरण पर आधारित होती है। पुनश्च, ऐसी वस्तुयें जो दर सूची में

α सर्वश्री मोदी इण्डस्ट्रीज लि0 बनाम सी.एस.टी. (2000 यू0पी0टीसी–149)।

अन्यत्र उल्लेखित नहीं हैं, उन पर दिनांक 1 दिसम्बर 1998 से 10 प्रतिशत की दर से कर देयता है।

दो व्यापार कर कार्यालयों,[Δ] की लेखापरीक्षा ने नवम्बर 2000 एवं अक्टूबर 2002 में यह उद्घाटित किया कि दो व्यापारियों ने वर्ष 1997–98 एवं 1999–2000 के दौरान रूपये 2.98 करोड़ मूल्य के स्वनिर्मित लकड़ी के उत्पाद, जलौनी लकड़ी, एवं आयातित मलबरी कच्चा रेशम की बिक्री की, जबकि कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण अधिकारियों ने फरवरी 2000 एवं मार्च 2002 के मध्य साढ़े सात प्रतिशत, पॉच प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत की दर से कर आरोपित करने के बजाय कर मुक्त मदें मान ली। परिणामतः रूपये 29.23 लाख का कर अनारोपित रहा।लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने जनवरी 2002 में कर निर्धारण आदेश को पुनरीक्षित करते हुये एक मामले में रू0 1.62 लाख की मांग उठायी। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (मई 2004)।

मामलों को विभाग एवं शासन को मार्च 2001 एवं मई 2003 में प्रतिवेदित किया गया उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2004)।

2.8.2 उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत लाटरी टिकटों की बिक्री पर 25 प्रतिशत की दर से कर देयता है। अधिनियम के अनुसार, एक व्यापारी जो किसी अन्य व्यापारी से जो कि अपनी बिक्री पर कर का देनदार नहीं है, से खरीद करता है तो उसे निर्माता माना जायेगा। पुनश्च, यदि कोई व्यापारी अपना स्वीकृत कर निर्धारित समय के भीतर जमा करने में असफल रहता है तो वह अदत्त धनराशि पर 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से व्याज का दायी होगा। इसके अतिरिक्त, यदि एक व्यापारी जान बूझकर अपने आवर्त्त का त्रुटिपूर्ण विवरण देता है, तो वह बचाये गये कर के न्यूनतम 50 प्रतिशत किन्तु 200 प्रतिशत से अनधिक राशि के अर्थदण्ड का दायी होगा।

व्यापार कर' अधिकारी, खण्ड–4, वाराणसी की लेखापरीक्षा ने 2001 में यह उद्घाटित किया कि एक व्यापारी ने वर्ष 1998–99 के दौरान एवं स्थानीय पंजीकृत व्यापारी से रूपये 12.38 करोड़ के लाटरी टिकटों की खरीद घोषित की। विक्रेता व्यापारी के कर निर्धारण अभिलेखों के प्रति सत्यापन में यह पाया गया कि उसने वर्ष 1998–99 के दौरान रूपये 1.50 करोड़ के लाटरी टिकटों की बिक्री की थी। यह दर्शाता है कि शेष रूपये 10.88 करोड़ मूल्य के लाटरी टिकट अपंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गये थे। फलस्वरूप रूपये 7.67 करोड़ के कर का अनारोपण हुआ जिसमें कि व्याज एवं अर्थदण्ड सम्मिलित हैं।

मामलें को अगस्त 2001 में विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2004)।

2.8.3 उ.प्र.व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक व्यापारी पर 1 अगस्त 1990 से कर का 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर भी देय है ।

3 व्यापार कर अधिकारियों के अभिलेखों की लेखापारीक्षा ने यह उद्घाटित किया कि मई 2001 एवं अगस्त 2002 के मध्य कर निर्धारण अधिकारियों ने 3 व्यापारियों के मार्च 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य कर निर्धारण करते समय कर निर्धारण वर्षों 1992–93 एवं 1994–95 से 1998–99 में रूपये 10 करोड़ के आवर्त्त पर अतिरिक्त कर सहित रूपये 62.38 लाख के बजाय रूपये 49.9 लाख का कर आरोपित किया। फलस्वरूप रूपये 12.48 लाख का अतिरिक्त कर अनारोपित रहा, जिसका विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

[Δ] व्यापार कर, अधिकारी श्रेणी–1 औरैया, व्यापार कर अधिकारी खण्ड'3 वाराणसी।

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	क0नि0वर्ष क0नि0 का माह	मद	आवर्त्त	आरोपणीय / आरोपित कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपणीय /आरोपित कर की राशि	अतिरिक्त कर का अनारोपण
1.	व्या.कर.अधि. चॉदपुर बिजनौर	1997–98 सितम्बर 2000 1998–99 मार्च 2001	मेन्था– आयल	115.00	12.5 10	14.38 11.50	2.88
2.	व्या.कर.अधि. खण्ड–ii मुरादाबाद	1992–93 फरवरी 2001	पीतल कलात्मक बर्तन	50.00	12.5 10	6.25 5.00	1.25
3.	व्या.कर.अधि. खतौली	1994–95 फरवरी 2001 1995–96 फरवरी 2001 1996–97 मार्च 2000 1997'98 मार्च 2000	पट्टा किराया	835.00	5 4	41.75 33.40	8.35
		योग:–		1000.00		62.38 49.9	12.48

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के पश्चात विभाग ने दो मामलों में रू0 4.13 लाख के अतिरिक्त कर की मांग निकाली (मार्च 2002 एवं मई 2003 के मध्य)।

मामलें को शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2001 एवं जनवरी 2003 के मध्य); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (नवम्बर 2004)।

2.9 त्रुटिपूर्ण दर से करारोपण के फलस्वरूप कम करारोपण

उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अनुसार वस्तुओं पर कर देयता दर सूची पर आधारित उनके वर्गीकरण पर आधारित होती है। इसके अतिरिक्त, दि0 1–अगस्त 1990 से कर के 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

12 व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने यह उद्घाटित किया कि त्रुटिपूर्ण दर से करारोपण के कारण 12 व्यापारियों के वाद में रूपये 1.93 करोड़ का कम कर आरोपित हुआ, जिसका विवरण निम्नवत है :–

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	क0नि0 वर्ष क0नि0 माह	वस्तु का नाम	कर योग्य आवर्त्त	आरोपणीय आरोपित कर (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर
1	2	3	4	5	6	7
1.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर उरई	1996–97 फरवरी 1999	आयातित लोहा एवं इस्पात	50.31	4 2	1.00
2.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–iii व्यापारकर नोयड़ा	1999–2000 जनवरी 2002	स्वनिर्मित टेली फोन उप–संघटक	408.06	5 2.5	10.20
3.	असिस्टेन्ट कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर इलाहाबाद	1998–99 जनवरी 2001 1999–2000 फरवरी 2002 2000–01 दिसम्बर 2002	पानी पम्प	29.89	7.5 एवं 8 5	0.79

1	2	3	4	5	6	7
4.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर लखनऊ	1991–92 फरवरी 2003	सुगन्धि	28.68	15 10	1.43
5.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–8 व्यापार कर नोयड़ा	2000–01 फरवरी 2003	कम्प्यूटर सिस्टम	2967.71	8 4	118.71
6.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–5 व्यापार कर कानपुर	2000–01 फरवरी 2003	एकैलिक पोलेरथिन	1127.17	12 10	22.54
7.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर कानपुर	2000–01 जनवरी 2003	रबर शुलेसन	68.38	12 10	1.37
8.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–9 व्यापार कर गाजियाबाद	2000–01 फरवरी 2003	पुराने निष्प्रयोज्य बिस्कुट	56.54	8 5	1.70
9.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–9 व्यापार कर गाजियाबाद	2000–01 जून 2003	क्रीम मिल्क मिक्रित	215.96	15 10	4.32
10.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–Iव्यापारकर आगरा	1995–96 मार्च 98 1996–97 जनवरी 99 1997–98 मार्च 2000 1998–99 मार्च 2001	ग्रीस	393.05	15 10	19.65
11	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर आगरा	1999–00 मार्च 2002 2000–01 मार्च 2003	प्लास्टिक स्कैप	149.57	10 5	7.48
12	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापारकर रामपुर	1998–99 मार्च 2000 1999–2000 मार्च 2001 2000–01 मार्च 2003	वेस्ट ब्रोकेन ग्लास वेस्ट पालीफिल्म/ पालीथिन	71.53	10 5	3.58
			योग	5566.85		192.77

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने के उपरान्त, विभाग ने एक मामलें में रूपये 1.00 लाख की मांग निकाली । अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

मामले को विभाग एवं शासन को सितम्बर 1999 एवं मई 2004 के मध्य प्रतिवेदित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2004)।

2.10 घोषणापत्रों का दुरूपयोग

उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 3 ख में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति मिथ्या या त्रुटिपूर्ण घोषणापत्र जारी करता है जिसके कारण खरीद अथवा बिक्री पर लगने वाला कर आरोपणीय नहीं रह जाता है तो व्यापारी ऐसी राशि का दायी होगा जो उसने ऐसे माल की खरीद पर कर में छूट के रूप में बचाया है। 2 प्रतिशत की दर से ब्याज भी देय है।

सात व्यापार कर कार्यालयों[Ω] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने मई 2003 और जनवरी 2004 के मध्य यह उद्घाटित किया कि आठ व्यापारियों ने रूपये 8.60 करोड़ मूल्य का

Ω डिप्टी कमि. (क.नि.)व्या.कर धामपुर, असि.कमि.(क.नि.)–2 सीतापुर, डिप्टी कमि. (क.नि.) व्या.कर जी.बी.नगर, डिप्टी कमि. (क.नि.) iv व्या.कर नोएडा, डिप्टी कमि. (क.नि.) ix व्या.कर नोएडा डिप्टी कमि. (क.नि.) ix व्या. कर आगरा, डिप्टी कमि. (क.नि.) vi व्या.कर लखनऊ

माल निर्धारित घोषणापत्रों को जारी कर के कर की रियायती दर से खरीदा। चूंकि व्यापारी इन वस्तुओं की खरीद के लिये अपने मान्यता प्रमाणपत्रों में अधिकृत नहीं थें, वे ऐसी खरीद पर बचायें गये कर राहत के बराबर के रूपये 80.18 लाख का कर भुगतान के दायी थे। इसके अतिरिक्त रूपये 70.78 लाख का ब्याज भी निम्न सारणी के अनुसार देय है:–

(रूपये लाख में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	क0 नि0 वर्ष क0 नि0 माह	खरीदी गई सामग्री	खरीदी गई सामग्री का मूल्य कर के अन्तर की दर (प्रतिशत में)	आच्छादित कर की राशि	व्याज	स्तम्भ सं0 6 व 7 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर जी0बी0 नगर	2000–01 फरवरी 2003 2000–01 फरवरी 2003 2000–01 फरवरी 2003	कारपेट	234.23 10	23.42	17.33	40.75
2.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर नोयडा	2000–01 फरवरी 2003	गारन्टी कार्डस स्कोच ब्राइट	17.65 7.5	1.32	0.98	2.30
3.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर नोयडा	2000–01 फरवरी 2003	इलेक्ट्रिकल गुडस	313.64 7.5	23.52	17.40	40.92
4.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर आगरा	1996–97 मार्च 1999 1998–99 मार्च 2000 1998–99 फरवरी 2001 1999–00 जनवरी 2002 2000–01 जनवरी 2003	पेन्ट / केमिक्लस	224.86 12.5 9.5 7.5	25.07	29.80	54.87
5.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर लखनऊ	1999–00 फरवरी 2002 2000–01 फरवरी 2003	इलेक्ट्रिकल गुडस	11.58 7.5	0.87	0.73	1.60
6.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर धामपुर	1999–00 दिसम्बर 2002	सिमेन्ट ट्रान्सफार्मर	21.76 10 13.96 7.5	3.22	2.77	5.99
7.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर धामपुर	2000–2001 नवम्बर 2002	मोलासेस	18.68 12	2.24	1.39	3.63
8.	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–I व्यापार कर	1999–00 दिसम्बर 2001	पेन्टस	4.12 12.5	052	0.38	0.90
				योग	80.18	70.78	150.96

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के उपरान्त विभाग ने मार्च 2003 में एक मामले में रूपये 0.51 लाख की राशि आरोपित कर दी। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित थे (नवम्बर 2004)।

मामले फरवरी 2003 एवं मार्च 2004 के मध्य विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किये गये थे; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये हैं (नवम्बर 2004)।

2.11 रियायत की गलत स्वीकृति

उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 3–जी ऐसी बिक्री (जो निर्धारित घोषणापत्रों से समर्थित हो) जो केन्द्र सरकार के विभाग अथवा राज्य सरकार के विभाग अथवा कारपोरेशन या उपक्रम जो केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व में हो अथवा उनके द्वारा नियंत्रित हों, पर पांच प्रतिशत की रियायती दर से करारोपण का प्रावधान करती है, बशर्ते इन वस्तुओं को पुनः बिक्री अथवा निर्माण में प्रयोग अथवा बिक्री के लिए किन्हीं वस्तुओं की पैकिंग हेतु प्रयोग न किया जाये। इन शर्तो के उल्लघंन पर विभाग, कारपोरेशन या उपक्रम इन वस्तुओं पर आरोपणीय कर और दत्त कर के अन्तर के बराबर क्य कर का दायी होगा। कमिश्नर व्यापार कर उत्तर प्रदेश के परिपत्र दिनांक 21–8–93 के अनुसार जल निगम अधिनियम की धारा 3 जी के अन्तर्गत रियायत के लिये अन्यं एजेंसियों को कच्चे माल के हस्तान्तरण का हकदार नहीं है।

जून 2002 व फरवरी 2003 के मध्य दो व्यापार कर कार्यालयों[∇] के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने यह उद्घाटित किया कि उ0 प्र0 जल निगम की 3 डिवीजनों[Ψ] ने अवधि 1999–2000 के दौरान फार्म 3 डी के विरूद्ध 5 प्रतिशत की रियायती दर से रूपये 2.78 करोड़ मूल्य के सीमेण्ट, पी0वी0सी0 पाइप, हैण्ड पम्प के पुर्जो की खरीद की। इस प्रकार प्राप्त कच्चे माल का प्रयोग अन्य एजेन्सियों के लिए हैण्ड पम्पों की स्थापना में किया गया, जो कि कमिश्नर द्वारा जारी किये गये निर्देशों के विपरीत था। परिणामस्वरूप रू0 12.41 लाख अनियमित छूट ली गयी।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने के उपरान्त विभाग ने उत्तर में बताया कि सभी तीनों मामलों में मार्च 2003 एवं जून 2003 में रूपये 12.41 लाख की मांग निकाली गई है । वसूली की सूचना प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

मामलें सितम्बर 2002 से मई 2003 के दौरान शासन को प्रतिवेदित किये गये थे ; शासन का उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

2.12 ब्याज का अनारोपण

उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अन्तर्गत कर के दायी प्रत्येक व्यापारी को अपना देय कर निर्धारित समय के भीतर जमा करना होता है। व्यापारी द्वारा देय स्वीकृत कर यदि देय तिथि तक नहीं जमा किया जाता तो अदत्त राशि पर जमा की तिथि तक 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज की देयता आकर्षित होती है।

जुलाई 1999 से जुलाई 2003 के मध्य हुये सात व्यापार कर कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने यह उदघाटित किया कि सात व्यापारियों के मामलों में मार्च 1998 व मई 2003 के मध्य वर्ष 1995–96 से 2000–01 के मध्य कर निर्धारण के मामलों में रूपये 1.41 करोड़ का स्वीकृत कर 2 से 1065 दिनों के विलम्ब से जमा हुआ, जिस पर 9.38 लाख रूपये ब्याज आरोपणीय था, किन्तु विभाग द्वारा आरोपित नहीं किया गया था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के उपरान्त विभाग ने चार मामलों में मार्च 2000 एवं मार्च 2002 के मध्य 3.48 लाख रूपये की ब्याज की मांग निकाली जिसमें से रूपये 2.86 लाख की वसूली हो चुकी थी।

मामले विभाग एवं शासन को अगस्त 1999 और फरवरी 2004 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे। शासन के उत्तर सभी मामलों में एवं विभाग के उत्तर तीन मामलों में प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2004)।

∇ व्यापार कर अधिकारी खण्ड–I, इलाहाबाद खण्ड–II, शाहजहॉपुर।

Ψ अधि0 अभियंता, छटीं निर्माण डिवीजन, उ0 प्र0 जल निगम इलाहाबाद, अधि0 अभियंता, निर्माण डिवीजन, उ0 प्र0 जल निगम लाला लाजपत राय मार्ग, इलाहाबाद, अधि0 अभियंता, निर्माण डिवीजन, उ0 प्र0 जल निगम, शाहजहॉपुर।

2.13 अर्थदण्ड का अनारोपण

- उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम के अनुसार दिये गये प्रमाणपत्र में वर्णित उद्देश्य से भिन्न उद्देश्य के लिए कच्चे माल के प्रयोग अथवा अन्यथा निस्तारण करने पर व्यापारी अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि का दायी होगा जो न्यूनतम उसके द्वारा इस प्रकार बचायी गई कर से राहत के बराबर किन्तु उसके तीन गुने से अधिक न होगी।

व्यापार कर परिक्षेत्र नोएडा एवं आगरा के अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने यह उद्घाटित किया कि मान्यता प्रमाणपत्र धारक दो व्यापारियों ने विज्ञापित वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग हेतु रूपये 3.71 करोड़ मूल्य का कच्चा माल अवधि 1998–99 से 2000–01 के दौरान रियायती कर की दर से खरीदा और उसे अन्यथा उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त कर दिया। अतएव, व्यापारी रूपये 79.41 लाख अर्थदण्ड के दायी थे।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने एक मामले में रूपये 4.03 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।

- उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 15–क (।) (क) के अन्तर्गत यदि कोई व्यापारी युक्तियुक्त कारण के बिना विवरण पत्र पुस्तुत करने के पूर्व या प्रस्तुत करते समय अपना देय कर जमा करने में असफल रहता है तो वह कर के अतिरिक्त देयकर का कम से कम 10 प्रतिशत, किन्तु अधिक से अधिक 25 प्रतिशत, यदि देय कर दस हजार रूपये तक हो और देयकर का 50 प्रतिशत यदि देयकर दस हजार से अधिक हो, अर्थदण्ड के रूप में देगा।

अगस्त 2003 और नवम्बर 2003 के मध्य गाजियाबाद के दो व्यापार कर वृत्तों[♣] के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने यह उद्घाटित किया कि दो व्यापारियों ने जिन पर रूपये 2.79 करोड़ का कर देय था, ने 15 दिन से दो माह तक के विलम्ब से कर जमा किया था जिसके लिए व्यापारी रूपये 1.40 करोड़ अर्थदण्ड के दायी थे, जिसे कि आरोपित नहीं किया गया था।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने के उपरान्त एक मामले में विभाग ने रूपये 26. 52 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।

मामलों को मई 2004 मे विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया गया था ; उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2004)।

- उ0प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 15 (क) (।) (ग) के अन्तर्गत यदि कर निर्धारण अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि एक व्यापारी ने अपना आवर्त छिपाया है अथवा जानबूझ कर अपने आवर्त का त्रुटिपूर्ण विवरण दिया है तो वह व्यापारी को, कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में ऐसी धनराशि के भुगतान को निर्देशित कर सकता है, जो इस प्रकार बचाये गये कर के 50 प्रतिशत से कम न होगा और 200 प्रतिशत से अनधिक होगा।

अप्रैल 2002 एवं जनवरी 2004 के मध्य छः व्यापार कर कार्यालयों[♦] के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने यह उद्घाटित किया कि सात व्यापारियों ने वर्ष 1997–98, 1999–2000, 2000–01 एवं 2001–02 के दौरान रूपये 12.70 करोड़ का अपना आवर्त छिपाया। कर निर्धारण के दौरान विभाग ने रूपये 1.01 करोड़ का कर तो उन पर आरोपित किया किन्तु रू0 50.59 लाख का अर्थदण्ड आरोपित करने में असफल रहा ।

♣ डी.सी. (ए) iv, व्यापार कर गाजियाबाद, डी.सी. (ए) xii, व्यापार कर गाजियाबाद।

♦ (1) ए.सी. (ए)–ii गोरखपुर, (2) व्यापार कर अधिकारी खण्ड–iii झांसी (3) व्यापार कर अधिकारी खण्ड–8 इलाहाबाद (4) व्यापार कर अधिकारी कौशाम्बी (5) डी.सी. (ए)–12 व्यापार कर गाजियाबाद (6) डी.सी. (ए)–ii, व्यापार कर रामपुर।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने नवम्बर 2002 से मार्च 2003 के मध्य तीन मामलों में रूपये 50.57 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित हैं (नवम्बर 2004)।

मामलें विभाग एवं शासन को जुलाई 2002 और मई 2004 के मध्य प्रतिवेदित किये गये थे। उनके उत्तर अप्राप्त हैं (नवम्बर 2004)।

- उ0 प्र0 व्यापार कर अधिनियम की धारा 8 घ (6) के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो किसी ठेकेदार को ऐसी सकर्म संविदा के सम्बन्ध में किसी माल के स्वामित्व के अन्तरण के लिए मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तर दायी हो, ऐसी सकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत देय राशि में से 4 प्रतिशत की राशि की कटौती करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार काटी जाने वाली राशि की कटौती करने में या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गई राशि को कटौती के माह के अगले माह के समाप्त होने के पूर्व शासकीय कोषागार में जमा करने में असफल रहता है तो, कर निर्धारण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक की राशि के भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

जुलाई 2002 एवं जुलाई 2003 के मध्य डिप्टी कमिश्नर (क0 नि0)–।।।, व्यापार कर वाराणसी के कर निर्धारण अभिलेखों की लेखापरीक्षा ने यह उद्घाटित किया कि एक व्यापारी♥ ने अप्रैल 1999 से मार्च 2001 के मध्य ठेकेदारों को किये गये भुगतान से रूपये 14.67 लाख की कटौती की किन्तु उसे शासकीय कोषागार में समय से जमा नहीं किया। चूँकि व्यापारी काटी गई धनराशि को निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करने में असफल रहा अतः वह रू0 29.34 लाख के अर्थदण्ड का दायी था, जो कि अनारोपित रहा।

इसे लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने एक मामले में रूपये 8.67 लाख का अर्थदण्ड आरोपित कर दिया।

मामले को मई 2003 एवं नवम्बर 2003 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2004)।

♥ डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी।

अध्याय–3 राज्य आबकारी

3.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–2004 के दौरान की गयी लेखा परीक्षा में राज्य आबकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 57.09 करोड़ रूपये की धनराशि के शुल्क और फीस के अनारोपण अथवा कम आरोपण के 108 मामले पाये गये जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियॉ	मामलों की संख्या	धनराचि
1.	अतिशय मार्गस्थ/ भण्डारण छीजन	08	0.96
2.	निर्यात पास फीस का कम आरोपण	20	21.60
3.	ब्याज का अनारोपण	01	0.02
4.	प्रशमन शुल्क/ अर्थदण्ड का अनारोपण	12	0.13
5.	अन्य अनियमितताऐं	67	34.38
	योग	**108**	**57.09**

उदाहरणार्थ, कुछ मामले, जिनमें 6.02 करोड़ रूपये का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये है।:

3.2 शीरे से अल्कोहल का कम उत्पादन

उत्तर प्रदेश आबकारी आसवनी कार्य कलाप (संशोधित) नियमावली 1978 के अनुसार शीरे में उपस्थित प्रत्येक कुन्तल किण्वीय शर्करा से 52.5 अल्कोहलिक लीटर (अ.ली.) अल्कोहल का उत्पादन होता है इस कार्य हेतु आसवनी के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वे शीरे के मिश्रित नमूने लेकर अल्कोहल टैक्नोलाजिस्ट के पास जॉच के लिये भेजे। प्रयुक्त शीरे से निर्धारित न्यूनतम अल्कोहल की मात्रा के उत्पादन में विफलता की स्थिति में लाइसेन्स के निरस्तीकरण एवं अन्य दण्ड के अतिरिक्त जमा जमानत धनराशि का जब्त किया जाना अपरिहार्य है।

तीन आसवानियों[9] के अभिलेखों की जॉच के दौरान यह देखा गया (मार्च और दिसम्बर 2002 के मध्य) कि जनवरी 2001 और अक्टूबर 2002 के अविध के दौरान शीरे के 45 मिश्रित नमूने अल्कोहल टैक्नोलाजिस्ट को भेजे गये, अल्कोहल टैक्नोलाजिस्ट के प्रतिवेदन के आधार पर शीरे में उपस्थिति 3.17 लाख कुन्तल किण्डवीय शर्करा से 166. 43 लाख अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल का उत्पादन होना चाहिए था जबकि अल्कोहल का वास्तविक उत्पादन 155.31 लाख अल्कोहलिक लीटर था 11.12 लाख अल्कोहलिक लीटर अल्कोहल के कम उत्पादन होने से रू. 5.34 करोड़ आबकारी शुल्क की क्षति हुयी लेकिन न तो इसके लिये आसवनी के लाइसेन्स रद्द किये गये न ही जमानत धनराशि जब्त की गयी ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग और शासन ने अल्कोहल के कम उत्पादन को स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2004) कि अल्कोहल की अनुत्पादित मात्रा पर आबकारी राजस्व के आरोपण का प्रश्न ही नही उठता उत्तर मान्य नही है क्योंकि अल्कोहल के कम उत्पादन के कारण शासन को राजस्व से वंचित होना पड़ा।

3.3 कुल अपचायक शर्करा (टी.आर.एस.) के मार्गस्थ छीजन से राजस्व क्षति

उत्तर प्रदेश आबकारी नियमावली के अनुसार शीरे के कुल अपचायक शर्करा (टी.आर. एस.) पर कोई मार्गस्थ छीजन अनुमन्य नही है जबकि आबकारी आयुक्त के परिपत्र दिनांक मई 1995 के अनुसार टी.आर.एस.में अधिकतम 12 प्रतिशत अकिण्वीय शर्करा

[9] धामपुर आसपनी, धामपुर, के.एम.चीनी मिल्स एवं आसवनी, मसौधा, फैजाबाद और मोहन मीकीन आसवनी, लखनऊ।

दिनांक मई 1995 के अनुसार टी.आर.एस.में अधिकतम 12 प्रतिशत अकिण्वीय शर्करा विद्यमान है तथा टी.आर.एस.के एक कुन्तल से 46.20 अल्कोहलिक लीटर स्प्रिट उत्पादित हो सकती है ।

चार आसवनियों♥ के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया (जून और नवम्बर 2002 के बीच) कि माह अप्रैल से जून 2002 के दौरान शीरे के परिवहन में टी. आर. एस. की हानि हुयी जो कि चीनी मिलों द्वारा जारी परिवहन पास में दर्शाये गये टी.आर. एस.की तुलना में एक से चार प्रतिशत के बीच थी जो अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत है जबकि आसवनों को 3069.01 कुन्तल टी.आर.एस. कम प्राप्त हुआ जिससे 141788.34 अ.ली.स्प्रीट का उत्पादन नही हो सका। इस प्रकार शासन को रू. 68.06 लाख आबकारी राजस्व से वंचित होना पड़ा । विवरण निम्नवत है

(लाख रूपये में)

इकाई का नाम	माह /वर्ष	निर्गत टी0 आर0 एस0 की मात्रा (कुन्तल में)	प्राप्त टी0 आर0 एस0 की मात्रा (कुन्तल में)	परिवहन के दौरान टी0 आर0 एस0 की मात्रा में हानि (कुन्तल में)	परिवहन के दौरान किण्वीय शर्करा की हानि (कुन्तल में)	मानक के अनुसार जो अल्कोहल उत्पादित हो सकता था(ए0 ली0 में)	आबकारी शुल्क @ रू0 48 प्रति ए0 एल0
जुविलेन्ट आगोंनिसिस जे.पी.नगर	4/2002	36,878.19	35,054.22	1,823.97	1,605.09	84,267.23	40.45
नेशनल इण्डस्टीयल कार्पोरेशन आसवनी मुरादाबाद	4/2002 व 5/2002	5,165.40	4,922.46	242.94	213.79	11,223.98	5.39
पिलखनी आसवनी सहारनपुर	4/2002 व 5/2002	14,685.74	13,864.83	820.91	722.40	37,926.00	18.20
रामपुर आसवनी रामपुर	6/2002	2,838.74	2,657.55	181.19	159.45	8,371.13	4.02
	योग:	**59,568.07**	**56,499.06**	**3,069.01**	**2,700.73**	**1,41,788.34**	**68.06**

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने के बाद विभाग और शासन ने कहा (सितम्बर 2004) कि आबकारी विभाग के प्रयोगशाला के द्वारा टी.आर.एस.की श्रेणी में भिन्नता की जांच की जा सकती है जो अन्तिम होगा। जबकि आसवकों को टी.आर.एस.की श्रेणी में भिन्नता के लिये नोटिस जारी की गयी थी। अग्रेतर कार्यवाही अपेक्षित है (नवम्बर 2004)।

♥ जुबिलेन्ट आर्गोनिसिस लि. जे.पी..नगर, नेशनल इण्डस्टीलयल कार्पोरेशन लि. आसवनी मुरादाबाद, पिलखनी आसवनी, सहारनपुर और रामपुर आसवनी, रामपुर

अध्याय–4 वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

लेखा परीक्षा में वर्ष 2003–2004 के दौरान परिवहन विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 366 मामलों में 22.83 करोड़ रूपये की धनराशि के करों/ शुल्कों का कम लगाया जाना या न लगाया जाना प्रकाश में आया, जो मुख्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:

(करोड़ रूपये में)

क्रम संख्या	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	यात्रीकर / अतिरिक्त यात्रीकर का कम लगाया जाना/ न लगाया जाना	190	17.66
2.	मार्ग कर एवं मालकर का कम लगाया जाना	25	0.38
3.	अन्य अनियमितताऐं	151	4.79
	योग	**366**	**22.83**

वर्ष 2003–2004 के दौरान विभाग ने कम निर्धारण आदि के 10 मामलों में निहित 41.86 लाख़ रूपये स्वीकार किये ।

उदाहरणार्थ कुछ मामले जिनमे 72.39 लाख रूपया निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये है:

4.2 अस्थायी परमिट फीस का कम आरोपण

मोटरयान कराधान अधिनियम 1988 और उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम मे प्रावधान है कि विशेष अवसरों यथा धार्मिक जमावड़ा, शादी पार्टियॉ और पर्यटक दलों के यात्रियों को ढोने के लिये प्रयुक्त वाहनों को अस्थायी परमिट दिया जाता है। दिसम्बर 1998 के शासन की विज्ञप्ति के द्वारा अस्थायी परमिट के लिये प्रति परमिट तीन दिन के लिये, न्यूनतम शुल्क 110 रूपये से बढ़ाकर 300 रूपये कर दिया गया।

उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय बहराइच के अभिलेखों की जॉच में यह प्रकाश में आया कि अप्रैल 1999 से सितम्बर 2002 की अवधि के दौरान विभाग द्वारा पूर्व संशोधित दर पर 3130 अस्थायी परमिट जारी हुये। इस प्रकार परमिट शुल्क के कम आरोपण के कारण विभाग को रू. 5.95 लाख के राजस्व से वंचित होना पड़ा ।

मामला विभाग तथा शासन (फरवरी 2003) को प्रतिवेदित किया गया उनके उत्तर प्राप्त नही हुये हैं (नवम्बर 2004)

4.3 अतिरिक्त कर का अनिर्धारण

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम के प्रावधानों एवं 21 नवम्बर 1996 को जारी अधिसूचना के अन्तर्गत मैक्सी कैब वाहनों पर 2350 रूपया प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त कर निर्धारित किया गया था जो 9 नवम्बर 1998 से 4500 रूपये प्रति तिमाही प्रति गाड़ी, 10 मार्च 2000 से 4950 रूपये प्रति तिमाही और 6 अक्टूबर 2001 के बाद 10000 रूपये प्रति तिमाही संशोधित कर दिया गया।

10 सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[λ] के अभिलेखों के नमूने जांच में यह प्रकाश में आया कि अप्रैल 1998 से मार्च 2003 की अवधि के दौरान चल रहे 152 मैक्सीकैब वाहनों पर न तो पुराने दर और न ही नये दर पर अतिरिक्तकर निर्धारित किया गया। इसके फलस्वरूप रू. 59.24 लाख का अतिरिक्त कर का निर्धारण नही हुआ।

λ सम्भागीय परिवहन कार्यालय इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय कौषाम्बी, मथुरा, चित्रकूट, बाराबंकी, बहराइच, प्रतापगढ़ और औरैया

मामले विभाग और शासन (मई 2002 और जनवरी 2004 के मध्य) को प्रतिवेदित किये गये उनके उत्तर प्राप्त नही हुये (नवम्बर 2004)

4.4 अर्थदण्ड के अनारोपण से राजस्व क्षति

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अनुसार अस्थायी परमिट से आच्छादित राज्य के बाहर की अधिकारिता वाला कोई भी परिवहन यान राज्य में कर या अतिरिक्त कर का भुगातन किये बिना संचालित नही होगा। यदि ऐसा कोई यान कर या अतिरिक्त कर के भुगतान किये बिना राज्य में संचालित पाया जाता है तो, उस पर देय कर या अतिरिक्त कर के 10 गुना के बराबर शास्ति प्रभारित होगी ।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय फैजाबाद और उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय कुशीनगर के अभिलेखों के नमूने जॉच में यह प्रकाश में आया कि विभाग के प्रवर्तन दल ने जनवरी 2001 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान राज्य के बाहर की अधिकारिता वाले 13 वाहनों को बिना राज्य के कर का भुगतान किये राज्य में संचाालित पाया। यद्यपि विभाग ने उनसे 0.72 लाख रूपये कर एवं अतिरिक्त कर वसूल किये फिर भी 7.20 लाख रूपये शास्ति प्रभारित करने में असफल रहा, जिससे 7.20 लाख रूपये की राजस्व क्षति हुयी ।

मामला विभाग/शासन को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2002 और मई 2003) उनके उत्तर प्राप्त नही हुये (नवम्बर 2004)।

अध्याय–5 अन्य कर प्राप्तियॉ

5.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–04 के दौरान लेखा परीक्षा में संबंधित विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 1435 मामलों में 498.50 करोड़ रूपये कम वसूली या राजस्व हानि का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते है ।

(करोड़ रूपये में)

क.सं.	श्रेणियॉ	मामलों की संख्या	धनराशि
	स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन फीस		
1.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन फीस का कम आरोपण	1,147	39.74
2.	गलत वर्गीकरण के कारण कम आरोपण	114	187.59
3.	पट्टा अविध की गलत संगणना	48	1.09
4.	अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनारोपण	4	90.13
5.	स्टाम्प शुल्क की वसूली न होना	21	0.63
6.	अन्य अनियमिततायें	8	0.01
7.	स्टाम्प शुल्क पर समीक्षा	1	173.66
	योग	**1,343**	**492.85**
	भू राजस्व		
1.	संग्रह प्रभारों का न / कम लगाया जाना	47	3.19
2.	किसानबही की आपूति के लिये फीस का न वसूला जाना	8	0.30
3.	भू राजस्व का न / कम लगाया जाना	17	1.72
4.	अन्य अनियमिततायें	20	0.44
	योग	**92**	**5.65**
	कुल योग	**1,435**	**498.50**

वर्ष 2003–04 के दौरान विभाग द्वारा 80 मामलों में 47 लाख रूपये के अवनिर्धारण आदि के मामले स्वीकार किये गये जिसमें से 47 मामलों में 6.32 लाख रूपये की वसूली की गयी।

286.76 करोड़ रूपये वित्तीय प्रभाव के कुछ निदर्शी मामलें तथा **'स्टाम्प शुल्क'** पर समीक्षा अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है ।

5.2 स्टाम्प शुल्क पर समीक्षा

मुख्य अंश

- वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा प्रदत्त, वर्ष 1993–94 से 2002–03 की प्राप्तियों के आकड़ों में 133.63 करोड़ रूपये का अन्तर पाया गया ।

(प्रस्तर 5.2.6)

- भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक से प्राप्त अधिक एवं कम स्टाम्पों, कमशः 390 करोड़ तथा 807.90 करोड़ रूपये के अन्तर का वर्ष 1993 से 2003 के दौरान कोई मिलान नही किया गया ।

(प्रस्तर 5.2.8)

- कोषागारों द्वारा बिकीत स्टाम्प पेपरों का निबंधन विभाग में दिखाये गये रजिस्टर्ड स्टाम्प पेपरों के मूल्य से प्रतिसत्यापन करने पर 46 जनपदों में विलेखों के निष्पादन में 404.68 करोड़ रूपये मूल्य के स्टाम्प पेपरों का और 18 जनपदों में 48.17 करोड़ रूपये मूल्य के जूडिसियल स्टाम्प का अधिक उपयोग पाया गया।

(प्रस्तर 5.2.9)

- अन्य राज्यों में स्थित अनाधिकृत अभिकरणों से बीमा स्टाम्प के अर्जन से राज्य सरकार को रू. 19.03 करोड़ की राजस्व क्षति।

(प्रस्तर 5.2.11)

- आन्तरिक नियन्त्रण के सर्वथा अभाव ने कोषागार की बिक्री से अधिक स्टाम्प पेपरों के उपयोग को आसान बना दिया।

(प्रस्तर 5.2.14)

प्रस्तावना

5.2.1 भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 सपठित उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली 1942 एवं शासन द्वारा समय समय पर निर्गत विज्ञप्तियों में अधिनियम की सूची में विशेषीकृत विभिन्न प्रकार के विलेखों/सम्व्यवहार पत्रो पर स्टाम्प शुल्क के आरोपण का प्रावधान है । स्टाम्प शुल्क का भुगतान या तो उचित मूल्य वर्ग के मुद्रांकित स्टाम्प या टिकट (लेवल) के रूप में उपलब्ध एडेसिव स्टाम्प का उपयोग करके किया जाता है, स्टाम्पों की अस्थायी कमी या वांछित मूल्य वर्ग के स्टाम्पों के अनुपलब्धता की स्थिति में, यदि जिलाधिकारी सन्तुष्ट हो, तो अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क का भुगतान कोषागार में नकद भी किया जा सकता है। स्टाम्प कोषागारों द्वारा भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय केन्द्रीय मुद्रांक भण्डार नासिक से प्राप्त किया जाता है जो उसे वेण्डरों या सीधे व्यक्तियों को बेचता है। स्टाम्पों की आपूर्ति हेतु वार्षिक अनुमान पत्र एवं त्रैमासिक मांग पत्र प्रेषित करने के लिये राजस्व परिषद नोडल प्राधिकारी है। निबंधन महानिरीक्षक जो अपर सचिव राजस्व परिषद का भी नोडल प्राधिकारी है, कोषागारों एवं स्टाम्प उपभोक्ता विभागों के आवर्ती निरीक्षण के लिये उत्तरदायी है। वस्तुतः स्टाम्प की मांग आपूर्ति प्रबंधन एवं नियन्त्रण हेतु राजस्व परिषद सर्वांगीण रूप से उत्तरदायी है। स्टाम्प अर्जन हेतु "11 कोषागारों"[४] को नोडल कोषागार नियुक्त किया गया है, जो स्टाम्पो को प्राप्त करके स्थानीय विक्रय के अतिरिक्त, मण्डल स्तर पर अधीनस्थ कोषागारों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप अन्तरण भी करते है।केवल कानपुर कोषागार को 5000 रूपये एवं इससे अधिक मूल्य वर्ग के स्टाम्प को प्राप्त करने एवं वितरण हेतु प्राधिकृत किया गया है ।

संगठनात्मक ढांचा

स्टाम्प एवं स्टाम्प पेपरों की मांग, प्राप्ति तथा विक्रय की समग्र प्रकिया परिशिष्ट ix में प्रवाह रेखाचित्र में प्रदर्शित है ।

5.2.2 निबंधन महानिरीक्षक/स्टाम्प आयुक्त/आयुक्त/अपर सचिव राजस्व परिषद स्टाम्प एवं निबंधन विभाग के प्रशासनिक प्रमुख है। उन्हें मण्डल स्तर पर 15 उपमहानिरीक्षक (निबंधन)/उपायुक्त स्टाम्प, जनपद स्तर पर 56 सहायक महानिरीक्षक (निबंधन)/सहायक आयुक्त (स्टाम्प), 70 जिला, स्टाम्प अधिकारी/जिला निबंधक तथा तहसील स्तर पर 461 उपनिबंधकों का सहयोग प्राप्त है। जिलाधिकारी, जिला स्टाम्प अधिकारी के माध्यम से वेण्डरो को स्टाम्प के क्रय विक्रय हेतु लाइसेन्स जारी करते है। कोषागार जो स्टाम्पों के भण्डार एवं बिक्री के रूप में नामित है, कोषागार निदेशक के अधीन कार्य करते हैं। संगठनात्मक रेखा चित्र प्रकार्यो सहित परिशिष्ट–x में प्रदर्शित है।

लेखापरीक्षा का कार्य क्षेत्र

5.2.3 यह समीक्षा फरवरी 2004 से अगस्त 2004 तक सम्पन्न की गयी जिसमें 28[♣] जिलों के स्टाम्प एवं निबंधन विभाग तथा कोषागारों से सम्बन्धित वर्ष 1993–94 से

[४] इलाहाबाद, आगरा, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी।

[♣] आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, बिजनौर, बागपत, बाराबंकी, चित्रकूट, देवरिया, फैजाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोरखपुर, जी.बी.नगर, हमीरपुर, कानपुर, कन्नौज, खेरी, लखनऊ, मेरठ, मैनपुरी, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सोनभद्र, सन्तकबीरनगर, सतापुर, शाहजहांपुर ।

2002–03 की अवधि के लेखों का नमूना जांच किया गया। कोषागार से विक्रीत स्टाम्प पत्रों के मूल्य एवं निबंधन विभाग में निबंधित स्टाम्प पत्रों के मूल्य में भिन्नता की सीमा निर्धारित करने के लिये, वर्ष 1993–94 से 2002–03 तक के दस वर्षो के सांख्यिकीय आंकड़े संग्रहीत किये गये। इसी प्रयोजन हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) तथा न्याय विभाग से भी आंकड़े प्राप्त किये गये ।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

5.2.4 आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता का पता लगाने के अतिरिक्त स्टाम्प की मांग विक्रय एवं उपयोग हेतु विभाग द्वारा अपनायी गयी प्रणाली एवं प्रक्रिया की प्रभावकारिता तथा विभाग की कार्यकुशलता का मूल्यांकन करने के लिये एक समीक्षा सम्पन्न की गयी कि:–

- किस प्रकार स्टाम्पो की वार्षिक मांग का निर्धारण किया गया ।
- क्या कोषागारों को/से स्टाम्पों की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी गयी ।
- स्टाम्पों की आवश्यकता का निर्धारण, मांग पत्र तैयार करने, स्टाक का विक्रय लेखा आदि, की प्रणाली में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई है तो पता लगाना ।
- स्टाम्प शुल्क में किसी प्रकार के राजस्व रिसाव का पता लगाना ।

राजस्व रूझान

5.2.5 वर्ष 1998–99 से 2002–03 तक के वजट अनुमान एवं वास्तविक प्राप्तियों की स्थिति निम्नवत है:

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	वजट अनुमान	वास्तविक	कमी	कमी का प्रतिशत
1998-1999	1,350.00	1,031.78	318.22	23.57
1999-2000	1,450.00	1,177.57	272.43	18.79
2000-2001	1,472.42	1,269.75	202.67	13.77
2001-2002	1,750.50	1,429.29	321.21	18.35
2002-2003	2,084.04	2,078.68	5.36	0.26

उपर्युक्त विवरण से देखा जा सकता है कि सभी वर्षो में वजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियॉ कम है और यह कमी 23.59 से 0.26 प्रतिशत के बीच हैं। कमी के कारणों को हालांकि पूछा गया परन्तु उत्तर प्राप्त नही हुये (नवम्बर 2004)।

वित्त लेखों में प्रदर्शित एवं विभागीय राजस्व प्राप्ति (वास्तविक) के आंकड़ों के बीच विसंगतियॉ

5.2.6 विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार वर्ष 1993–94 से 2002–03 तक 10849.70 करोड़ रूपये की राजस्व वसूली हुयी जबकि वित्त लेखों के अनुसार विभाग द्वारा राजस्व की वसूली रूपये 10716.07 करोड़ थी जैसा कि विवरण निम्नवत है ।

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	विभाग के अनुसार राजस्व प्राप्तियॉ	वित्त लेखों के अनुसार राजस्व प्राप्तियॉ	अन्तर कमी (–)आधिक्य(+)
1993-94	521.62	531.62	(+) 10.00
1994-95	631.00	631.54	(+) 0.54
1995-96	751.82	734.78	(-) 17.04
1996-97	882.40	875.06	(-) 7.34
1997-98	972.70	956.00	(-) 16.70
1998-1999	1,074.61	1,031.78	(-) 42.83
1999-2000	1,239.44	1,177.57	(-) 61.87
2000-2001	1,264.01	1,269.75	(+) 5.74
2001-2002	1,473.88	1,429.29	(-) 44.59
2002-2003	2,038.22	2,078.68	(+) 40.46
योग	**10,849.70**	**10716.07**	**(-) 133.63**

उपरोक्त सारणी से पता चलता है कि या तो 133.63 करोड़ रूपये का विक्रय राजकीय लेखों में शामिल नही किया गया या कोषागार चालान बैंकों के माध्यम से प्रेषित नही किये गये, अतः विक्रय धनराशि का राजकीय लेखों में अवलेखीकरण की सम्भावना से इनकार नही किया जा सकता ।

आवश्यकता के लिये मांग का अवास्तविक निर्धारण एवं स्टाम्पों की कम आपूर्ति

5.2.7 स्टाम्प आयुक्त ने विभिन्न प्रकार के स्टाम्प की आवश्यकता निर्धारित करने के लिए तथा स्टाम्प आयुक्त को त्रैमासिक मांगपत्र प्रेषित करने के लिये राज्य में मण्डल स्तर पर "11 कोषागारों को नोडल कोषागार नामित किया है। स्टाम्प आयुक्त इन कोषागारों से प्राप्त मांग पत्रों को समेकित रूप में भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक को इस निर्देश सहित प्रेषित करता है कि मांगपत्र के अनुसार स्टाम्प इन नोडल कोषागारों को सीधे आपूर्ति करें। भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय 5000 रूपये एवं इससे अधिक मूल्य वर्ग के स्टाम्प की आपूर्ति केवल कानपुर कोषागार को करता है, जहां से अन्य 10 नोडल कोषागारों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप स्टाम्प अन्तरित किये जाते है। इसी प्रकार प्रत्येक नोडल कोषागार अपने मण्डल के सभी कोषागारों को आवश्यकतानुसार स्टाम्प अन्तरित करते है।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली के अनुसार कोषागारों से प्राप्त वार्षिक पूर्वानुमान पत्र समेकित रूप में अपर सचिव राजस्व परिषद द्वारा प्रतिवर्ष 15 जून तक भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक को भेजा जायेगा। सभी पूर्वानुमान पत्रों में प्रत्येक मूल्य वर्ग के स्टाम्प पृथक स्तम्भ में, चाहे आपूर्ति वांछित हो या नही, गत तीन वर्षो में प्रति वर्ष निर्गत वास्तविक मात्रा, गत तीन वर्षो पर आधारित औसत उपयोग की मात्रा, प्रतिवर्ष एक अप्रैल को अधिशेष, चालू वर्ष के लिये अनुमानित निर्गमन एवं आगामी वर्ष में केन्द्रीय स्टाम्प भण्डार द्वारा अपेक्षित आपूर्ति की मात्रा प्रदर्शित की जायेगी। उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली के अनुसार नोडल कोषागारों द्वारा गत वर्ष के उपयोग के आधार पर त्रैमासिक मांग पत्र अपर सचिव राजस्व परिषद को समय से प्रेषित कर देना चाहिये।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि राजस्व परिषद द्वारा कोई वार्षिक पूर्वानुमान पत्र तैयार करके केन्द्रीय स्टाम्प भण्डार को नहीं भेजा गया। नोडल कोषागारों ने त्रैमासिक मांग पत्र समय से प्रस्तुत किये किन्तु ये भी निर्धारित प्रकिया पर आधारित नही थे। परिषद ने वर्ष 2000–01 से पूर्व के मांग के आंकड़े उपलब्ध नही कराये जिससे ज्ञात होता है। कि इस महत्वपूर्ण प्रलेख को कभी भी तैयार ही नही किया गया जैसा कि अगले पृष्ठ की सारणी से स्पष्ट है। मांग पत्र गत वर्ष के उपयोग की मात्रा पर आधारित नही थे। पुनश्च राजस्व परिषद ने भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक को वृहत मात्रा में आपूर्ति हेतु मांग पत्र भेजे जबकि कि कोषागारों में पर्याप्त स्टाम्प भण्डार उपलब्ध थे, जिसके कारण मांग एवं आपूर्ति की समस्त प्रकिया निरर्थक सिद्ध हुयी। विभाग ने पूर्वानुमान पत्र न भेजने की गलती स्वीकार की।

जैसा कि अधोलिखित सारणी मे देखा जा सकता है कि राजस्व परिषद द्वारा प्रदत्त मांग पत्र के आंकड़ों एवं भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय से पूर्ति के आंकड़ों में कोई तालमेल नही है। इससे ज्ञात होता है कि विभाग ने कोई मिलान नहीं किया तथा मांग एवं आपूर्ति प्रबंधन के विषय में विभाग तथा भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय के बीच कोई तालमेल नही था ।

आयुक्त स्टाम्प द्वारा भेजे गये मांगपत्र की प्रतियों एवं भारतीय प्रतिभूति द्वारा अपने विवरण की 1993–94 से 2002–03 अवधि के दौरान, मांग की प्रमात्रा एवं आपूर्ति के मिलान से प्रकट हुआ कि आयुक्त द्वारा भेजे गये मांग के सापेक्ष आपूर्ति में 26 से 48 प्रतिशत भिन्नता थी, जबकि भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा प्रदर्शित मांग की प्रमात्रा एवं आपूर्ति से तुलना करने पर 10 से 94 प्रतिशत भिन्नता थी और स्टाम्प पत्रों के उपयोग एवं आपूर्ति की तुलना करने पर 47 से 160 प्रतिशत तक भिन्नता थी।

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	भा.प्र.मु.के अनुसार मांग	रा.प.के अनुसार मांग	स्तंभ 2,3 का अन्तर	भा.प्र.मु.द्वारा आपूर्तित स्टाम्प मूल्य	राज्य में प्रयुक्त स्टाम्प मूल्य	प्रारम्भिक अवशेष	अन्तिम अवशेष
1993-94	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		अनुपलब्ध.	531.62	742.86	576.88♦
1994-95	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध		अनुपलब्ध.	631.54	532.34♦	370.14♦
1995-96	5,304.34	अनुपलब्ध		1,162.23	734.78	393.42♦	970.01♦
1996-97	5,227.24	अनुपलब्ध.		573.63	875.06	909.88♦	953.45♦
1997-98	4,553.09	अनुपलब्ध.		1,490.84	956.00	945.27♦	1,620.12♦
1998-99	2,345.70	अनुपलब्ध.		743.30	1,031.78	1,654.16♦	1,681.23♦
1999-00	1,762.94	अनुपलब्ध		1,668.25	1,177.57	1,719.97♦	2,387.17
2000-01	1,885.40	2,045.00	(-)159.60	602.49	1,269.75	2,387.17	2,003.78
2001-02	4,569.50	4,571.30	(-) 1.80	1,190.58	1,429.29	2,002.16	2,013.94
2002-03	7,049.64	6,916.63	133.01	3,317.38	2,078.68	2,013.94	3,459.52

भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय से स्टाम्पों का मिलान न किया जाना

5.2.8 उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली के अनुसार नोडल कोषागारों को स्टाम्पों की प्राप्ति से 15 दिन के अन्दर प्राप्ति के समर्थन में बीजक की दूसरी प्रति पावती सहित भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय को भेज दिया जाना चाहिये। किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर स्थानीय डिपो प्रभारी द्वारा भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय के भेजने के पहले बीजक की प्रति पर लाल स्याही से कमी उल्लेख करते हुये एक प्रमाण संलग्न करना चाहिये जिसमे बीजक का क्रमांक एवं तिथि तथा भिन्नता का पूर्ण विवरण दर्ज किया जाना चाहिये। सभी नोडल कोषागारों के अभिलेखों की नमूना जांच परीक्षण से प्रकट हुआ कि भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा सूचित स्टाम्प पत्रों की आपूर्ति के आंकड़ों एवं कोषागार में वास्तविक प्राप्ति के आंकड़ों में बहुत अधिक भिन्नता थी। विवरण निम्नवत है।

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	भा.प्र.मु.द्वारा सूचित स्टाम्प मूल्य	नोडल कोषागार में वास्तविक प्राप्ति	अन्तर
1993-94	अनुपलब्ध	178.06	
1994-95	अनुपलब्ध	224.34	
1995-96	1,162.23	765.81	(-)396.42
1996-97	573.63	668.06	(+) 94.43
1997-98	1,490.84	1,624.06	(+) 133.22
1998-99	743.30	860.81	(+) 117.51
1999-00	1,668.25	1,592.76	(-) 75.49
2000-01	602.49	647.33	(+) 44.84
2001-02	1,190.58	1,040.06	(-)150.52
2002-03	3,317.38	3,131.91	(-)185.47
		योग	**(+) 390.00** **(-)807.90**

अभिलेखों के परीक्षण में आगे यह ज्ञात हुआ कि कोषागारों ने स्टाम्पों की प्राप्ति के समर्थन में बीजक की प्रति, 20 दिन से 700 दिन तक विलम्ब से भेजी। इलाहाबाद कोषागार ने तो जुलाई 2001 की प्राप्ति की पावती लेखा परीक्षा तिथि तक नही भेजी थी। इसके कारण 58 करोड़ रूपये के आंकड़ों का समाधान नही हो पाया। भारतीय

♦ अन्तिम अवशेष एवं प्रारम्भिक अवशेष में भिन्नता प्लस माइनस मेमोरैन्डा में प्राप्त विसंगतियों एवं अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण है।

प्रतिभूति मुद्रणालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से सत्यापन के अनुसार वर्ष 2001–02 से 2002–03 के बीच कोषागारों ने किसी मार्गस्थ हानि को सूचित नही किया था ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय को कभी भी अधिक या कम प्राप्ति के लिये सूचित नही किया गया और अन्तर के समाधान का भी कोई प्रयास नही किया गया जिसके परिणामस्वरूप अधिक व कम स्टाम्पों की प्राप्ति कमशः 390 करोड़ रूपये व 807.90 करोड़ रूपये हुयी।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित करने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार करते हुये बताया (अक्टूबर 2004) कि कोषागार निदेशक से भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक से मिलान हेतु निवेदन किया गया है। अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

5.2.9 विक्रय के सापेक्ष स्टाम्प का अधिक उपयोग

- **सामान्य स्टाम्प पेपर (पंजीकृत)**

उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली के अनुसार कोषागारों द्वारा स्टाम्प एवं स्टाम्प्ड पेपरों की विक्रय की स्थति निबंधन महानिरीक्षक को प्लस माइनस मेमोरैन्डम के माध्यम से प्राप्त होती है जिला निबंधक/उपनिबंधक भी संग्रहीत स्टाम्प शुल्क की वार्षिक आख्या उपलब्ध कराते हैं लेकिन निबंधन महानिरीक्षक स्तर पर स्टाम्प पेपरों विक्रय का उपनिबन्धक कार्यालयों में प्रयोग में आऐ स्टाम्पों के मिलान की कोई कार्यवाही नही की जाती जिससे कि फर्जी स्टाम्प पत्रों के उपयोग की जानकारी हो सके। 46 जनपदों में कोषागारों में विक्रीत स्टाम्प पत्रों के मूल्य का निबंधन विभाग में पंजीकृत विलेखों में प्रयुक्त स्टाम्प पत्रों के मूल्य से प्रति सत्यापन करने पर पाया गया किं कोषागार द्वारा बेचे गये स्टाम्प के सापेक्ष निबन्धन कार्यालयों ने 404.68 करोड़ रूपये के स्टाम्प पत्र का अधिक उपयोग किया गया। विवरण निम्नवत है। कोषागारवार विवरण परिशिष्ट XI में दिया गया है ।

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	कोषागार से विक्रय	निबंधन विभाग में उपयोग	आधिक्य
1993-94	91.16	108.46	17.30
1994-95	88.07	123.41	35.34
1995-96	130.31	175.81	45.50
1996-97	171.02	292.35	121.33
1997-98	130.01	167.60	37.59
1998-99	209.93	270.81	60.88
1999-00	141.54	149.64	8.10
2000-01	100.00	111.59	11.59
2001-02	189.86	238.07	48.21
2002-03	240.23	259.07	18.84
Total	**1492.13**	**1896.81**	**404.68**

चूंकि स्टाम्प का उपयोग पंजीकृत और गैर पंजीकृत दोनों प्रयोजनों हेतु किया जाता है अतः यदि अपंजीकृत विलेखों के मूल्य को भी शामिल कर लिया जाए तो यह अन्तर और भी बढ़ जायेगा। फर्जी स्टाम्प पेपरो के प्रयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर निबंधन महानिरीक्षक ने बताया कि प्रकरण की जांच की जायेगी और परिणाम से लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जायेगा।

- **सामान्य स्टाम्प पेपर (गैर पंजीकृत)**

गैर पंजीकृत स्टाम्प का उपयोग निबंधन विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में किया जाता है। लोक निर्माण खण्ड बस्ती के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि रू. 3.19 लाख रूपये के उपयोग किये स्टाम्प के विक्रय की कोई प्रविष्टि वेन्डर के विक्रय

रजिस्टर में नही थी, लगता है कि ये स्टाम्प पेपर कोषागार के बजाय किसी अन्य स्त्रोत से क्रय किये गये थे ।

इसे इंगित करने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार करते हुये बताया कि कार्यवाही की जा रही है (अक्टूबर 2004)। अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

- **जूडिसियल स्टाम्प**

जूडिसियल स्टाम्प के विषय में न्याय विभाग एक मात्र उपभोक्ता है। लेखा परीक्षा में 42 जनपदों के जनपद न्यायालयों से उपभोग के आंकड़े प्राप्त किये गये। जैसा की नीचे दिया गया है, 42 में से 18 जनपदों© में 1993–94 से 2002–03 के दौरान कोर्ट फीस स्टाम्प का उपयोग, विक्रय की तुलना में 48.17 करोड़ रूपये अधिक पाया गया।

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	जनपदों की संख्या	कोषागारों से विक्रय	न्याय विभाग में उपयोग	कोर्ट फीस स्टाम्पों का अधिक उपयोग
1993-94	4	1.12	11.39	10.27
1994-95	3	0.68	2.08	1.40
1995-96	4	2.18	3.72	1.54
1996-97	5	2.14	15.58	13.44
1997-98	2	3.22	3.44	0.22
1998-99	4	3.83	15.00	11.17
1999-00	7	4.93	7.34	2.41
2000-01	4	4.63	7.81	3.18
2001-02	4	4.52	6.53	2.01
2002-03	4	5.63	8.16	2.53
योग	**41**	**32.88**	**81.05**	**48.17**

कोर्ट फीस स्टाम्प विक्रय के सापेक्ष उपयोग का अधिक होना, फर्जी कोर्ट फीस स्टाम्प के सम्भावित प्रचलन की ओर संकेत करता है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार करते हुये बताया (अक्टूबर 2004)कि नकद जमा धनराशि के आंकड़े सूचित नही किये गये थे। अतएव स्टाम्पों के अधिक उपयोग को सुनिश्चित नही किया जा सका। उत्तर अमान्य है क्योंकि विभाग ने स्टाम्प शुल्क के नगद भुगतान की धनराशि नही बताया है।

- **प्लस माइनस मेमोरैन्डा में त्रुटियॉ**

प्लस माइनस मेमोरैन्डा एक ऐसी समेकित मासिक विवरणी है, जिसमें कोषागार में स्टाम्प की प्राप्ति विक्रय/अन्तरण के मासिक सम्व्यवहार दर्ज किये जाते हैं। चित्रकूट, रायबरेली और ललितपुंर कोषागारों के प्लस माइनस मेमोरैन्डा की जांच करने पर पाया गया कि कुछ वर्षो के अन्तिम अवशेष एवं आगामी वर्ष के प्रारम्भिक अवशेष में अन्तर था। जबकि किसी वर्ष का अन्तिम अवशेष आगामी वर्ष का प्रारम्भिक अवशेष हो जाता है। इस प्रकार स्टाम्प के भण्डार में 3.64 करोड़ रूपया को अवलेखन हुआ। विवरण निम्नवत है ।

(करोड़ रूपये में)

कोषागार का नाम	अन्तिम अवशेष (वर्ष)	प्रारम्भिक अवशेष (वर्ष)	अन्तर
चित्रकूट	4.61(2000-01)	3.00 (2001-02)	-1.61
रायबरेली	3.86(1997-98)	1.93(1998-99)	-1.93
ललितपुर	5.74(2000-01)	5.64(2001-02)	-0.10
योग			**-3.64**

इस संबंध में विभाग से कोई उत्तर प्राप्त नही हुआ ।

© इलाहाबाद, अलीगढ़, आजमगढ़ आगरा, बलिया, बुलन्दशहर, चित्रकूट, जे .पी.नगर, गाजियाबाद, गोरखपुर, हरदोई, मथुरा, महोबा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शाहजहांपुर, संतरविदास नगर, और सुल्तानपुर।

स्टाम्पों के परिवहन में अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण राजस्व हानि

5.2.10 उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली के अनुसार नान पोस्टल स्टाम्पों की स्टाम्प खेप सामान्यतया मालगाड़ी से बिना बीमा के भेजी जायेगी। आपात स्थिति में स्टाम्प सवारी गाड़ी से भी भेजे जा सकते है। शासनादेश के अनुसार, सितम्बर 1998 से स्टाम्पों का परिवहन सड़क मार्ग से किया जाने लगा। पुनः भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय से खेप रवाना होते ही वह राज्य सरकार की सम्पत्ति हो जाती है। अतः मार्ग में किसी प्रकार की हानि से सुरक्षा का पूर्ण दायित्व राज्य सरकार का ही होता है।

8 कोषागारों [#] के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि 20.74 करोड़ रूपये के स्टाम्पो/स्टाम्प पेपरों कें मार्ग में चोरी हो गये क्षतिपूर्ति के दावों को भी खारिज कर दिया गया। विभाग ने स्टाम्पों को नकद के समतुल्य न मान उनका परिवहन कागज/जूट के बोरों में बांध कर किया, जिससे चोरी/क्षति/तोड़फोड़ या कम प्राप्ति की घटनाओं के लिये आसानी से मौका मिला। विवरण निम्नवत है ।

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	मुद्रांक पत्र	राजस्व टिकट	न्याय शुल्क टिकट	शेयर अन्तरण टिकट	योग
93-94	0.85	0.001	0.003	-	0.854
94-95	0.41	0.001	0.10	-	0.511
95-96	2.46	-	0.11	-	2.57
96-97	6.66	0.001	0.02	-	6.681
97-98	2.75	0.15	-	-	2.90
98-99	3.94	0.45	0.76	0.32	5.47
99-00	1.32	-	-	-	1.32
01-02	0.006	-	-	-	0.006
02-03	0.43	-	-	-	0.43
योग (अ)	**18.826**	**0.603**	**0.993**	**0.320**	**20.742**

विभाग ने अनियमितता स्वीकार की तथा कोषागार निदेशक को इस संबंध में की गयी कार्यवाही को सूचित करने के लिये अक्टूबर 2004 में अनुदेश जारी किये ।

अन्य राज्यों में अवस्थित अनाधिकृत अभिकरणों से बीमा स्टाम्प क्रय करने से राजस्व हानि

5.2.11 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 268 में प्रावधान है कि बीमा स्टाम्प राज्य के अन्दर से ही ग्रहण किया जाए। भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वर्ष 1994–95 से 2002–03 के दौरान 19.03 करोड़ रूपये के विभिन्न मूल्य वर्ग के स्टाम्प अन्य राज्यों में अवस्थित अनाधिकृत अभिकरणों से क्रय करके पालिसियों में उपयोग किये गये जिससे राज्य को 19.03 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति हुयी विवरण निम्नवत है

(करोड़ रूपये में)

विक्रेता का नाम	94-95	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	01-02	02-03	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जी.जी.गुडेली (पूना)	-	-	-	-	0.19	0.87	0.99	-	-	2.05
पी.एच.गोडिया (पूना)	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.07
एन.पी.गोर (पूना)	-	-	-	-	0.10	-	-	-	0.22	0.32
राजेश के तत्कार (पूना)	-	-	-	-	0.39	0.75	0.90	0.36	-	2.40

[#] इलाहाबाद, आगरा, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, वाराणसी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
वी.एस. उपाल्कर (मुम्बई)			0.10	0.87	0.79	1.16	2.36	0.32	-	5.60
सोमल इण्टर प्राइजेज (पूना)	0.12	0.03	0.10	0.61	0.60	0.31	0.06	-	-	1.83
यू.एस.वलाल (शोलापुर)	0.21	0.01	-	0.20	-	-	-	0.12	-	0.54
एम.ए.फूलवाले	-	-	0.25	0.55	0.23	0.07	0.10	0.04	-	1.24
अमोल इण्टरप्राइजेज (पूना)	0.94	0.80	112	-						2.86
मण्डल कार्यालय मेरठ	-	-	-	0.35	0.43	0.39	0.71	0.24	-	2.12
योग	**1.27**	**0.84**	**1.57**	**2.58**	**2.73**	**3.55**	**5.12**	**1.15**	**0.22**	**19.03**

आगे जांच में पाया गया कि दो प्रकरणों में विक्रय के आंकड़े उन वेण्डरों द्वारा अर्जित किये गये आंकड़ों से मेल नही खाते थे ।

लेखा परीक्षा की आपत्ति को विभाग ने स्वीकार करते हुये बताया (अक्टूबर 2004) कि बीमा कम्पनियों को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिये गये कि वे राज्य में स्थित अधिकृत विक्रेताओं से ही स्टाम्प खरीदें तथा दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायें। प्रकरण की अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

वेण्डर के विक्रय रजिस्टर में अनियमितताएँ

5.2.12 उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली के अनुसार प्रत्येक लाइसेन्सी वेण्डर निर्धारित प्रपत्र पर एक विक्रय रजिस्टर रखेगा जिसमें वह प्रत्येक सम्व्यवहार का विस्तृत विवरण अंकित करेगा। वह स्टाम्प के पृष्ठ पर विक्रय पंजी का क्रमांक, स्टाम्प का मूल्य शब्दों में, क्रेता वल्दियत का नाम व पता, विलेख की प्रकृति एवं प्रयोजन पृष्ठांकित करेगा ।

- निबन्धन विभाग में पंजीकृत विलेखों में प्रयुक्त स्टाम्प पेपरो पर विवरणों का वेण्डर[ह] विक्रय रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियों से मिलान करने पर पाया गया कि कुछ क्रमांक विशेष पर कम मूल्य के स्टाम्प पेपर का विक्रय दिखाया गया था। कुछ प्रकरणों में निबंधन विभाग में प्रयुक्त स्टाम्प पेपर की प्रविष्टि वेण्डर के विक्रय रजिस्टर में ही नही पाया गया। एक ही क्रमांक पर एक से अधिक क्रेताओं का विक्रय दिखाया गया था। विवरण निम्नवत है:

जनपद	विक्रय पंजी में अप्रविष्ट स्टाम्प का मूल्य	एक क्रमांक पर एक से अधिक क्रेताओं को विक्रीत स्टाम्प का मूल्य	विक्रय रजिस्टर में कम मूल्य के दिखाये गये स्टाम्प का मूल्य	योग (रूपये में)
अलीगढ़	8,920	-	-	8,920
वाराणसी	37,250	-	-	37,250
मुरादाबाद	41,820	-	68,700	1,10,520
बरेली	500	-	1,700	2,200
लखनऊ	10,720	-	-	10,720
कानपुर नगर	1,400	-	7,550	8,950
आगरा	-	9,060	-	9,060
जी.बी.नगर	-	31,550	18,100	49,650
मेरठ	-	-	15,230	15,230
मुजफ्फरनगर	-	-	10,290	10,290
बस्ती	3,18,721			3,18,721
योग	**4,19,331**	**40,610**	**1,21,570**	**5,81,511**

[ह] वेण्डर वाइस विवरण उपलब्ध नहीं थे।

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 17 के अन्तर्गत भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जाने वाले समस्त विलेख जिन पर स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है उन्हें निष्पादन तिथि को या उसके पूर्व यथाविधि मुद्रांकित किया जाना अनिवार्य है। लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि . 19.83 लाख रूपयै के स्टाम्प पेपर, सम्बन्धित विलेख के निष्पादन तिथि के बाद क्रय किये गये। जिससे लगता है कि ये वास्तव में फर्जी थे। विवरण निम्नवत है

उपनिबंधक	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	योग (रूपये)
एस.आर.II अलीगढ़					(2)-8000	(2)-8000
एस.आर.II, बुलन्द शहर					(4)-66700	(4)-66700
एस.आर.हाथरस	(1)-8900	(2)-2420		(2)-17280	(1)-100	(6)-28700
एस.आर. सिकन्द्रराराउ			(2)-13700		(2)-46800	(4)-59500
एस.आर.बदायूँ			(1)-5360	(8)-52600	(6)-19040	(15)-77000
एस.आर.I नोयडा				(3)-65270	(4)-99500	(7)-164770
एस.आर.II नोयडा				(6)-548650	(8)-369310	(14)-917960
एस.आर.III नोयडा			(1)-16650	(20)-509780		(21)-526430
एस.आर दादरी			(1)-600	(8)-118223		(9)-118830
एस.आर फैजाबाद					(1)-15000	(1)-15000
एस.आर उन्नाव		(1)-100				(1)-100
योग	(1)-8900	(3)-2520	(5)-36310	(47)-1311810	(29)-623550	(85)-1983090
नोट– कोष्ठक में प्रदर्शित अंक विलेखों की संख्या बताते है ।						

- उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली के अनुसार लाइसेन्सी वेण्डर जनता के किसीं व्यक्ति को एक विलेख या सम्व्यवहार, जैसा मामला हो के लिये कुल मिलाकर 15000 रूपये की सीमा तक के कोर्ट फीस या नान जूडिसियल स्टाम्प विक्रय करने के लिये ही अधिकृत है। लेखा परीक्षा द्वारा बरेली जनपद में इस विक्रय सीमा का अतिक्रमण पाया गया जहां 14 वेण्डरों ने निर्धारित सीमा से अधिक 128720 रूपये (रू. 338720–रू. 210000) के स्टाम्प पेपर का विक्रय किया। विवरण निम्नवत है:

वर्ष	प्रकरणों की संख्या	प्रत्येक प्रकरण में विक्रीत स्टाम्प पेपर का मूल्य	निर्धारण सीमा (प्रकरण x रू.15000)	आधिक्य (रूपये में)
1998-99	2	44,000	30,000	14,000
1999-00	1	17,000	15,000	2,000
2000-01	1	17,000	15,000	2,000
2001-02	2	33,100	30,000	3,100
2002-03	8	2,27,620	1,20,000	1,07,620
योग	**14**	**3,38,720**	**2,10,000**	**1,28,720**

लेखा परीक्षा द्वारा आपत्ति इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार करते हुये बताया (अक्टूबर 2004) कि जिला स्टाम्प अधिकारियों को अनियमितताओं के निराकरण हेतु निर्देश जारी किया जा चुका है। अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

प्रकियागत कमियॉ

5.2.13 जिला स्टाम्प अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध वेण्डरो के विक्रय लेखों एवं निबंधन विभाग के अभिलेखों के प्रतिसत्यापन करने पर निम्नलिखित प्रकियात्मक अनियमितताएं पायी गयी ।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प नियमावली के नियम 178 के अनुसार प्रत्येक वेण्डर विक्रीत स्टाम्प पेपर के पृष्ठ पर अंग्रेजी हिन्दी या उर्दू वर्णमाला में क्रमांक स्टाम्प का मूल्य शब्दों व अंकों में, क्रेता का नाम वल्दियत व पता, विलेख की प्रकृति व मूल्य तथा प्रयोजन

पृष्ठांकित करेगा। लेखा परीक्षा द्वारा पाया गया कि इन प्रावधानों का पालन वर्ष 2002–03 के पूर्व सख्ती से नही किया गया ।

नियम 17 के अनुसार रू. 5 व इससे अधिक मूल्य वर्ग के स्टाम्प के विक्रय पर विक्रय रजिस्टर के स्तम्भ 5 में क्रेता का हस्ताक्षर अनिवार्य है। लेखा परीक्षा ने पाया कि वर्ष 2002–03 के पूर्व वेण्डर ने क्रेता से हस्ताक्षर नही कराये थे ।

वेण्डर की विक्रय रजिस्टर प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर जिला स्टाम्प अधिकारी कार्यालय में जमा कर दिया जाना चाहिये किन्तु वर्ष 2002–03 के पूर्व ऐसा नही किया गया था। रू. 5000 एवं इससे कम मूल्य वर्ग के स्टाम्प पेपर पर कोषागार द्वारा क्रमांक नही अंकित था और जिला स्टाम्प अधिकारी ने इस पर कोई ध्यान नही दिया, हालांकि नियमों में इसका कोई प्रावधान नही है, किन्तु कोषागार अब इस प्रक्रिया को अपना रहे है। यदि इसे पहले अपनाया गया होता तो फर्जी स्टाम्प के उपयोग को प्रकाश में लाने में सहायता मिलती ।

आन्तरिक नियन्त्रण का अभाव

5.2.14 स्टाम्प की मांग, अर्जन, विक्रय एवं उपयोग पर तीन स्तरों पर नियन्त्रण किया जाता है–जिलाधिकारी के स्तर पर, जिला स्टाम्प अधिकारी स्तर पर तथा निबंधन महानिरीक्षक स्तर पर ।

- 28 जनपदों के अभिलेखों के नमूना जांच परीक्षण में पाया गया कि जिला स्टाम्प अधिकारी द्वारा जनपद के किसी अभिलेखागार का निरीक्षण नही किया गया। इन जिला स्टाम्प अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का कोई भी अभिलेख नही रखा गया था।

- नियम 327 के अन्तर्गत निबंधन महानिरीक्षक से अपेक्षा की गयी है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कोषागार, वेण्डरों उपभोक्ता विभागों का समय समय पर नियमित निरीक्षण करें। लेखा परीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 1993–94 से 2002–03 के दौरान किसी भी जनपद में ऐसा कोई निरीक्षण नही किया गया ।

स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में आन्तरिक लेखा परीक्षा का अस्तित्व नही है जबकि यह आन्तरिक नियन्त्रण का एक महत्वपूर्ण अंग है।

जुलाई 2002 में राज्य सरकार की पहल पर स्टाम्प आयुक्त ने विभिन्न उपभोक्ता विभागों में फर्जी एवं नकली स्टाम्प पेपरों के उपयोग की जांच करने के लिये मार्च 2003 में टास्क फोर्स का गठन किया। टास्क फोर्स ने पाया कि 6.13 करोड़ रूपये के फर्जी स्टाम्प पत्रों का कई उपभोक्ता विभागों में उपयोग किया गया। टास्क फोर्स में वही अधिकारी थे जिनका उत्तरदायित्व नियमित कर्त्तव्य के रूप में निरीक्षण करना था। यदि अधिकारियों द्वारा अपने नियमित कर्त्तव्य के रूप में उपभोक्ता विभागों का निरीक्षण किया होता तो फर्जी स्टाम्पों के उपयोग के मामले बहुत पहले ही प्रकाश में आ जाते ।

संस्तुतियॉ

5.2.15 जैसा कि उपर निर्दिष्ट है अनियमितताओं/ कमियों को दूर करने के लिये राज्य सरकार निम्नलिखित उपाय अपना सकती है

- स्टाम्प की आवश्यकता का वास्तविक निर्धारण हो तथा भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक को मांग पत्र समय से भेजे जॉए ।

- स्टाम्प की कम प्राप्ति, से बचने के लिये, तथा हानि का पता लगाने के लिये भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय तथा पुलिस को प्रतिवेदित करने के लिये, स्टाम्प की मांग एवं पूर्ति पर सतत नजर रखने की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना चाहिये ।

- प्रारम्भिक स्तर पर ही फर्जी स्टाम्प के उपयोग तथा जनपद स्तर पर बिक्री से अधिक स्टाम्प के उपयोग का पता लगाने के लिये, मिलान करने की प्रभावशाली प्रणाली स्थापित की जानी चाहिये।

- भारतीय प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक से स्टाम्प के परिवहन के दौरान समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिये ।

- कोषागारों और स्टाम्प प्रयोग करने वालो के अभिलेखों पर प्रभावशाली निगरानी रखने के लिये निरीक्षण शाखा को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ।

- जीवन बीमा निगम के अधिकारियों द्वारा राज्य बाहर से स्टाम्प खरीद को रोकने के लिये कदम उठाया जाना चाहिये ।

5.3 सम्पत्ति के अवमूल्यन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प (आइ.एस.) अधिनियम 1899 (उत्तर प्रदेश में लागू किये जाने हेतु यथा संशोधित) के अंतर्गत किसी हस्तांतरण विलेख की विषय वस्तु वाली किसी सम्पत्ति का बाजार मूल्य अथवा उस विलेख में उल्लिखित मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क आरोपणीय है उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1977 (यू.पी.एस.–वी.ओ.पी.) के अनुसार किसी जिले में स्थिति विभिन्न श्रेणियों की भूमि सम्पत्ति की बाजार दरें पंजीकरण प्राधिकारियों के मार्ग दर्शन हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा द्विवार्षिक निर्धारित की जाती है ।

(जुलाई 2002 और अप्रैल 2004 के मध्य) 49[♣] उपनिबन्धकों के कार्यालयों (एस.आर. ओज) के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि अकृषि भूमि सम्पत्ति के हस्तांतरण के 1031 विलेख अप्रैल 1998 से मार्च 2003 के दौरान रूपये 238.54 करोड़ के अकृषि/व्यवसायिक दर, जैसा कि जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया था, के बजाय रूपये 39.52 करोड़ के प्रतिफल पर, जैसा कि विलेखों में निरूपित था, पंजीकृत किये गये थे । इसके फलस्वरूप रूपये 19.76 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ । उदाहरणार्थ कुछ प्रकरण परिशिष्ट–xii में दिये गये है।

5.4 पट्टा अवधि की गलत गणना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अनुसार पट्टे या पट्टे के अनुबन्ध पर समान दरों पर ही स्टाम्प शुल्क देय है। स्टाम्प शुल्क आरोपित करने हेतु, पट्टे की अवधि की गणना करते समय पट्टे में व्यक्त अवधि एवं पट्टे के अनुबन्ध दोनों को मिला लिया जाता है। आगे जहां पट्टाभिलेख में 30 वर्ष से अधिक अवधि या शाश्वतता या अनिश्चित अवधि हेतु अभिप्राय है, पट्टे की विषय वस्तु वाली सम्पत्ति के बाजार मूल्य के समतुल्य प्रतिफल पर विक्रय विलेख की भांति स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

- जुलाई 2002 एवं अप्रैल 2004 की अवधि के दौरान 19 उपनिबन्धकों[Ɣ] के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में देखा गया कि 33 पट्टा विलेखों का पंजीयन

[♣] उपनिबन्धक फिरोजाबाद,तालबेहट (ललितपुर), अमरोहा, बागपत, अकबरपुर (अम्बेदकरनगर), झांसी, सदर इलाहाबाद, उपनिबन्धक– i ii iii iv कानपुर नगर, उपनिबन्धक– i ii iii iअलीगढ़, उपनिबन्धक– iii iv लखनउ, उपनिबन्धक आजमगढ़, उपनिबन्धक– i ii बुलन्दशहर उपनिबन्धक– i ii गोरखपुर, उपनिबन्धक– iii iv गाजियाबाद, उपनिबन्धक– i iii , सहारनपुर, उपनिबन्धक ग्रेटर नोयडा, उपनिबन्धक .सुल्तानपुर, उपनिबन्धक भदोही सन्त रविदास नगर, उपनिबन्धक देवरिया, उपनिबन्धक जोनपुर, उपनिबन्धक– i ii बरेली, उपनिबन्धक– i ii वाराणसी उपनिबन्धक– i ii मथुरा, उपनिबन्धक– i ii मेरठ, उपनिबन्धक– i ii मुलफ्फरनगर, उपनिबन्धक रामपुर, उपनिबन्धक बदायूँ, उपनिबन्धक– i ख ii iii नोयडा, उपनिबन्धक रायबरेली, उपनिबन्धक फैजाबाद, उपनिबन्धक मिज्रपुर, एवं उपनिबन्धक प्रतापगढ़।

[Ɣ] उ.नि. सदर इलाहाबाद ,उ.नि.– i, iii, कानपुर नगर, उ.नि– i, iii,, अलीगढ़, उ.नि vi, लखनऊ, उ.नि. बुलन्दशहर, उ.नि.– iii, गाजियाबाद उ.नि.– iii, नोयडा, उ.नि. देवरिया, उ.नि. सुल्तानपुर, उ.नि. भदोही (सन्त रविदास नगर) उ.नि.– i, iii, सहारनपुर, उ.नि.–

1998–99 से 2002–03 के मध्य कुछ संस्थाओं/व्यक्तिओं के पक्ष में किया गया था लेकिन निबन्धन अधिकारी पट्टे की कुल अवधि की गणना करते समय पट्टे की सुव्यक्त नवीनीकरण की अवधि को जोड़ने में या तो असफल रहे या और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पट्टे में दर्शाये गये सकल क्षेत्रफल के सापेक्ष प्रतिफल की गणना नही किये। इसके फलस्वरूप रूपये 63.75 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ उदाहरणार्थ कुछ मामले नीचे दिये गये हैं –

इकाई	विलेख संख्या/ वर्ष	क्षेत्रफल/ स्थिति	विलेख में निरूपित प्रतिफल (रूपये में)	दर तालिका के अनुसार बाजार मूल्य (रूपये में)	स्टाम्प शुल्क पंजीयन फीस		कुल कम आरोपण (लाख रूपये में)
					आरोपणीय (रूपये में)	आरोपित (रूपये में)	
उपनिबन्धक सुल्तानपुर	586 2002	1036 व.फि .जयसिंहपुर सुल्तानपुर	44,000	6,02,71,000	48,21,680 5,000	3,520 880	48.22
उ0नि0– iii कानपुर नगर	6,047 1999	1731 व. फि.लाटूश रोड कानपुर नगर	1,00,000	29,85,000	2,98,500 5,000	10,000 5,000	2.89
उ0नि0– iii मेरठ	3,309 2001	2500 व.फि. सोतीगंज मेरठ	15,00,000	37,50,000	3,75,000 5,000	1,50,000 5,000	2.25

- 9 उपनिबन्धकों[⊗] के कार्यालय के अभिलेखों की जुलाई 2002 व मार्च 2003 के दोरान नमूना जांच से यह प्रकाश में आया कि 2000–01 व 2002–03 की अवधि में पंजीकृत 15 पट्टा विलेखों में पट्टों की सकल अवधि की गणना करते समय पट्टे की मूल अवधि के साथ पट्टे के विस्तार की अनुबन्धित अवधि को हस्तांरण की भांति स्टाम्प शुल्क की देयता हेतु यथोपरि सम्मिलित नही किया गया था। अधिनियम के प्रावधानों की त्रुटि पूर्ण व्याख्या/अनानुपालन से रूपये 45.48 लाख स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ। उदाहरणार्थ कुछ मामले नीचे दिये गये हैं –

इकाई	विलेख संख्या वर्ष संख्या	क्षेत्रफल स्थिति	विलेख में दिया गया प्रतिफल (रूपये में)	दर तालिका के अनुसार बाजार मल्य (रूपये में)	स्टाम्प शुल्क आरोपणीय (रूपये में)	पंजीयन फीस आरोपित (रूपयेमें)	कुल कम आरोपण (लाख रूपये में)
उपनिबन्धक सदर इलाहाबाद	1866 2003	522.76 गुलाटी बिल्डिंग्स,चौक ,इलाहाबाद	1540000	14115000	1411500 5000	1540000 3080	12.59
उ0नि0 iii गाजियाबाद	4000 2002	1264.16 मोहल्ला बौजुऑ	2162000	7585000	758500 5000	216200 5000	5.42
उ0नि0– i सहारनपुर	2912 2001	1.3161 हे.या 13161 व.मी.मौजा दारा अली स्वाद बैरून	9000	5923000	592300 5000	900 100	5.96

5.5 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनारोपण

उत्तर प्रदेश अर्वन प्लानिंग एवं डेवलेपमेण्ट एक्ट के साथ पठित उ.प्र.स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के प्रावधानों के अनुसार भारतीय स्टाम्प अधिनियम

i, ii, मेरठ, उ.नि.– i, ii मुजफ्फरनगर व उ.नि. फैजाबाद उ.नि. सदर इलाहाबाद, उ.नि–i, iii, कानपुर, उ.नि– iii, अलीगढ़, उ.नि. iv लखनऊ, उ.नि.– i, बुलन्दशहर, उ.नि.–iii, गाजियाबाद व उ.नि– i, iii, सहारनपुर

[⊗] उ.नि. सदर इलाहाबाद ,उ.नि.– i, iii, कानपुर, उ.नि–iii, अलीगढ़, उ.नि iv, लखनऊ, उ.नि.–i बुलन्दशहर, उ.नि.– iii, गाजियाबाद उ.नि.–i, iii, सहारनपुर।

1899 द्वारा अचल सम्पत्ति के अंतरण के किसी विलेख पत्र पर आरोपित स्टाम्प शुल्क, ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो किसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में स्थित हो, उस मूल्य के प्रतिफल की राशि पर विकास शुल्क, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में 2 प्रतिशत की दर से, आरोपणीय है जिस पर उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प शुल्क आगणित किया जाता है।

नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा के उपनिबन्धकों के अभिलेखों की नमूना जांच में आगे यह पाया गया कि नोयडा एवं ग्रेटर नोयडा के विकसित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्तियों के पंजीकृत हस्तांरण विलेखों पर रेवेन्यू ग्रामों–हसनपुर–भानपुर, मोहिउद्दीनपुर कनवासी, छाजरसी एवं मकनपुर को छोड़कर वर्ष 1998–99 से 2002–03 की अवधि में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण नही किया गया इसके फलस्वरूप रूपये 90.13 करोड़ के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण जैसा कि नीचे दिया गया है, नहीं हुआ –

(करोड़ रूपये में)

क्र. सं.	अनारोपण की धनराशि	वर्ष / अनारोपण की धनराशि					योग
		1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	
1	उपनिबन्धक–1 नोयडा	3.40	5.28	3.27	5.18	11.91	29.04
2	उपनिबन्धक–2 नोयडा	2.49	3.32	2.83	4.13	7.21	19.98
3	उपनिबन्धक–3 नोयडा	1.68	1.28	4.72	4.48	7.22	19.38
4	उपनिबन्धक, ग्रेटर नोयडा	2.57	2.00	3.59	7.42	6.15	21.73
	योग	**10.14**	**11.88**	**14.41**	**21.21**	**32.49**	**90.13**

लेखा परीक्षा द्वारा उक्त तथ्यों को इंगित किये जाने पर उपनिबन्धकों ने बताया कि दो प्रतिशत अतिरिक्त विकास शुल्क के आरोपण/वसूली के संदर्भ में जिलाधिकारी/शासन से कोई भी निर्देश प्राप्त नही हुये हैं उत्तर तर्क संगत नहीं है। क्योंकि आदेश अब भी लागू है। अन्तिम उत्तर प्राप्त नही हुआ है ।

5.6 विलेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अंतर्गत किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क विलेख में अभिलिखित सम्व्यवहार की विषय वस्तु या वास्तविक प्रकृति पर निर्भर करता है न कि निष्पादक द्वारा दिये गये किसी शीर्षक, विवरण या नामकरण पर । उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 156 के अंतर्गत भी भूमिधरी (भूमि का स्वामित्व) अधिकारी का पट्टे के जरिये अबाधित हस्तांतरण अनुमन्य नही है और भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की अनुसूची–1'ख' के अनुच्छेद 23 में यह प्रावधान है कि सम्पत्ति के स्वामित्व के हस्तांतरण के विलेख पर "हस्तांतरण" की तरह स्टाम्प शुल्क आरोपित किया जायेगा ।

- चार उपनिबंधकों के कार्यालय[ψ] के अभिलेखों की मार्च 2002 एवं नवम्बर 2003 की अवधि में नमूना जांच में पाया गया कि 4 पट्टा विलेख रूपये 7.13 के प्रतिफल पर 30 वर्ष या उससे कम की अवधि हेतु रूपये 0.78 लाख के स्टाम्प शुल्क पंजीयन फीस पर पंजीकृत थे लेकिन विलेखों के विवरण से यह स्पष्ट है कि पट्टा ग्रहीताओं को स्वामितव के अधिकार हस्तांतरित किये गये थे स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस की देयता हेतु यह अधिनियम की अनुसूची–1'ख' की धारा 23 को आकर्षित करता है जिसके अंतर्गत रूपये 6.68 लाख की देयता आरोपणीय थी इस प्रकार विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण रूपये 5.90 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ ।

[ψ] उपनिबन्धक बकशीका तालाब, लखनउ, उ.नि.– ii आगरा, उ.नि.अलापुर (अम्बेदकर नगर), उ.नि.– iii,, आगरा

- जुलाई 2002 एवं मार्च 2003 की अवधि में 25[Φ] उपनिबन्धकों के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि वर्ष 1998–99 एवं 2002–03 की अवधि में भूमिधरी जमीन के हस्तान्तरण के विलेख स्टाम्प शुल्क की देयता हेतु पट्टे की तरह पंजीकृत किये गये थे विलेखों के गलत वर्गीकरण के कारण रूपये 1.73 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ उदाहरण के रूप में कुछ प्रकरण परिशिष्ट –XIII में दिये गये हैं ।

उपर्युक्त टिप्पणियॉ विभाग व शासन को जून एवं अगस्त 2004 में प्रेषित की गयी थी, उनके उत्तर अप्राप्त है (नवम्बर 2004) ।

भू राजस्व

5.7 संग्रह प्रभारों का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धन (देयों की वसूली) अधिनियम 1972 तथा समय समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार राजस्व अधिकारी किसी निगम बैंकिंग कम्पनी या स्थानीय निकाय से जारी वसूली प्रमाण पत्र के प्राप्त होनें पर उसमें उल्लिखित धनराशि एवं कार्यवाही की लागत (संग्रह व्यय) सहित भू राजस्व बकाये की भांति वसूल करने की कार्यवाही करेंगे । संग्रहीत किये गये/किये जाने वाले देयों की धनराशि के दस प्रतिशत की दर से संग्रह व्यय सम्बन्धित इकाइयें निकायों से वसूल किया जाना है। ऐसे मामलों में जहां अधिग्रहण अधिकारी वसूली प्रमाणपत्र वापस लेता है या देय धनराशि बकायेदार द्वारा सीधे जमा कर दी जाती है तब भी संग्रह प्रभारों को अधिग्रहण अधिकारी से वसूल किया जाना है ।

दो तहसीलो (अकबरपुर–जनपद कानपुर देहात और हसनपुर – जनपद जे.पी.नगर) की दिसम्बर 2002 में हुयी लेखा परीक्षा में पाया गया कि 6 मामलों में 2.64 लाख की धनराशि, जैसा कि वसूली प्रमाणापत्र में था, राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल किये गये और अधिगृहीता अधिकारियों को जमा कर दिया गया । दो मामलों में बकायेदारों ने 0.42 लाख की धनराशि सीधे अधिगृहीता अधिकारियों को जमा कर दिया और 320.45 लाख रूपये की धनराशि के वसूली प्रमाणपत्र के तीन मामलों में सम्बन्धित निकायों को उनकी प्रार्थना पर लौटा दिया गया । जबकि विभाग द्वारा ऊपर के मामलों में 32.35 लाख रूपये के संग्रह प्रभार नहीं वसूले गये ।

मामलें, विभाग एवं शासन को (जून 2003 तथा अगस्त 2004 के मध्य) प्रतिवेदित किये गये, उनके उत्तर प्राप्त नही हुए (नवम्बर 2004) ।

[Φ] उ.नि.सदर इलाहाबाद, उ.नि.– i, iii,,कानपुर नगर, उ.नि.– i, iii,, अलीगढ़ उ.नि.– i, iii गोरखपुर, उ.नि.जोनपुर,उ.नि.– iii iv गायिजाबाद, उ.नि.– i, iii,,सहारनपुर, उ.नि. भदोही (संत रविदास नगर) उ.नि. सुल्तानपुर, उ.नि.– रायबरेली, उ.नि. मथुरा, उ.नि. मुजफ्फरनगर, उ.नि. फैजाबाद, उ.नि. प्रतापगढ़, उ.नि. फिरोजाबाद, उ.नि.– i, वाराणसी, उ.नि.– iii iv लखनऊ, व उ.नि.– i, ii बुलन्दशहर

अध्याय–6 अन्य विभागीय प्राप्तियॉ

6.1 लेखा परीक्षा के परिणाम

वर्ष 2003–04 की अवधि में लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित विभागीय कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच में 58.15 करोड़ रूपये सन्निहित राशि के, कम वसूली/ राजस्व हानि के 29 मामले प्रकाश में आए, जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं ।

(करोड़ रूपये में)

क.सं.	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि
	खान एवं खनिज विभाग		
1.	खान एवं खनिज प्राप्ति पर समीक्षा	1	57.03
	योग	**1**	**57.03**
	लोक निर्माण विभाग		
1.	स्टाम्प शुल्क पर कम आरोपण	6	0.05
2.	अन्य अनियमितताएं	22	1.07
	योग	**28**	**1.12**
	कुल योग	**29**	**58.15**

एक निर्दिष्ट मामला एवं **खान खनिज प्राप्ति** पर समीक्षा जिसमें 57.35 करोड़ रूपये की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में दिये गये हैं ।

6.2 खान एवं खनिज प्राप्ति पर समीक्षा

प्रमुख अंश

- हमीरपुर तथा फतेहपुर तहसील में न्यूनतम आरक्षित मूल्य से कम बोली स्वीकार करने से 12.09 करोड़ की क्षति।

(प्रस्तर 6.2.8)

- रायल्टी पर स्टाम्प शुल्क न लेने तथा गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क के मद में 1.44 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति ।

(प्रस्तर 6.2.11)

- लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रखण्डों के आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा पत्थर के वोल्डरों के संग्रह पर ठेकेदारों से रायल्टी के भुगतान का न तो सत्यापन किया गया, न ही वसूली की गयी, जिसके कारण 7.23 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति हुयी ।

(प्रस्तर 6.2.16)

प्रस्तावना

6.2.1 खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम (एम.एम.आर.डी.) 1957 के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाये गये उ.प्र. खान खनिज (परिहार) नियमावली (यू.पी. एम.एम.सी.नियम), 1963 के अनुसार रायल्टी, डेड रेन्ट, स्टाम्प शुल्क तथा व्यापारकर, शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित विशिष्ट दरों पर आरोपित किया जाता है। सम्प्रति राज्यों में चार छोटे खनिजों का दोहन होता, है, जैसे सैण्ड स्टोन,

क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और डोलामाइट। इसके अतिरिक्त पत्थर, बालू, मोरम तथा ईट की मिट्टी भी उपलब्ध है। बड़े खनिजों में केवल कोयला का उत्पादन होता है।

संगठनात्मक ढॉचा

6.2.2 निदेशक भूतत्व एव खनिकर्म उ.प्र. लखनऊ जो कि भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का प्रमुख होता है, को कार्य कलापों के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गयी है। उनकी सहायता भूगर्भ शास्त्रियों एवं इन्सपेक्टर के अतिरिक्त, चार क्षेत्रीय निदेशकों, चार जिला खान अधिकारियों द्वारा की जाती है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी (डी.एम.) नियंत्रण अधिकारी होता है। खनन कार्यालय सामान्यतः अपर जिलाधिकारी (ए.डी.एम.) के अन्तर्गत होता है, जो– खनिजों के नीलामी की प्रकिया, अनुबंध/पट्टे का निष्पादन तथा रायल्टी के आरोपण एवं वसूली आदि–जिलाधिकारी के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत करते है। प्रत्येक जनपद में खनिज कार्यालयों की इकाई स्थित है।

लेखा परीक्षा का उद्देश्य

6.2.3 एक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये की गयी कि क्या–

- खनन पट्टे निर्धारित प्रकिया/पद्धति के आधार पर स्वीकृत किये जाते है।
- रायल्टी और अन्य कर (स्टाम्प शुल्क एवं व्यापार कर) अधिनियम तथा नियमों के अनुसार वसूला जा रहा है और
- दण्डात्मक प्रावधानों का अनुपालन हो रहा है ।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र

6.2.4 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म 70 में से 23[Θ] जिला खनिज कार्यालयों (डी. एम.ओ.) की विस्तृत जॉच तथा लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.), ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आर.ई.एस.) के खण्डीय कार्यालयों, जिलाग्राम विकास अभिकरणों (डी.आर.डी. ए.) की 1998–99 से 2002–03 तक की अवधि के अभिलेखों की नमूना जॉच, जुलाई 2003 से अप्रैल 2004 में की गयी। जिनका परिणाम अनुवर्ती प्रस्तरों में दिया गया है ।

राजस्व प्राप्तियों का रूझान

6.2.5 वर्ष 1998–99 से 2002–2003 के लिये अलौह खनिज तथा भूगर्भ उद्योग से प्राप्ति शीर्ष के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन (बी.ई.) और वास्तविक की स्थिति निम्नवत है:

(रूपये करोड़ में)

वर्ष	राज्य का कुल राजस्व	बजट प्राक्कलन	राजस्व की वसूली वास्तविक	कुल राजस्व का प्रतिशत	भिन्नता (+)आधिक्य (–) कमी	प्रतिशत (+)आधिक्य (–) कमी
1998-1999	9,387.37	300.00	145.81	1.55	(-) 154.19	(-) 51.40
1999-2000	11,412.65	200.00	180.17	1.58	(-) 19.83	(-) 9.92
2000-2001	12,924.65	200.00	196.44	1.52	(-) 3.56	(-) 1.78
2001-2002	12,175.89	240.00	190.19	1.56	(-) 49.81	(-) 20.75
2002-2003	14,697.30	250.00	262.54	1.79	12.54	5.02

[Θ] सोनभद्र, मिर्जापुर, बॉदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, इलहाबाद, चित्रकूट, फैजाबाद, गोरखपुर, बरेली, मुजफ्फर नगर, मुरादाबाद, सहारानपुर, लखनऊ, कानपुर, इटावा, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, फतेहपुर, हमीरपुर, पीलीभीत, और आजमगढ़

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि वास्तविक प्राप्तियॉ, राजस्व बजट अनुमान से वर्ष 1998–99 से 2001–02 के दौरान (–) 51.40 प्रतिशत और (–) 1.78 प्रतिशत के बीच कम है। जबकि वर्ष 2002–03 के दौरान बजट अनुमान से वसूली अधिक (5.02 प्रतिशत) थी। अधिक वसूली का कारण अप्रैल 2003 से रायल्टी की दर का पुनः निर्धारण होना था। जबकि यह भी देखने में आया कि अप्रैल 2001 से दर में पुनः निर्धारण के बावजूद बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्ति कम वसूली गयी थी। यह प्रदर्शित करता है कि या तो अनुमान अवास्तविक थे या शासन ने लक्ष्य प्राप्त करने हेतु कोई प्रयास नही किया। वर्ष 1998–99 एवं 2001–02 के दौरान अधिक भिन्नता के कारणों को यद्यपि पूछा गया था फिर भी बताया नहीं गया।

बकाये की स्थिति

6.2.6 खान एवं खनिज विनियमन एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शासकीय बकाये की वसूली भूराजस्व की तरह की जानी चाहिये। वसूली की प्रक्रिया राजस्व वसूली अधिनियम 1890 में उल्लिखित है

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0 प्र0 लखनऊ के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि निदेशालय ने कोई ऐसी प्रणाली नही बनायी है जिससे पूरे प्रदेश में बकाये की स्थिति ज्ञात हो सके । निदेशालय द्वारा तैयार की गयी सूचना के अनुसार मार्च 2003 के अन्त तक केवल 31 डी.एम.ओ. के बकायें की स्थिति एकत्र की जा सकी और उनकी सूचना के अनुसार मार्च 2003 के अन्त में 23.17 करोड़ रूपये की वसूली बकाया थी ।

नदी बालू का पट्टा निष्पादन न करने से हानि

6.2.7 उ.प्र. खान खनिज (परिहार) नियमावली के प्रावधानों के साथ पठित शासकीय आदेश दिनांक 2 नवम्बर 2002 के अनुसार बालू के सुविधा जनक दोहन के लिए नीलामी से पूर्व जिला खान अधिकारी द्वारा सर्वे करना, स्थानीय स्थिति के अनुसार लाट बनाना, व्यापक प्रचार प्रसार जरूरी है।

6 जिला खान कार्यालयों[▽] के अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन न होने, छोटे लाटो के न बनाये जाने, शासन द्वारा समय से प्रकरणों के निस्तारण न करने से वर्ष 1998–99 से 2002–03 के दौरान 47238.56 एकड़ में से केवल 6196.69 एकड़ क्षेत्र की ही नीलामी हो सकी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2004) कि क्षेत्रों का पट्टा/नीलामी न्यायालय द्वारा रोक लगाने के कारण नहीं किया गया है। उत्तर मान्य नही है क्योंकि लेखा परीक्षा में उन्हीं खाली क्षेत्रो पर आपत्ति उठायी गई है, जो न्यायालय के रोक के पूर्व न तो नीलाम की गयी और न ही न्यायालय द्वारा रोक हटाने के बाद की गयी। अग्रेतर उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

कम नीलामी बोली स्वीकार करने से हानि

6.2.8 नीलामी/टेण्डर द्वारा घोषित क्षेत्र का पट्टा दिये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी या उसके द्वारा बनायी गयी समिति, टेण्डर प्रस्तुति के कम से कम 30 दिन पूर्व जिला–जहॉ भूमि स्थित है–के दैनिक हिन्दी समाचार पत्र में टेण्डर नोटिस जारी कराकर प्रकाशित कराएगा। अधिकतम धनराशि बोली बोलने वाले व्यक्ति का टेण्डर स्वीकार किया जायेगा तथा उसे टेण्डर में अंकित धनराशि का कम से कम 25 प्रतिशत जमानत राशि के रूप में तुरन्त जमा करना होगा। उत्तर प्रदेश खान खनिज (परिहार) नियमावली के नियम 68 के अनुसार राज्य सरकार कारणों को

▽ गोरखपुर, मिर्जापुर, लखनऊ बॉदा इलाहाबाद, मुजफ्फर नगर

अभिलिखित करते हुये खनिज विकास के हित में नियमों को लचीला बना सकती है।

शासनादेश, नवम्बर 2002 के अनुसार हमीरपुर तथा फतेहपुर जिले का वर्ष 2003–04 से 2005–06 के लिए बालू नीलामी की न्यूनतम आरक्षित मूल्य तहसील हमीरपुर व फतेहपुर के लिये क्रमशः 4.02 करोड़ व 1.31 करोड़ रूपये थी। बालू नीलामी के टेण्डर मागें गये और न्यूनतम आरक्षित मूल्य क्रमशः 4.02 करोड़ तथा 1. 31 करोड़ के विरूद्ध अधिकतम बोली क्रमशः 1.91 करोड़ तथा 0.61 करोड़ रूपये आयी। हमीरपुर के प्रकरण में जिलाधिकारी ने सरकार से कम बोली न स्वीकार करने का आग्रह किया तथा फतेहपुर के मामले में कोई अनुमोदन नही किया गया। शासन ने मार्च 2003 में बिना कोई कारण अभिलेखित किये दोनों कम बोलियों को स्वीकार कर लिया, जिसके कारण 12.09 करोड़ रूपये की रायल्टी, व्यापार कर तथा स्टाम्प शुल्क की राजस्व क्षति हुयी ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार की और कहा (सितम्बर 2004) कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों से अपनी आख्या देने का अनुरोध किया गया है । अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

अनुबंध निष्पादन में देरी के कारण हानि

6.2.9 उ.प्र. खान खनिज (परिहार) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार नीलामी बोलने वाला या निविदा देने वाला, जैसा मामला हो, स्वीकृति के एक माह के भीतर प्रपत्र–6 में पट्टा निष्पादित करेगा ।

प्रभारी अधिकारी खनन बुलन्दशहर के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अनूपशहर, डिबाई, सयाना तहसीलों में नदी में उपलब्ध बालू की उपरोक्त नीलामी 30 दिसम्बर 2002 को की गयी। यद्यपि अनूपशहर और डिवाई के अनुबंध क्रमशः दिसम्बर 2003 और जनवरी 2004 में निष्पादित किये गये जबकि सयाना के अनुबंध अब तक निष्पादित नही किये गये। इन सभी प्रकरणों में देरी/अनुबंध न किये जाने के फलस्वरूप बालू खनन कार्य नही किया जा सका या 12–13 माह देर से हुआ, जिससे 1.89 करोड़ की राजस्व क्षति हुयी जिसमें रायल्टी 129.49 लाख रूपये, व्यापार कर 28.49 लाख रूपये तथा ब्याज 31.08 लाख रूपये सम्मिलित है ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2004) कि अनुबंध में देरी के कारण राजस्व क्षति हुयी। वसूली की अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

ईंट भठ्ठा मालिकों द्वारा रायल्टी का भुगतान न करने से हानि

6.2.10 मार्च 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भठ्ठा मालिकों द्वारा रायल्टी का भुगतान न करने से राजस्व क्षति का प्रकरण प्रतिवेदित किया गया था। इस प्रतिवेदन के विचार विमर्श के समय लोक लेखा समिति ने भठ्ठा मालिकों द्वारा रायल्टी का भुगतान न किये जाने पर शासन की विफलता पर नाराजगी जतायी थी। लोक लेखा समिति द्वारा राजस्व क्षति पर आपत्ति किये जाने पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा जिला व्यापार कार्यालय को–भठ्ठा मालिकों की एक सूची प्राप्त करने और फसली सर्वेक्षण के लेखाकारो के अभिलेखों से तुलना करके, ताकि रायल्टी के भुगतान को नजर अन्दाज कर, बिना मान्य खनन परमिट के चलने वाले ईट भठ्ठे की संख्या पता लगया जा सके,–निर्देश दिसम्बर 2000 में जारी किये गये ।

9 जिलो के अभिलेखों[♠] की नमूना जॉच में खनन विभाग के अभिलेख (3537) और व्यापार कर विभाग द्वारा तैयार की गयी सूची (5991) के प्रति सत्यापन से यह प्रकाश में आया कि वर्ष 1999–2000 की अवधि के दौरान 2454 ईट भठ्ठे, विभाग से बिना समुचित परमिट प्राप्त किये चल रहे थे जिससे 5.35 करोड़ की राजस्व क्षति हुयी जैसा कि अनुलग्नक XIV मे विवरण दिया गया है।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2004) कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों से धनराशि वसूलने के लिए अनुरोध किया जा चुका है। अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है।

6.2.11 स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम के साथ पठित उत्तर प्रेदश खान खनिज परिहार नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क, डेड रेन्ट या रायल्टी जो अधिक हो, पर देय है। भारतीय स्टाम्प अधिनियम ऐसे मामलों में जहां पट्टे के लिये रायल्टी का प्रतिफल होता है, जिलाधिकारी को रायल्टी की सम्भावित धनराशि की गणना के लिए प्राधिकृत करता है।

चार जिला माइन्स अधिकारियों[π] के अभिलेखों की नमूना जांच में यह पाया गया कि विभाग ने वर्ष 1998–99 से 2002–03 की अवधि के दौरान 141 मामलों में डेड रेन्ट के आधार पर स्टोन बैलास्ट/बोल्डर की खुदाई के लिये पट्टा विलेखों को निष्पादित एवम् निबन्धित किया था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भुगतान की गयी रायल्टी पर 46.86 लाख रूपये के स्टाम्प शुल्क के बजाय डेड रेन्ट पर 18.78 लाख रूपये का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य किये जाने से 28.08 लाख रूपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किया गया जैसाकि अनुलग्नक –XV में वर्णित है।

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 प्रवधानित करता है कि जब पट्टा किसी जुर्माने, नजराने या अग्रिम दिये गये धन के लिये दिया जाए और कोई किराया आरक्षित न किया गया हो, तो ऐसे पट्टे पर अधिनियम की अनुसूची 1 (क) के अनुच्छेद 35 (ख) के अधीन स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार पट्टा में व्यक्त उस जुर्माने, नजराने या अग्रिम धन की सम्पूर्ण राशि या मूल्य के बराबर प्रतिफल के लिये स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा ।

जिलाधिकारी झांसी एवम् गाजियाबाद के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि स्टोन बैलास्ट के पट्टा विलेखों के 108 माईनिंग के विलेखों एवम् 3 नदी की बालू के पट्टों को अप्रैल 1998 से मार्च 2003 के दौरान झांसी जनपद में एवं अक्टूबर, 2003 में गाजियाबाद जनपद में निष्पादित किया गया था। जिस पर अधिनियम के प्रावधानानुसार 39.25 लाख रूपये का स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था इसके विरूद्ध गलत वर्गीकरण के कारण मात्र 15.20 लाख रूपये का स्टाम्प शुल्क ही प्रभार्य किया गया था। परिणाम स्वरूप 24.05 लाख रूपये का स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ । इसे इंगित किये जाने पर जिलाधिकारियों ने बताया कि समस्त मामलों में निरपवाद रूप से वसूली की जायेगी।

- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची–1 (ख) के अनुच्छेद 35 के अधीन पट्टा या पट्टा के अनुबन्ध पर समान दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। जब पट्टे की अविध की गणना की जाती है तब स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के लिये पट्टे में व्यक्त अवधि एवं पट्टा के अनुबन्ध की अवधि

♠ गोरखपुर, बरेली, मिर्जापुर, लखनऊ, कानपुर मुजफ्फरनगर बुलन्दशहर सहारनपुर और इलाहाबाद

π मिर्जापुर, बॉदा, इलीाबाद, झॉसी

को जोड दिया जाता है। अधिनियम की धारा 47–क (3), स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण पर 1.5 प्रतिशत ब्याज प्रभारित करती है।

तीन जिला खनन कार्यालयों[⊕] के अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि छः पट्टे व्यक्ति विशेष/संस्थाओं के पक्ष मे निबन्धित किए गये। लेकिन निबन्धनकर्ता अधिकारियों ने स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पट्टे की अवधि की गणना नहीं किया। जिसके परिणाम स्वरूप ब्याज सहित 91.93 लाख रूपये स्टाम्प शुल्क कम आरोपण हुआ । विवरण निम्नवत है।

(लाख रूपये में)

जनपदों के नाम	रायल्टी की धनराशि जिस पर स्टाम्प शुल्क देय है	देय स्टाम्प शुल्क	रायल्टी की धनराशि जिस पर स्टाम्प शुल्क लिया गया	लिया गया स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	आरोपणीय ब्याज	कुल राजस्व क्षति
सहारनपुर	1,062.58	85.00	321..05	25.79	59.21	10.66	69.87
मुजफ्फर नगर	49.65	3.97	15.00	1.20	2.77	0.50	3.27
बुलनदशहर	288.70	23.10	87.22	7.18	15.92	2.87	18.79
	योग	**112.07**	**423.27**	**34.17**	**77.90**	**14.03**	**91.93**

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने आपित्त स्वीकार किया और बताया (सितम्बर,2004) कि कार्यवाही की जा रही है। अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004) ।

कम व्यापारकर जमा करने से हानि

6.2.12 राज्य की राजस्व हित की अभिरक्षा के लिये शासन ने अपने आदेश दिसम्बर 2000 के द्वारा सभी जिलाधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित करने का अनुरोध किया कि लीज होल्डरों को सम्पूर्ण खनिज एकमुश्त उठाने के पास जारी न किये जायें। एक समय में मात्र 25 प्रतिशत खनिज के लिये ही पास किस्तों में जारी किये जाने थे और व्यापार कर विभाग से व्यापार कर जमा करने के प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आगे उसी दर से जारी होने थे रायल्टी पर 22 प्रतिशत की दर से व्यापार कर आरोपणीय है।

जिला खान अधिकारी सहारनपुर और गाजियाबाद के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया व्यापार कर विभाग से कर जमा का प्रमाण पत्र लिये बिना ही खनिज के लिये एम.एम.–11 पास, जिसमें रूपये 486.98 लाख की रायल्टी सन्निहित थी, जारी किये गये। इन ठेकेदारों पर 107.13 लाख की व्यापार कर राशि देय थी जिसके सापेक्ष मात्र 9.20 लाख रूपये ही जमा किया जाना पाया गया परिणामस्वरूप 97.93 लाख रूपये व्यापार कर कम जमा हुआ ।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार की और कहा कि धनराशि की वसूली के लिये कार्यवाही की जा रही है (सितम्बर 2004) अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004) ।

पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड न लगाने से हानि

6.2.13 उ.प्र. खानखनिज (परिहार) नियमावली 1963 तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उ.प्र. के द्वारा निर्गत अन्य प्रशासनिक आदेशों के अनुसार प्रत्येक पट्टा धारक को पत्थर खनन के लिये निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म लखनऊ से स्वीकृत खनन योजना बनवाना आवश्यक है। यह खनन योजना मात्र वैज्ञानिक तथा योजनाबद्ध तरीके से खनन के लिये ही नहीं बल्कि पर्यावरण की देखभाल के लिये भी आवश्यक है इसके लिये खनन योजना में प्रबंधन तथा पर्यावरण सुरक्षा के विशेष प्रावधान किये गये है। इसका अनुपालन पट्टा धारक के लिये अनिवार्य किया गया है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में उल्लिखित है कि जो कोई इसके अनुपालन

⊕ सहारनपुर मुजफ्फरनगर और बुलन्द शहर

में असफल होता है या अधिनियम के किसी प्रावधान, नियमों, आदेशों का उल्लंघन करता है उसको उल्लंघन के लिये कारागार की सजा, जिसे पांच वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है। या अर्थदण्ड जिसे एक लाख तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती है। यदि इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन जारी रहता है तो पांच हजार रूपये प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड उस अवधि में लगाया जायेगा। खनन योजना के प्रावधानों के तहत यदि वृक्षारोपण नही किया गया है तो खनन विभाग के अधिकारी को खनन कार्य रूकवा देना चाहिये।

आठ जिलों[1] के खनिज कार्यालयों की जांच में पाया गया कि इन जिलों के 1720 पट्टाधारकों को जो खनन कार्य में लगे थे परन्तु किसी ने वृक्षारोपण नही किया। जिला खान अधिकारियों ने पट्टाधारकों द्वारा लगाये गये वृक्षों का कोई भी अभिलेख नहीं रखा है। उपरोक्त में से 200 खदान सोनभद्र, मिर्जापुर में क्रियान्वित की गई, जिसमें से 31 प्रकरणों की वर्ष 1998–99 से 2002–03 के अवधि में विस्तृत जांच की गयी। विभाग ने बताया कि इस सन्दर्भ में आवश्यक निर्देश उन्होने जारी कर दिया है, परन्तु उक्त अवधि में पट्टा धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण के कोई अभिलेख वह दिखाने में असफल रहे। जिला खनन अधिकारियों ने न तो कार्य रूकवाया और न ही मामले को अर्थदण्ड के लिए पर्यावरण विभाग को सन्दर्भित किया न्यूनतम अर्थदण्ड रूपये एक लाख प्रति पट्टाधारक की दर से 17.20 करोड़ अनारोपित रहा।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार किया और बताया (सितम्बर 2004) कि पट्टाधारकों के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जा रही है अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है ।

रायल्टी के देर से भुगतान पर ब्याज की क्षति

6.2.14 उ.प्र. खनिज (परिहार) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार पट्टा धारकों द्वारा यदि 30 दिन के भीतर रायल्टी या डेडरेन्ट का भुगतान नही किया गया है तो नोटिस जारी किया जा सकता है, भुगतान न किये जाने की स्थिति मे राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह पट्टाधारकों से भूराजस्व के बकाये की भांति वसूली कर सकती है। इस विषय पर बनाये गये नियमों के अनुसार देर से किये गये भुगतान पर 24 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लिये जाने का प्रावधान है।

7 जिला खनन कार्यालयों[⇔] की जांच में ज्ञात हुआ कि 148 प्रकरणों में वर्ष 1998 और नवम्बर 2002 के मध्य रायल्टी के मद में 26.17 लाख रूपये 2 से 54 माह देर से भुगतान किए गये जिसमें ब्याज न लिये जाने के कारण 11.58 लाख रूपये की राजस्व क्षति हुयी।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2004) कि संबंधित जिलाधिकारियों से धनराशि की वसूली के लिये निवेदन किये गये है। अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

6.2.15 अनाधिकृत खनन अर्थदण्ड की वसूली न करना

- जो व्यक्ति उ.प्र. खनिज (परिहार) नियमावली के प्रावधानों का उल्लघंन करेगा उसे कारागार की सजा जिसे छः माह तक बढ़या जा सकता है या अर्थदण्ड लगाया जा सकता है जिसे एक हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों सजाएं एक साथ दी जा सकती है। खनिज परिहार नियमावली की धारा–21(5) के अनुसार जो व्यक्ति खनिज अनाधिकृत तरीके से किसी भूमि से उठाया हुआ पाया जायेगा, उसे राज्य सरकार उससे वापस ले सकती है या

[1] सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, इलाहाबाद, चित्रकूट, झांसी, महोबा तथा ललितपुर

[⇔] मिर्जापुर, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, चित्रकूट, महोबा, तथा झांसी,

जहॉ खनिज का निस्तारण किया जा चुका है वहां उसकी पूरी कीमत, किराया, रायल्टी या कर जैसा भी प्रकरण हो, ऐसे व्यक्ति से वसूली की जा सकती है ।

जिला खान कार्यालय सोनभद्र तथा मिर्जापुर के वर्ष 1998–99 से 2002–03 में अभिलेखों के जांच में पाया गया कि 64 अनाधिकृत खनन के प्रकरण पाये गये जिसमें 1.03 करोड़ रूपये रायल्टी तथा 0.64 लाख रूपये अर्थदण्ड लगाया गया। विभाग अर्थदण्ड वसूलने में ही नही असफल रहा वह माल की कीमत वसूलने में भी असफल रहा, जिससे शासन को रूपये 1.67 करोड़ की राजस्व क्षति हुयी (जुलाई 2003)।

- उ.प्र. खनिज (परिहार) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश किसी भी खान में पड़े स्टाक का अभिलेख देख सकते है या माप ले सकते है या औचक निरीक्षण कर सकते हैं ।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2002–03 में औचक निरीक्षण किया गया जिसमें 10.76 करोड़ रूपये के 4,623 अनाधिकृत खान के प्रकरण पाये गये। संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी की गयी परन्तु मार्च 2002 तक मात्र 1.70 करोड़ रूपये ही वसूल किये जा सके। विभाग ने शेष 9.06 करोड़ रूपये के भूराजस्व की भांति वसूली करने के लिये कोई कार्यवाही नही किया ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार किया और कहा (सितम्बर 2004) प्रकरण विचाराधीन है संबंधित जिलाधिकारियों से वसूली हेतु निवेदन किये गये है। वसूली की प्रगति लेखा परीक्षा में प्रतीक्षित रहेगी ।

6.2.16 पत्थरों मिट्टी के एकत्रीकरण पर रायल्टी की वसूली न करना

- उ.प्र. खनिज (परिहार) नियमावली के प्रावधानों तथा उ.प्र.के शासनादेश सितम्बर 1988 के साथ पठित नियमों के अनुसार पत्थरों की गिट्टी/पत्थरों के वोल्डर प्रयोग करने वाले विभागों/ठेकेदारों/उपभोक्ता को (रायल्टी) का भुगतान करना आवश्यक है। उ.प्र.शासन ने अपने परिपत्र (फरवरी 2002 तथा अगस्त 2002) में स्पष्ट किया है कि यदि ठेकेदार (रायल्टी) की रसीद (एम.एम.11) या फार्म –2 सी नही प्रस्तुत करता है तो प्रत्येक आहरण वितरण अधिकारी रायल्टी की वसूली के लिये जिम्मेदार होगा । 31 मार्च 2001 तक बालू पत्थर तथा ग्रेनाइट की दर क्रमशः रूपये 15 तथा रूपये 30 प्रति घनमीटर तथा अप्रैल 2001 से क्रमशः रूपये 23 तथा रूपये 30 प्रति घनमीटर है ।

13 जिला खान अधिकारियों के अभिलेखों का स्टोन ब्लास्ट/ बोल्डर के खान अर्जन से सम्बन्धित 22 खण्ड कार्यालयों[≡] के अभिलेखों से प्रति सत्यापन में पाया गया कि लोक निर्माण विभाग[π]/ग्रामीण अभियंत्रण सेवा[≠]/जिला ग्राम्य विकास अभिकरण[Σ] के निर्माण खण्डों ने 4.35 लाख घन मीटर पत्थर, ठेकेदारों के माध्यम से एकत्र किए परन्तु आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा खदानों पर रायल्टी के भुगतान का सत्यापन न तो एम.एम.–11 फार्म –2 सी पास द्वारा किया गया और न ही उनके बिलों से रायल्टी की कटौती की गयी जिसके कारण वर्ष 1998–99 से 2002–03 तक 4.98 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति हुयी। जिसका विवरण अनुलग्नक –XVI में दिया गया है ।

[≡] एन.एच., प्रा.ख.लो.नि.वि. ,प्रा.ख.लो.नि.वि.फैजाबाद,/सी.डी.–1लो.नि.वि., एन.एच.लो.नि.वि.गोरखपुर/ प्रा.ख.लो.नि.वि. बरेली,एन.एच.पी.डब्ल्यू.डी., सी.डी.–2 लो.नि.वि.लखनऊ,/डी.आर.डी.ए.बांदा, डी.आर.डी.ए.चित्रकूट,सी.डी.–1 मुजफ्फरनगर,आर.ई.एस.सहारनपुर, आर.ई.एस.इटावा,आर.ई.एस.फतेहपुरडी.आर.डी.ए., पी.आर.पी.डब्ल्यू.डी.इटावा,/ सी. डी.फतेहपुर, सी.डी.गाजियाबाद, पी.डी.बुलन्दशहर, सी.डी.–2, पी.डी., सी.डी.–1 मुरादाबाद।

[π] लो. नि. वि.

[≠] रूरल इन्जीनियरिगं सर्विसेज।

[Σ] डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेन्ट एजेन्सी

उ.प्र.शासन ने शासनादेश मई 1995 के द्वारा मिट्टी को उ.प्र. खनिज (परिहार) नियमावली 1963 के नियम 21 के प्रथम अनुसूची में सम्मिलित किया। भारत सरकार ने भी अपने अधिसूचना फरवरी 2000 द्वारा मिट्टी को उपखनिज घोषित किया। मिट्टी पर रायल्टी की दर चार रूपये प्रति घन मीटर है।

मिट्टी के एकत्रीकरण तथा उपयोग के सम्बन्ध में 33 खण्डों/कार्यालयों[1] के अभिलेखों का 17 जिला खण्ड अधिकारियों के अभिलेखों से प्रतिसत्यापन में ज्ञात हुआ कि पी.डब्ल्यू.डी./ आर.ई.एस/डी.आर.डी.ए. के निर्माण खण्डों ने 56.16 लाख घनमीटर मिट्टी, ठेकेदारों के माध्यम से एकत्र किया और उपयोग किया परन्तु ठेकेदारों के बिल से रायल्टी की कटौती, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नही किया गया जिससे शासन को वर्ष 1998–99 से 2002–03 की अवधि के दौरान 2.25 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति हुयी जिसका विवरण अनुलग्नक –XVII में दिया गया है।

लेखा परीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार की और कहा (सितम्बर 2004) कि सम्बन्धित जिलाधिकारियों को वसूली के लिये अनुरोध किया गया । अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

खनिज निधि का न बनाया जाना

6.2.17 उ.प्र.शासन ने खनिज नीति 1998 के तहत खनिज निधि बनाने का प्रावधान किया था। यह निधि, वर्ष में कुल प्राप्त राजस्व के 5 प्रतिशत की धनराशि से बनाया जाना था, जिसका उपयोग –अनुसंधान एवं विकास के लिये उपकरणों की खरीद, रिपोर्ट तैयार करने, उपभोक्ताओं उधमियों के उपयोग, के लिये कम्प्यूटर से आंकड़ों का विश्लेषण करना, इन्फास्ट्रक्चर के निर्माण तथा खनिज राज्य के सृजन तथा मल्लाह समुदाय के कल्याण की योजना –के उद्देश्य से किया जाना था ।

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उ.प्र.लखनऊ के अभिलेखों के नमूना जांच में पाया गया कि खनिज निधि का सृजन अब तक (अप्रैल 2004) नही किया गया । वर्ष 1998–99 से 2002–03 तक के कुल पांच वर्षो मे विभाग का कुल राजस्व 975.15 करोड़ रूपये था जिसका पांच प्रतिशत राजस्व 48.76 करोड़ रूपये इस निधि में स्थानान्तरित किया जाना था लेकिन इस धनराशि को इस निधि में स्थानान्तरित नही किया गया ।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने आपत्ति स्वीकार किया तथा बताया (सितम्बर 2004) कि इसका लेखा खोलने के प्रयास किये जा रहें है। अग्रेतर प्रगति प्रतीक्षित है (नवम्बर 2004)।

कोयले में अपर्याप्त अनुश्रवण

6.2.18 एम.एम.सी.ऐक्ट 1960 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार का एक निगम उत्तर प्रदेश में चार कोल फिल्ड से (वीना, खड़िया, दुद्धिचुआ, और ककड़ी) कोयले का दोहन कर रहा है। कम्पनी 'सी.डी.'और 'ई' ग्रेड के कोयले का उत्पादन कर रही है और तदनुरूप प्रेषित कोयले की मात्रा के आधार पर (रायल्टी का) भुगतान कर रही है।

जिला खान अधिकारी सोनभद्र के अभिलेखों के नमूना जांच में यह पाया गया कि जिला खान अधिकारी –खनन कार्य के प्रारम्भ होने की तिथि, पट्टे के समाप्त होने की तिथि, प्रत्येक खान का क्षेत्रफल दोहन किये जाने वाले कोयले की अनुमानित मात्रा, कोयले की श्रेणी, कोयला के प्रेषण आदि के विषय में– अनभिज्ञ हैं। विभाग

[1] प्रान्तीयखण्ड फैजा./ प्रान्तीयखण्ड सी.डी.–1 एन.एच.पी.गोरखपुर/ प्रान्तीय खण्ड, एन.एच., सी.डी. –2 बरेली/ केन्द्रीय खण्ड भद्रा/ आर.ई.एस.सोनभद्र/ निर्माण खण्ड–2, सारदा नहर डिवी.–2 लखनऊ/ डी.आर.डी.ए., आर.ई.एस.हमीरपुर/ डी.आर.डी.ए. बांदा/ डी.आर.डी.ए., सी.डी.. प्रा.खण्ड चित्रकूट/ डी.आर.डी.ए.महोबा/ प्रा.ख.लो.नि.वि. डी.आर.डी.ए., आर.ई.एस.झांसी/ आर.ई.एस.ललितपुर/ आर.ईएस. सी.डी.सहारनपुर/ आर.ई.एस.फतेहपुर/ आर.ई.एस., डी.आर.डी.ए. पी.डी. इटावा/ सी.डी.फतेहपुर/ सी.डी.गाजियाबाद/ सी.डी. गाजीपुर/ पी.डी. सी.डी.–2 मुरादाबाद।

के किसी भी अधिकारी ने वास्तविक उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणीकरण तथा प्रेषण के सत्यापन के लिये मौके का कभी निरीक्षण नही किया गया है। केवल कोल फील्ड्स द्वारा जमा की गयी रायल्टी का अभिलेख स्वयं उनके द्वारा रखे गये है। कम्पनी को बिना किसी नियन्त्रण के, उसकी स्वतंत्रता पर विवरण प्रस्तुत करने के लिये छोड़ दिया गया है, जो विभाग के कमजोर अनुश्रवण का संकेत है।

आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली

6.2.19 रायल्टी, करो तथा फीसों के वसूली की सम्पूर्ण प्रणाली का, प्रशासन एवं अनुश्रवण शासन द्वारा जिला प्रशासन के माध्यम से किया जाता है। निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म उत्तर प्रदेश लखनऊ, संबंधित अधिकारियों द्वारा देय सूचना के आधार पर रायल्टी के अभिलेख का रख रखाव करते है। जनपद में नियुक्त जिला खान अधिकारियों भूगर्भशास्त्रियों/सहायक भूगर्भ शास्त्रियों/निरीक्षक खनिजों की अनाधिकृत निकासी को रोकने, रायल्टी के वास्तविक भुगतान को सुनिश्चित करने तथा खनन कार्य अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है, को समय समय पर अचानक निरीक्षण करने के लिये अधिकृत है।

लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि_आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली ठीक कार्य नहीं कर रही है ।

जिसके कारण निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकाश में आयी

- नमूने जॉच के अधिकतर जनपदों में एम0 एम0–11 पासेज न तो वापस लिए जा रहे हैं और न ही इनका लेखा रखा जा रहा है।
- सभी जनपदों में खनिजों का उत्पादन खनन योजना के अनुसार नहीं किया जा रहा है।
- पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पट्टा धारको या सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है।
- बकाया राजस्व के आकड़े (रायल्टी अर्थदण्ड, फीस इत्यादि) की स्थिति निदेशालय को ज्ञात नहीं है।
- एम0 एम0–11 पासेज निर्गत करने से पूर्व, पट्टा धारकों से व्यापार कर के भुगतान का सत्यापन नहीं किया गया।
- विभाग अनाधिकृत खनन रोकने में असफल रहा

लेखा परीक्षा में–उपरोक्त निष्कर्षो के आधार पर, अधिनियम/नियमों के अनुपालन न करने के कारण रायल्टी, स्टाम्प शुल्क, व्यापार कर अर्थदण्ड और ब्याज आदि के रूप में कम/अनारोपण से 65.80 करोड़ रूपये की राजस्व क्षति हुयी–प्रकाश में आया।

6.2.20 संस्तुतियॉ

यह संस्तुति किया जाता है कि :

- अधिनियम/नियमों का कड़ाई से अनुपालन हो
- अच्छे वित्तीय नियंत्रण/प्रबंधन के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा को मजबूत बनाया जाय।
- पर्यावरण में सुधार के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाय।
- अनाधिकृत खनन पर कड़ाई करनी चाहिए।

लोक निर्माण विभाग

6.3 स्टोन बोल्डर के संग्रह पर रायल्टी का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश खान खनिज (छूट) नियमावली, 1963 के अनुसार खनन विभाग को निर्धारित दर पर रायल्टी के केवल भुगतान पर ही खदानों से लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों द्वारा पत्थर की गिट्टी/रेत प्राप्त की जाएगी। शासन ने सितम्बर 1988 तथा 5 अगस्त 2002 को यह स्पष्ट किया है कि ठेकेदार को बिल भुगतान किये जाने के पूर्व, लोक निर्माण विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ठेकेदार ने रायल्टी का भुगतान खनन विभाग को कर दिया है। अग्रेतर, ठेकेदार द्वारा खनन विभाग से रायल्टी भुगतान की रसीद एम.एम.–11 प्रस्तुत करना होगा जिसमें विफल रहने पर रायल्टी की धनराशि की वसूली उनके बिल से की जायेगी। पत्थर की गिट्टी पर रायल्टी की न्यूनतम दर, मार्च 2001 तक 15 रूपये प्रति घनमीटर तथा 1 अप्रैल 2001 से 23 रूपये प्रति घनमीटर था ।

लोक निर्माण विभाग के चार कार्यालयों[1] के अभिलेखों की नमूना जांच में दिसम्बर 2002 में यह पाया गया कि अप्रैल 1999 से मार्च 2002 की अवधि के दौरान ठेकेदारों ने 1.92 लाख घनमीटर पत्थर की गिट्टी, एकमुश्त दर जिसमें ढुलाई, रायल्टी एवं अन्य कर शामिल है, निर्माण कार्य के लिये आपूर्ति किया है। लेकिन भुगतान से पूर्व न तो एम.एम.–11 के द्वारा रायल्टी के भुगतान का सत्यापन किया गया, न ही उनके बिलों से रायल्टी की धनराशि काटी गयी । उपर्युक्त निर्देशों के अनुपालन न करने से 31.95 लाख राजस्व की क्षति हुयी ।

लेखा परीक्षा में इंगित किए जाने पर शासन ने बताया (अक्टूबर 2004) कि किसी भी अधिनियम/नियम के अन्तर्गत लोकनिर्माण विभाग को रायल्टी के वसूल करने की जिम्मेदारी नहीं दी गयी है। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी शासनादेश (अगस्त 2002) का अनुपालन करना और यह सुनिश्चित करना कि ठेकेदार ने खनन विभाग को रायल्टी का भुगतान कर दिया है, वाध्यकारी था।

(बीरेन्द्र कुमार)
महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा)
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक 23 मई 2005

प्रति हस्ताक्षरित

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 27 मई 2005

[1] सी.डी.–1, लखनऊ, पी.डी.–लखनऊ, पी.डी.–कानपुर देहात और पी.डी.–कानपुर नगर

अनुलग्नक

अनुलग्नक–।

(प्रस्तर 2.2.5 के सन्दर्भ में)

समीक्षा दल द्वारा प्रति–सत्यापन के दौरान प्रकाश में आए उ0 प्र0 के व्यापारियों द्वारा स्टाक–ट्रान्सफर के मूल्य तथा प्रान्त बाहर व्यापारियों द्वारा स्टाक प्राप्ति के मूल्य में अन्तर के आंकड़ों का विवरण ।
उ0 प्र0 के व्यापारियों के अभिलेखों में पाए गये अधिक धनराशि का विवरण ।

कम सं0	प्रपत्र 'एफ' संख्या और वर्ष	उ.प्र. के व्यापारियों का नाम व पता	प्रान्त बाहर व्यापारियों का नाम व पता	माल का नाम	कर की दर	उ.प्र. के व्यापारी द्वारा स्टाक ट्रान्सफर का मूल्य	प्रान्त बाहर व्यापारी द्वारा प्राप्त स्टाक का मूल्य	अधिकता	उ.प्र. के व्यापारी द्वारा कर का परिवर्जन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	02 क्यू0 0950228 (2000-01)	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिमर्स लि. कानपुर नया नाम–मे. रेजिनोवा केमी लि. कानपुर	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिमर्स लि. दिल्ली नया नाम–मे. रेजिनोवा केमी लि दिल्ली	रासायनिक	10%	32,64,265	28,43,192	4,21,073	42,107
2.	02 क्यू0 0950230 (2000-01)	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिमर्स लि. कानपुर नया नाम–मे. रेजिनोवा केमी लि. कानपुर	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिमर्स लि. दिल्ली नया नाम–मे. रेजिनोवा केमी लि दिल्ली	रासायनिक	10%	39,12,246	32,64,265	6,47,981	64,798
3.	02 क्यू0 0950232 (2000-01)	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिमर्स लि. कानपुर नया नाम–मे. रेजिनोवा केमी लि. कानपुर	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिमर्स लि. दिल्ली नया नाम–मे. रेजिनोवा केमी लि दिल्ली	रासायनिक	10%	37,92,462	37,80,794	11,668	1,167
4.	02 क्यू0 0950233 (2000-01)	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिमर्स लि. कानपुर नया नाम–मे. रेजिनोवा केमी लि. कानपुर	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिमर्स लि. दिल्ली नया नाम–मे. रेजिनोवा केमी लि दिल्ली	रासायनिक	10%	47,87,57	39,40,087	8,47,510	84,751
5.	02 क्यू0 0950236 (2000-01)	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिमर्स लि. कानपुर नया नाम–मे. रेजिनोवा केमी लि. कानपुर	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिमर्स लि. दिल्ली नया नाम–मे. रेजिनोवा केमी लि. दिल्ली	रासायनिक	10:	43,15,333	41,30,778	1,84,555	18,456

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.	02 क्यू0 0730732 (1999-2000)	मे. मोदी मुण्डी फार्मा प्रा. लि. मोदीपुरम मेरठ	मे. मोदी मुण्डी फार्मा प्रा. लि. मोदीपुरम दिल्ली	एच. एल. दवाई	7.5%	8,17,220	Nil	8,17,220	61,292
7.	02 क्यू0 0868263 (2000-2001)	मे. अपोलो टायर लि. मेरठ	मे.पारिख रेजिन्स एवं पालिम से लिमिटेड दिल्ली	टायर ट्यूब और फ्लैप्स	10%	1,49,83,972	9,429	1,49,74,543	14,97,454
8.	02 क्यू0 0868262 (2000-2001)	मे. अपोलो टायर लि. मेरठ	मे. अपोलो टायर लि. दिल्ली	टायर ट्यूब और फ्लैप्स	10%	7,15,487	1,89,280	5,26,207	52,621
9.	02 क्यू0 0868260 (2000-2001)	मे. अपोलो टायर लि. मेरठ	मे. अपोलो टायर लि. . दिल्ली	टायर ट्यूब और फ्लैप्स	10%	21,39,366	11,05,730	10,33,636	1,03,364
10.	02 क्यू0 0868257 (2000-2001)	मे. अपोलो टायर लि. मेरठ	मे. अपोलो टायर लि. दिल्ली	टायर ट्यूब और फ्लैप्स	10%	10,59,888	6,99,860	3,60,028	36,003
11.	02 क्यू0 0868256 (2000-2001)	मे. अपोलो टायर लि. मेरठ	मे. अपोलो टायर लि. दिल्ली	टायर ट्यूब और फ्लैप्स	10%	51,50,850	62,440	50,88,410	5,08,841
12.	02 क्यू0 0868252 (2000-2001)	मे. अपोलो टायर्स लि. मेरठ	मे. अपोलो टायर्स लि. दिल्ली	टायर, ट्यूब एवं फ्लैप	10%	7,71,017	6,84,416	86,601	8,660
13.	02 क्यू0 0759842 (1998-1999)	मे. गणपति_पेपर्स मेरठ	मे. गणपति पेपर्स दिल्ली	पेपर	7.5%	8,13,400	वर्ष 96–97 के लिये प्रपत्र प्रयोग किया गया	8,13,400	61,005
14.	02 क्यू0 0759843 (1998-1999)	मे. गणपति_पेपर्स मेरठ	मे. गणपति पेपर्स दिल्ली	पेपर	7.5%	3,57,551	वर्ष 96–97 के लिय प्रपत्र प्रयोग किया गया	3,57,551	26,816
15.	02 क्यू0 0759844 (1998-1999)	मे. गणपति_पेपर्स मेरठ	मे. गणपति पेपर्स दिल्ली	पेपर	7.5%	4,79,819	वर्ष 96–97 के लिये प्रपत्र प्रयोग किया गया	4,79,819	35,986
16.	02 क्यू0 0759845 (1998-1999)	मे. गणपति_पेपर्स मेरठ	मे. गणपति पेपर्स दिल्ली	पेपर	7.5%	1,73,992	वर्ष 96–97 के लिये प्रपत्र प्रयोग किया गया	1,73,992	13,049
17.	02 क्यू0 0976401 (2000-01)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 मेरठ	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 दिल्ली	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	98,38,115	98,33,815	4,300	1,398
18.	02 क्यू0 0996598 (2000-01)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 मेरठ	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 दिल्ली	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	75,39,030	75,19,030	20,000	6,500

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19.	02 क्यू0 0941946 (1999-2000)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **दिल्ली**	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	98,94,610	82,47,601	16,47,009	5,35,278
20.	02 क्यू0 0941947 (1999-2000)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **दिल्ली**	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	1,11,81,530	86,03,140	25,78,390	8,37,977
21.	02 क्यू0 0941949 (1999-2000)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **दिल्ली**	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	1,13,07,450	1,04,13,385	8,94,065	2,90,571
22.	02 क्यू0 0941952 (1999-2000)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **दिल्ली**	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	1,11,31,545	1,07,46,450	3,85,095	1,25,156
23.	02 क्यू0 0941953 (1999-2000)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **दिल्ली**	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	1,19,38,135	1,11,81,530	7,56,605	2,45,897
24.	02 क्यू0 0941955 (1999-2000)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **दिल्ली**	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	86,30,140	74,56,860	11,73,280	3,81,316
25.	ए.ए.099680 to 690 11 प्रपत्र–एफ (2000-01)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 चण्डीगढ़ **(के0शा0रा0)**	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	1,38,16,964	48,33,770	89,83,194	29,19,538
26.	एल-344640 (2000-01)	मे. अपोलो टायर्स लि. **मेरठ**	मे. अपोलो टायर्स लि0 **जलान्धर**	टायर,ट्यूब एवं फ्लैप	10%	39,93,350	3,99,350	35,94,000	3,59,400
27.	बी..बी-510734 (1999-2000)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे. अपोली टायर्स लि0 **फरीदाबाद**	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	55,22,270	49,61,270	5,61,000	1,82,325
28.	बी..बी--510735 (1999-2000)	मे. सेन्ट्रल डिस्टिलरी एण्ड ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे. अपोली टायर्स लि0 **फरीदाबाद**	आई.एम. एफ.एल.	32.5%	82,88,740	74,96,080	7,92,660	2,57,615
				कुल योग		**16,06,16,344 (16.06 करोड़)**	**11,24,02,552 (11.24 करोड़)**	**4,82,13,792 (4.82 करोड़)**	**87,59,341 (0.88 करोड़))**

- जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है, उ0 प्र0 के व्यापारियों द्वारा हस्तान्तरित माल का मूल्य, प्रान्त बाहर व्यापारियों द्वारा कम करके दिखाया गया। इस प्रकार उ0 प्र0 के व्यापारियों द्वारा प्रपत्र 'एफ' के द्वारा रू0 4.82 करोड़ का अधिक स्टाक ट्रान्सफर हुआ। परिणामस्वरूप रू0 1.32 करोड़ (0.88 करोड़. 0.44 करोड़) कम कर, (अर्थदण्ड सहित) आरोपित हुआ।

अनुलग्नक–।।

(प्रस्तर 2.2.5 के सन्दर्भ में)

समीक्षा दल द्वारा प्रति–सत्यापन के दौरान प्रकाश में आए उ0 प्र0 के व्यापारियों द्वारा स्टाक–ट्रान्सफर के मूल्य तथा प्रान्त बाहर व्यापारियों द्वारा स्टाक प्राप्ति के मूल्य में अन्तर के आंकड़ों का विवरण ।
उ0 प्र0 के व्यापारियों के अभिलेखों में पाए गये कम धनराशि का विवरण ।

कम सं0	प्रपत्र एफ संख्या और वर्ष	उ.प्र. के व्यापारियों का नाम व पता	प्रान्त बाहर व्यापारियों का नाम व पता	माल का नाम	कर की दर	उ.प्र. के व्यापारी द्वारा स्टाक ट्रान्सफर का मूल्य	प्रान्त बाहर व्यापारी द्वारा प्राप्त स्टाक का मूल्य	अधिकता	उ.प्र. के व्यापारी द्वारा कर का परिवर्जन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	02 क्यू0 0950231 (2000-01)	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 कानपुर नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 कानपुर	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 दिल्ली नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 दिल्ली	रासायनिक	10%	28,40,529	34,34,318	5,93,789	59,379
2.	02 क्यू0 0950234 (2000-01)	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 कानपुर नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 कानपुर	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 दिल्ली नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 दिल्ली	रासायनिक	10%	34,91,207	40,53,176	5,61,969	56,197
3.	02 क्यू0 0950235 (2000-01)	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 कानपुर नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 कानपुर	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 दिल्ली नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 दिल्ली	रासायनिक	10%	39,40,087	40,58,321	1,18,234	11,823
4.	02 क्यू0 0950237 (2000-01)	मे0 पारिख रेंजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 कानपुर नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 कानपुर	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 दिल्ली नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 दिल्ली	रासायनिक	10%	40,79,950	41,48,026	68,076	6,808
5.	02 क्यू0 0950238 (2000-01)	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 कानपुर नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 कानपुर	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 दिल्ली नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 दिल्ली	रासायनिक	10%	39,56,331	42,67,767	3,11,436	31,144
6.	02 क्यू0 0950239 (2000-01)	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 कानपुर नया नाम मे0 रेजिनोवाकेमी0 लि0 कानपुर	मे0 पारिख रेजिन्स एण्ड पालिमर्स लि0 दिल्ली नया नाम मे0 रेजिनोवा केमी0 लि0 दिल्ली	रासायनिक	10%	40,58,321	45,17,644	4,59,323	45,932

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.	02 क्यू0 0868261 (2000-01)	मे0 अपोलो टायर्स लि0 मेरठ	मे0 अपोलो टायर्स लि0 दिल्ली	टायर ट्यूब एवं फ्लैप्स	10%	3,91,934	9,92,680	6,00,746	60,075
8.	02 क्यू0 0868258 (2000-01)	मे0 अपोलो टायर्स लि0 मेरठ	मे0 अपोलो टायर्स लि0 दिल्ली	टायर ट्यूब एवं फ्लैप्स	10%	18,72,513	1,36,54,338	1,17,81,825	11,78,183
9.	02 क्यू0 0868259 (2000-01)	मे0 अपोलो टायर्स लि0 मेरठ	मे0 अपोलो टायर लि0 दिल्ली	टायर ट्यूब एवं फ्लैप्स	10%	6,80,948	8,18,852	1,37,904	13,790
10.	02 क्यू0 0868255 (2000-01)	मे0 अपोलो टायर्स लि0 मेरठ	मे0 अपोलो टायर्स लि0 दिल्ली	टायर ट्यूब एवं फ्लैप्स	10%	3,91,444	30,85,316	26,93,872	2,69,387
11.	02 क्यू0 0868254 (2000-01)	मे0 अपोलो टायर्स लि0 मेरठ	मे0 अपोलो टायर्स लि0 दिल्ली	टायर ट्यूब एवं फ्लैप्स	10%	11,09,691	12,09,562	99,871	9,987
12.	02 क्यू0 0868253 (2000-01)	मे0 अपोलो टायर्स लि0 मेरठ	मे0 अपोलो टायर्स लि0 दिल्ली	टायर ट्यूब एवं फ्लैप्स	10%	10,39,477	48,18,943	37,79,466	3,77,947
13.	02 क्यू0 0976402 (2000-01)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 मेरठ.	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 दिल्ली	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	88,54,991	98,54,991	10,00,000	3,25,000
14.	02 क्यू0 0976406 (2000-01)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 मेरठ	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 दिल्ली	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	1,03,05,349	1,32,44,989	29,39,640	9,55,383
15.	02 क्यू0 0976405 (2000-01)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 मेरठ	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 दिल्ली	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	1,30,36,967	1,31,39,559	1,02,592	33,342
16.	02 क्यू0 0941948 (1999-2000)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 मेरठ	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 दिल्ली	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	82,47,601	97,27,760	14,80,159	4,81,052
17.	02 क्यू0 0941950 (1999-2000)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 मेरठ	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 दिल्ली	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	68,95,860	80,72,755	11,76,895	3,82,491
18.	02 क्यू0 0941951 (1999-2000)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 मेरठ	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 दिल्ली	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	80,53,255	1,06,53,045	25,99,790	8,44,932
19.	02 क्यू0 0941954 (1999-2000)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 मेरठ	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 दिल्ली	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	97,27,760	1,20,02,210	22,74,450	7,39,196

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20.	02 क्यू0 0941956 (1999-2000)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 **दिल्ली**	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	1,04,13,385	1,21,48,845	17,35,460	5,64,025
21.	02 क्यू0 0941957 (1999-2000)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 **दिल्ली**	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	1,21,48,825	1,24,17,135	2,68,310	87,201
22.	बी.बी. 510732 (1999-2000)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 **फरीदाबाद**	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	32,57,205	73,17,105	40,59,900	13,19,468
23.	बी.बी. 510738 (1999-2000)	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 **मेरठ**	मे0 सेन्ट्रल डिस्टिलरी एवं ब्रेवरीज लि0 **फरीदाबाद**	आई0ए म0एफ0 एल0	32.5%	30,83,140	31,20,640	37,500	12,188
				कुल योग		**12,18,76,770 (12.19करोड़)**	**16,07,57,977 (16.08करोड़)**	**3,88,81,207 (3.89 dरोड़)**	**78,64,^30 (0.79 करोड़)**

- उ0 प्र0 के व्यापारियों द्वारा रू0 3.89 करोड़ मूल्य का माल प्रान्त बाहर कम स्थानान्तरण किया। परिणामस्वरूप उ0 प्र0 के व्यापारियों ने टर्नओवर छिपाया और रू0 1.19 करोड (0.79 करोड़ + 0.40 करोड़) का कर (अर्थदण्ड सहित) कम आरोपित हुआ।

अनुलग्नक– ।।।

(प्रस्तर 2.2.10 के सन्दर्भ में)

निर्यातक द्वारा दिये गए अपूर्ण प्रपत्र 'एच' जिसमें विक्रय आदेश/समझौता संख्या एवं दिनांक निर्दिष्ट नहीं हे।

(लाख रूपये मे ं)

कम सं0	परिक्षेत्र	व्यापारियों का नाम	कर निर्धारण वर्ष/कर निर्धारण	टर्नओवर	माल	कर की दर	कर का अनारोपण
1.	आगरा	मैं. इण्डिया कास्टिंग क0	2000-01 30.11.2002	186.53	डीजल इन्जन	10%	18.65
2.	गाजियाबाद	i/मे0 एडवान्सव स्टीलट्यूव लि0	2000-01 31.10.2002	1170.37	स्टील ट्यूब	4%	46.82
		ii/मे0 प्लास्टो केमिकल्स	2000-01 30.9.2003	9.71	पी0वी0सी0 पाइप्स	10%	0.97
		iii/मे0 रोल फोम इक्वीपमेन्ट प्रा0 लि0	2000-01 5.10.2002	106.42	मशीनरी पार्ट्स	10%	10.64
		iv/मे0 मुद्रा सीरेमिक प्रा0 लि0	2000-01 26.11.2002	7.12	काकरी	12.5%	0.89
3.	कानपुर	i/मे0 सेवियर वाक्स फैक्टरी	2000-01 13.1.2003	14.93	कार्ड वोर्ड वाक्स	10%	1.49
		ii/मे0 बलदेव प्रसाद सीताराम	2000-01 2.11.2002	126.81	सैण्डल पावर	12%	15.22
		iii/मे0 कानपुर पेन्ट फैक्टरी	2000-01 2.5.2003	10.42	पेन्ट व तिरपाल	10%	1.04
		iv/मे0 पुखरायन राइस मिल प्रा0लि0	2000-01 2002-03	80.80	चावल	4%	3.23
4.	लखनऊ	मे0 स्कूटर इण्डिया लि0	2000-01 24.2.2003	129.90	स्कूटर एवं पार्ट्स	12.5%	16.24
5.	मेरठ	मे0 दीवान रबर इण्डस्ट्रीज लि0	2000-01 25.2.2003	883.59	रीक्लेम्ड रबर, कार्डियल होजरी यार्न	10% 8%	70.80
6.	मुज्जफर नगर	मे0 मउगा स्टील पाइप इण्डस्ट्रील लि0	2000-01 21.1.2003	100.48	एम0एस0पाइप	4%	4.02
7.	नोयडा	i) मे0 सॉची फैग्रेन्सेस एण्ड केमिकल लि0	2000-01 24.2.2003	21.81	परफ्यूमरी कम्पाउन्ड	10%	2.18
		ii) मे0 सुनहरी एक्सपोर्ट लि0	2000-01 6.1.2003	29.09	टूथ ब्रश	10%	2.92
		iii) मे0 देलही कन्ट्रोल डिवाइसेस प्रा0 लि0	2000-01 2002-03	64.28	विजल का सामान	10%	6.43
		iv) मे0 भारत इन्टरनेशनल लि0	2000-01 2.6.2003	25.08	नीटेड गारमेन्ट्स	4%	1.00
		v) मे0 यूनीक्योर इण्डिया प्रा0लि0	1999-2000 2000-01 29.7.2002	150.02	दवाइयॉ	10%	15.00
		vi) मे0 ऋषि आर्ट लि0	2000-01 10.9.2003	306.45	लेदर गारमेन्ट्स	10%	30.64
8.	सहारनपुर	i) मे0 नवभारत राइस मिल प्रा0 लि0	2000-01 31.7.2002	136.02	चावल	4%	5.44
		ii) मे0 वीर कारोगेटिंग इण्डस्ट्रीज	2000-01 21.1.2003	16.33	कारोगेटेड वाक्स	10%	1.63
			योग	**3576.16**			**255.25**

अनुलग्नक–IV

(प्रस्तर 2.2.11 के सन्दर्भ में)

(लाख रूपये मे)

क्रं सं0	परिक्षेत्र	व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	वसूली प्रमाण पत्र के अनुसार व्यापार का स्थान	स्थान जहॉ माल स्थानान्तररित किया गया	टर्नओर जिसे स्टाक टान्सफर मान लिया गया	कर का अनारोपण
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गाजियाबाद	i) मे0 जी0डी0 फार्मास्यूब्किल लि0	1996-97 से 2000-01	कोलकाता	दूसरे स्थानों को	2167.62	216.77
		ii) मे0 कंगीसाइड	1998-99 से 2000-01	नई दिल्ली एवं जम्मू	गुजरात, बंगलोर, आन्ध्रप्रदेश उडीसा, हरियाण,पंजाब एवं मध्यप्रदेश	2663.22	106.46
		iii) मे0 बंसल वायर इण्डस्ट्रील लि0	1998-99 से 2000-01	शून्य	दूसरे स्थानों को	444.94	17.80
2.	कानपुर	i) मे0 जे0 के0 इण्डस्ट्रील लि0	1998-99 से 2000-01	शून्य	पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एवं उत्तरॉचल	149.41	14.94
		ii) मे0 रेजीनोवा केमिकल्स लि0	1998-99 से 2000-01	कोलकाता एवं दिल्ली	आहम्मदाबाद	204.85	20.48
		iii) मे0 लक्ष्मी टी0 ट्रेडिग क0	2000-2001	शून्य	उत्तरॉचल	65.64	6.56
		iv) मे0 नीरज एण्ड क0	2000-2001	शून्य	उत्तरॉचल	43.06	4.31
		v) मे0 बाल गोविन्द भगवती प्रसाद	2000-2001	शून्य	नई दिल्ली	321.00	32.10
		vi) मे0 अशोका सेल्स क0	2000-2001	शून्य	नई दिल्ली	150.23	15.02
		vii) मे0 दिनेश आयल लि0	2000-2001	शून्य	पंजाब	38.46	3.85
3.	लखनऊ	मे0 ग्लैक्सो इण्डिया लि0	99-2000 से 2000-01	दिल्ली	बिहार, तमीलनाडू, केरला, गुजरात, राजस्धान, करनाटक आन्धप्रदेश	577.36	57.74
4.	नोएडा	i) मे0 यूनीक्योर इण्डिया लि0	99-2000 से 2000-01	शून्य	दूसरे स्थानों को	69.98	7.00
		ii) मे0 एच0 सी0 एल0 इन्फोसिस्टम	2000-2001	शून्य	कोचीन चन्डीगण	184.68	3.69
			योग			**7080.45**	**506.72**

अनुलग्नक-V
(प्रस्तर **2.3.1** के सन्दर्भ में)

(करोड़ रूपये में)

कम सं0	परिक्षेत्र का नाम	इकाइयो की संख्या	ली गयी योजना की प्रकृति	छेय छूट की धनराशि	स्वीकृत छूट की धनराशि	अधिक स्वीकृत छूट
1	2	3	4	5	6	7
1.	डिप्टी कमि0 (क.नि.)–1 व्या0 कर गाजियाबाद	4	विस्तारीकरण / विविधीकरण	654.94	982.40	327.46
2.	डिप्टी कमि0 (क.नि.)–4 व्या0 कर गाजियाबाद	1	विस्तारीकरण	11.78	17.67	5.89
3.	डिप्टी कमि0 (क.नि.)–19 व्या0 कर कानपुर	2	विस्तारीकरण	2.74	6.84	4.10
4.	डिप्टी कमि0 (क.नि.)–गो0 बु0 नगर	4	विस्तारीकरण विविधीकरण	106.25	212.50	106.25
5.	डिप्टी कमि0 (क.नि.)–6 नोएडा	1	विस्तारीकरण	2.89	4.34	1.45
6.	डिप्टी कमि0 (क.नि.)–5 व्या0 कर आगरा	1	विस्तारीकरण	27.37	68.42	41.05
7.	डिप्टी कमि0 (क.नि.)–8 व्या0 कर आगरा	1	विस्तारीकरण	4.83	9.66	4.83
8.	डिप्टी कमि0 (क.नि.)–8 व्या0 कर नोएडा	1	विस्तारीकरण	2.34	3.51	1.17
			योग	**813.14**	**1305.34**	**492.20**

अनुलग्नक–VI
(प्रस्तर 2.4 के सन्दर्भ में)

(करोड़ रूपये में)

कम सं0	परिक्षेत्र का नाम	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण का माह	माल का नाम	कर योग्य टर्नओवर	प्रयुक्त कर की सामान्य दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर की दर	आरोपित कर में कमी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –4 व्या0 कर गाजियाबाद	1997-98 मार्च 2000 1998-99 मार्च 2001 1999-2000 मार्च 2000	आटो/टैक्टर ईजंन वाल्व	19.64	12.5 / 4	4 2	1.48
2.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –1 व्या0 कर गाजियाबाद	2000-01 दिसम्बर 2002	हेयर आयल	14.48	15	Nil	2.17
3.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –1 व्या0 कर गाजियाबाद	1999-00 मार्च 2002 2000-01 जून 2003	*पी.यू.फोम स्पिंग गद्दा/जूट का गद्दा	16.88	15	4 / 2.5	1.86
4.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –1 व्या0 कर गाजियाबाद	1998-99 फरवरी 2001 1999-00 दिसम्बर 2001 2000-01 अगस्त 2002	♥एस.डी.पी.ई. पाइप्स/फीटिंग	5.04	10	4	0.30
5	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –गो0 बु0 नगर	1996-97 सितम्बर 1998 1997-98 फरवरी 2000 1998-99 मार्च 2001 1999-00 मार्च 2002 2000-01 फरवरी 2003	देशी घी और दूध का पाउडर आदि	106.59	10	4	6.40
6.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –गो0 बु0 नगर	2000-01 फरवरी 2003	एडेसिव टेप्स आदि	4.42	10	2.5 / 4	0.27
7.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –गो0 बु0 नगर	2000-01 फरवरी 2003	कार और उसके पूर्जे हल्के व्यावसयिक वाहन	2.80 5.35	12 12	शून्य 4	0.34 0.43

* प्लास्टिक यूरेथीन
♥ हाई डेन्सिटी पाली इथिलीन

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –8 व्या0 कर आगरा	1997-98 मार्च 2000 1998-99 मार्च 2001 2000-01 दिसम्बर 2002	मेटालाइज पैकिंग एवं पैकिंग सामग्री	25.69	10	2.5 / 4	1.69
9.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –गो0 बु0 नगर	1997-98 फरवरी 2000 1998-99 जनवरी 2001 2000-01 फरवरी 2003	शीट मेटल पार्टस आटोमोबाइल्स पिक्चर टियूब आदि	52.51	10 / 12.5	2.5 / 4	4.03
10.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –5 व्या0 कर नोएडा	1999-2000 दिसम्बर 2002 2000-01 दिसम्बर 2003	सिलिग फैन	3.69	10	2.5 / 5	0.27
11.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –6 व्या0 कर नोयडा	1997-98 दिसम्बर 1999 1998-99 जनवरी 2001 2000-01 सितम्बर 2003	आटो पार्ट्स	8.59	12.5	2.5	0.86
12	डिप्टी कमि0 (क.नि.)–6 व्या0 कर नोयडा	1999-2000 जून 2002 2000-01 फरवरी 2003	फार्म शीट कूसन्	9.43	15 / 16	2.5 / 4	1.09
13.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –8 व्या0 कर नोयडा	1999-2000 नवम्बर 2002 2000-01 फरवरी 2003	होगोग्राफिकली इमबोस्ड मेटेलाइज्ड पालिस्टर	8.80	10	4	0.53
14.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –1 व्या0 कर रामपुर	1999-2000 दिसम्बर 2003	काफ्ट पेपर	25.12	10 / 7.5	4 / 2.5	1.45
15.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –6 व्या0 कर लखनऊ	1999-2000 जुलाई 2003	साफ्ट ड्रिंग्स	1.33	15	4	0.15
योग				**310.36**			**23.32**

अनुलग्नक–VII

(प्रस्तर 2.5.1 के सन्दर्भ में)

(करोड़ रूपये में)

कम सं0	परिक्षेत्र का नाम	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण का माह	छिपाया गया टर्नओवर	आरोपणीय कर की दर का प्रतिशत	आरोपणीय कर की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –7 व्या0 कर लखनऊ	1997-98 फरवरी 2000	5.55	7.5	0.42
		1998-99 सितम्बर 2000	0.71	8	0.06
		1999-00 दिसम्बर 2001			
		2000-01 नवम्बर 2002			
2.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –12 व्या0 कर गाजियाबाद	1999-2000 मार्च 2002	3.12	7.5	0.23
		2000-01 जनवरी 2003	1.81	8	0.14
3.	डिप्टी कमि0 (क.नि.) –2 व्या0 कर लखनऊ	1999-00 दिसम्बर 2001	1.81	7.5	0.14
		2000-01 नवम्बर 2002	1.02	8	0.08
		योग	**14.02**		**1.07**

अनुलग्नक–VIII

(प्रस्तर 2.7 के सम्बन्ध में)

(लाख रूपये में)

क्रम सं0	कार्यालय का नाम	कर निर्धारण का वर्ष कर निर्धारण का माह	वस्तु	कर देय टर्नओवर	कर की दर आरोपणीय आरोपित (प्रतिशत में)	कम आरोपित कर (अतिरिक्त कर सहित)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आसिस्टेन्ट कमि. व्या. कर खण्ड–III नोयडा	1998-99 मार्च 2000 1999-2000 जनवरी-2002	क्वार्ज मूवमेण्ट अलार्म घडी, घड़ियों को इलेक्ट्रानिक समान माना गया	848.87	15 2	110.35
2.	असिस्टेन्ट कमि. असि. कमि.1 (व्या.कर) वारणसी	1996-97 मार्च–1999 1997-98 मई 2000	वोल्टेज स्टेबलाइजर को इलेक्ट्रानिक गुड्स माना गया	33.48	10[ष] 2.5	2.51
3.	असि.कमि.(क.नि.)15 कानपुर	1999-2000 मई– 2001	पी.बी.सी.पाइप को हार्डवेयर माना गया	197.65	10 8[×]	4.72
4.	डि.कमि.(क.नि) 16 कानपुर	1999-2000 नवम्बर–2001	प्लास्टिक यूरेथीन फोम स्क्रैप अवर्गीकृत माना गया	41.64	15 10	2.08
5.	तदैव	तदैव	तदैव	29.33	15 10	1.47
6.	असि.कमि.(क.नि.)बड़ौत	1999-2000 मार्च–2002	पी.यू.फोम कटिंग को वेस्ट प्रोड्क्ट माना गया	7.47	15 5	0.75
7.	व्या.क.अधि.खण्ड–1 इलाहाबाद	1994.95 जून– 1998 1996.97 मार्च– 1999 1998.99 जनवरी– 2001	ट्रान्सफार्मर के पुराने व निष्प्रयोज्य तारों को अन्य ओर्स मेटल माना गया	31.75	5 2.5	0.79
8.	असि.कमि.(क.नि.)खण्ड–3 आगरा	1999-2000 अगस्त 2001	मैज स्टार्च को खादय स्टार्च माना गया	51.89	7.5 5	1.30
9.	असि.कमि.(क.नि.)खण्ड–1 लखनऊ	1999-2000 अगस्त– 2001 2000-2001 सितम्बर 2002	फ्लोट ग्लास को प्लेन ग्लास माना गया	27.59	15 10	1.38
10.	व्या.क.अधि. खण्ड–6 लखनऊ	1998-99 जनवरी– 2000 1999-2000 अगस्त– 2001	केमिकल को पेस्टी साइड माना गया	17.53	10 5	0.88

ष 17.1.2000 से 8 प्रतिशत ।

× 30 नवम्बर 1998 तक 8 प्रतिशत तथा उस पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त कर ।

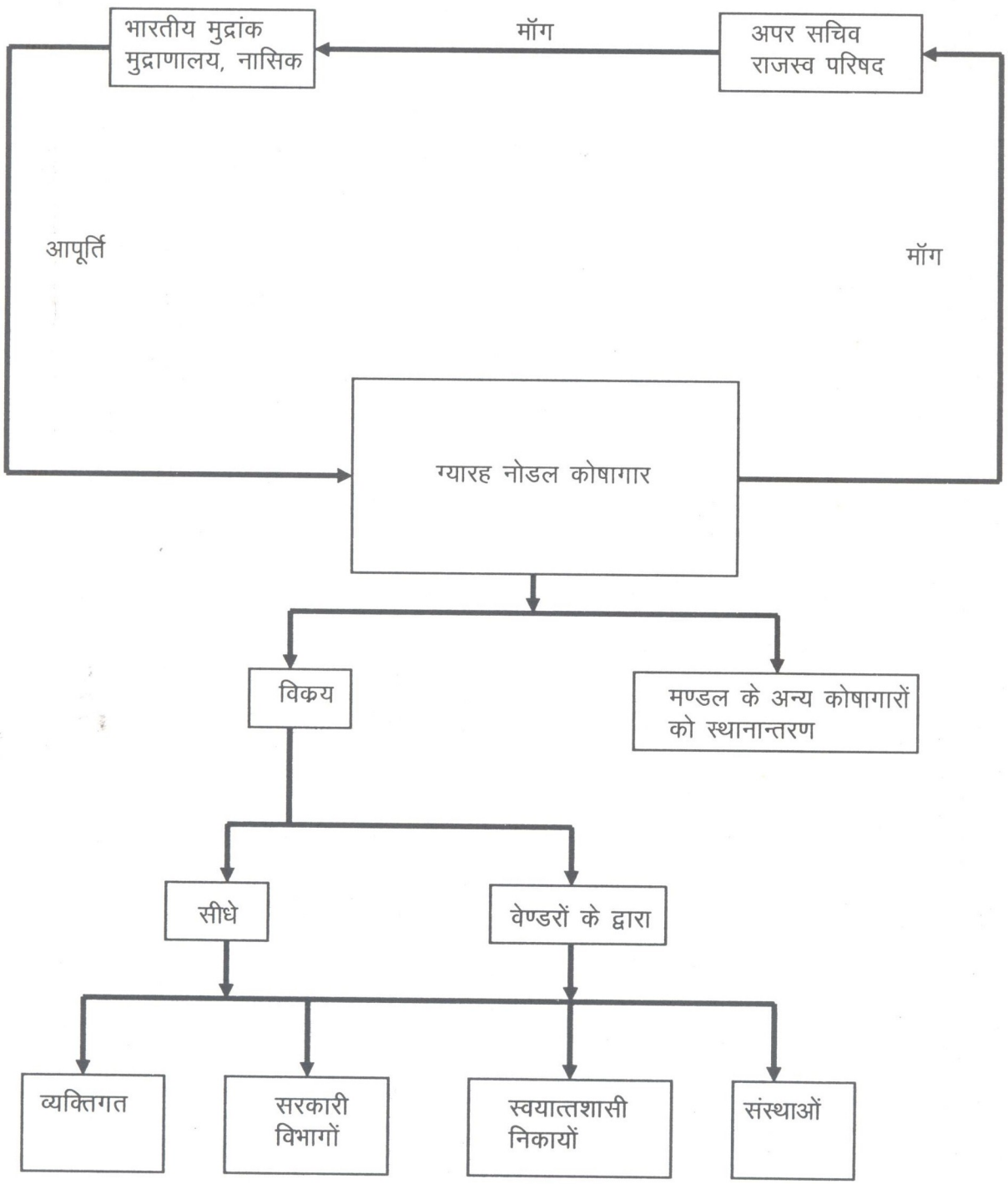
1	2	3	4	5	6	7
11.	डि.कमि.(क.नि.)–7 लखनउ	2000-01 जनवरी– 2003	फैक्स मशीन को इलेक्टानिक गुड्स माना गया	251.23	10/2	20.10
12.	डि.कमि.(क.नि.)–18 कानपुर	1999-2000 फरवरी 2002 2000-01 मार्च– 2003	नूडल्स को न्यूटिशन फूड माना गया	94.16	12/8	3.77
	तदैव	1996-97 जनवरी–99 1997-98 मार्च–2000 1998-99 मार्च–2001 1999-00 फरवरी–2002 2000-01 मार्च–2003	पैरासूट नारियल तेल को सभी प्रकार के तेलों में माना गया	6107.52	15/10	305.38
	तदैव	2000-01 दिसम्बर– 2003	कास्मेटिक गुड्स को आयुर्वेदिक दवा माना गया	1908.45	15/8	133.59
12.	डिप्टी.कमि.(क.नि.)–4 नोयेडा	2000-01 अगस्त– 2003	फैक्स मशीन को इलेक्ट्रानिक्स गुड्स माना गया	1638.02	10/2	131.04
	तदैव	2000-01 फरवरी– 2003	ईमेल इक्विपमेन्ट को इलेक्ट्रानिक कम्पोमेण्ट माना गया	13.23	8/4	0.53
	तदैव	2000-01 सितम्बर– 2003	एफ.वी.टी.•(स्वेत श्याम तथा रंगीन टी.वी.) डिफलेक्शन योक लाउडस्कीपर को इलेक्ट्रानिक कम्पोनेट माना गया	126.55	8/4	5.06
	तदैव	2000-01 फरवरी– 2003	एक्सीलेटर को प्रिंटिगं इंक माना गया	557.06	10/8	11.14
			योग	**11983.42**		**736.84**

• एफ.वी.टी.....फ्लैट विजन ट्यूब

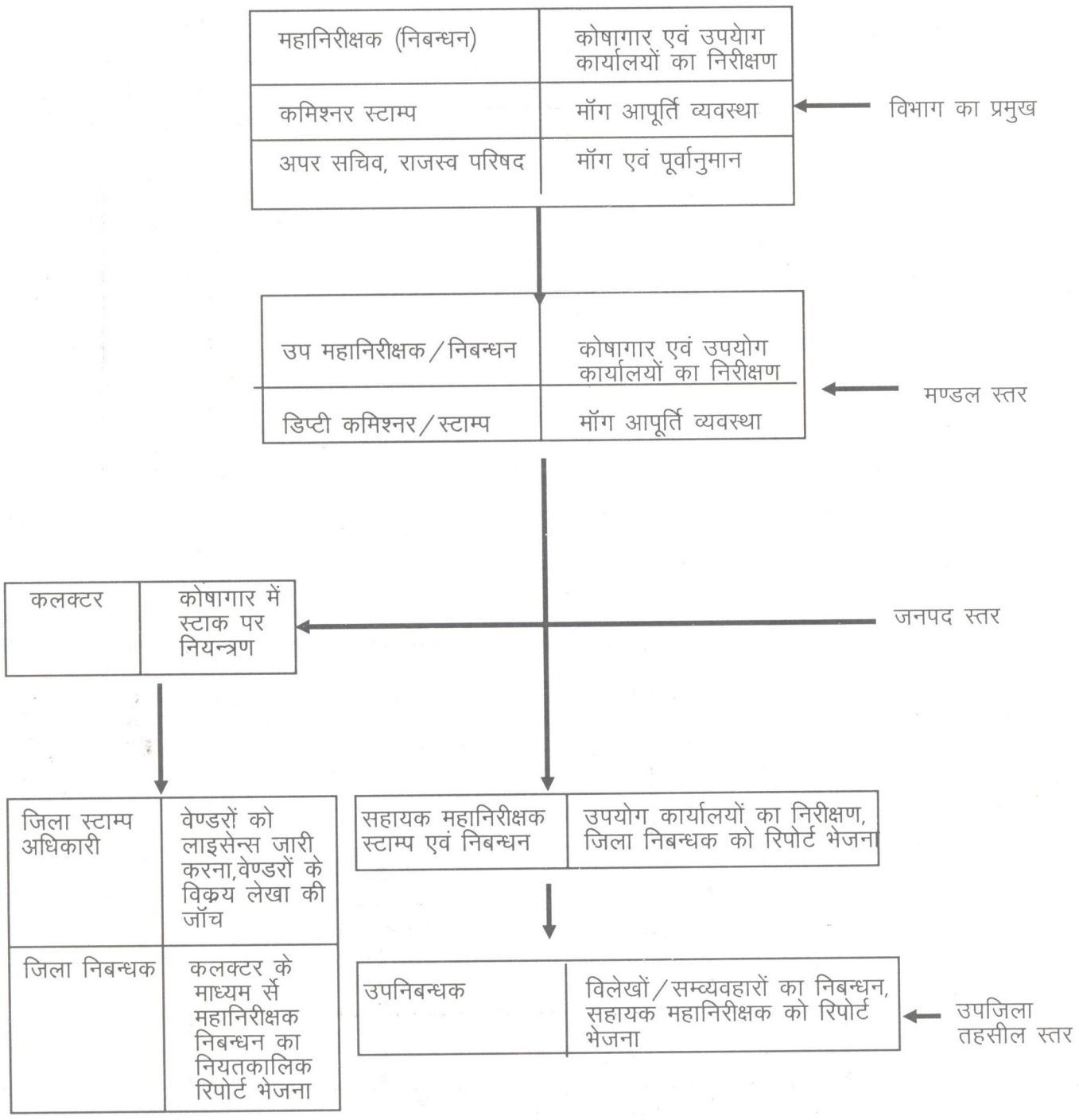
अनुलग्नक–IX

(प्रस्तर 5,2,1 के सन्दर्भ में)

स्टाम्प के प्रवाह का रेखा चित्र,



अनुलग्नक–X
(प्रस्तर 5.2.2 के सन्दर्भ में)
सांगठनिक ढॉचा
स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग



अनुलग्नक -XI

(प्रस्तर 5.2.9 के सन्दर्भ में)

(करोड़ रूपये में)

जनपद का नाम	वर्ष	कोषागारो द्वारा विक्रीत स्टाम्प पेपर	उपनिबन्धन कार्यालयों द्वारा निबन्धित विलेखो का मूल्य	अधिक्य
1	2	3	4	5
जी0बी0 नगर	1998-99	46.24	59.34	13.10
	1999-00	60.30	61.14	0.84
	2000-01	49.37	54.29	4.92
	2001-02	64.83	90.68	25.85
	2002-03	117.96	127.68	9.72
योग		**338.70**	**393.13**	**54.43**
2- फतेहपुर	1998-99	5.27	5.64	0.37
	1999-00	6.02	6.12	.10
	2000-01	6.17	6.42	0.25
	2001-02	7.00	7.61	0.61
	2002-03	11.03	12.71	1.68
योग		**35.49**	**38.50**	**3.01**
3. अम्बेदकर नगर	1998-99	3.36	3.90	0.54
	1999-00	3.56	4.48	0.92
	2000-01	3.80	4.48	0.68
	2001-02	3.93	4.67	0.74
	2002-03	4.67	6.80	2.13
योग		**19.32**	**24.33**	**5.01**
4. प्रतापगढ़	1995-96	4.75	5.86	1.11
	1996-97	1.65	6.30	4.65
	1997-98	3.27	6.65	3.38
	1998-99	4.83	7.53	2.70
	1999-00	8.32	8.45	0.13
	2002-03	13.63	13.77	0.14
योग		**27.49**	**41.59**	**14.10**
5. लखनऊ	1993-94	19.24	28.26	9.02
	1994-95	17.83	29.24	11.41
	1996-97	30.92	93.16	62.24
	1998-99	40.52	73.54	33.02
	2001-02	82.05	91.01	8.96
योग		**190.56**	**315.21**	**124.65**
6. गाजीपुर	1993-94	3.83	4.24	0.41
	1994-95	5.47	9.36	3.89
	1995-96	4.79	5.65	0.86
	1996-97	4.32	6.43	2.11
	1997-98	5.17	6.36	1.19
	1998-99	6.82	7.45	0.63
	1999-00	8.10	8.24	0.14
	2001-02	8.78	9.16	0.38
	2002-03	11.03	12.71	1.68
योग		**58.31**	**69.60**	**11.29**
7. बाराबंकी	1995-96	5.16	6.40	1.24
	1996-97	5.31	7.81	2.50
	1997-98	5.75	7.23	1.48
	1998-99	6.43	7.11	0.68
	1999-00	7.73	8.07	0.34
		30.38	**36.62**	**6.24**
8. शाहजहॉपुर	1993-94	4.89	7.23	2.34
	1994-95	3.95	8.71	4.76
	1995-96	3.29	9.92	6.63
	1996-97	4.18	8.60	4.42
	1999-00	11.50	12.72	1.22
	2000-01	10.50	13.39	2.89
	2001-02	13.64	14.62	0.98
योग		**51.95**	**75.19**	**23.24**

1	2	3	4	5
9. खीरी	1995-96	5.72	11.66	5.94
	1996-97	6.63	11.06	4.43
	1997-98	10.29	12.02	1.73
	1998-99	11.76	16.70	4.94
	2001-02	15.61	15.93	0.32
	2002-03	19.93	19.95	0.02
योग		**69.94**	**87.32**	**17.38**
10. हमीरपुर	1993-94	0.93	4.53	3.60
	1996-97	3.47	3.86	0.39
	1999-00	1.84	4.25	2.41
	2001-02	4.02	4.39	0.37
योग		**10.26**	**17.03**	**6.77**
11. मैनपुरी	1993-94	3.55	3.76	0.20
	1997-98	4.96	5.40	0.44
	1999-00	6.95	7.10	0.15
	2000-01	7.17	8.10	0.93
योग		**22.63**	**24.36**	**1.72**
12. सीतापुर	1993-94	6.00	6.19	0.19
	1994-95	7.05	7.13	0.08
	1995-96	3.15	7.80	4.65
	1996-97	3.64	8.94	5.30
	1997-98	6.33	9.29	2.96
	1998-99	8.66	9.59	0.93
	1999-00	10.10	10.31	0.21
योग		**44.93**	**59.25**	**14.32**
13. मेरठ	1994-95	17.66	18.81	1.15
	2002-03	58.26	61.13	2.87
योग		**75.92**	**79.94**	**4.02**
14. अलीगढ़	1994-95	10.63	13.28	2.65
	1995-96	12.74	16.47	3.73
	2002-03	3.72	4.32	0.60
योग		**27.09**	**34.07**	**6.98**
15. बागपत	2002-03	7.67	8.38	0.71
16. आगरा	1998-99	28.51	28.90	0.39
17. वाराणसी	1998-99	18.50	18.65	0.15
18. बिजनौर	1994-95	4.92	9.37	4.45
	1996-97	4.00	11.44	7.44
	1997-98	6.94	11.26	4.32
	1998-99	11.76	11.98	0.22
Total		**27.62**	**44.05**	**16.43**
19 कनौज	1998-99	2.85	4.63	1.78
20. एस0 के0 नगर	1998-99	1.79	3.19	1.40
21. चित्रकुट	1999-00	0.32	1.95	1.63
22. आजमगढ़	1995-96	6.78	7.52	0.74
	1996-97	4.42	6.07	1.65
	2000-01	11.77	11.80	0.03
योग		**22.97**	**25.39**	**2.42**
23. सोनभद्र	2000-01	3.62	4.03	0.41
24. देवरिया	1993-94	8.84	9.37	0.53
	1995-96	5.04	5.84	0.80
	1996-97	5.27	6.96	1.69
	2000-01	7.60	9.08	1.48
योग		**26.75**	**31.25**	**4.50**
25. बरेली	1993-94	10.30	10.35	0.05
	1995-96	12.68	14.00	1.32
	1996-97	14.95	17.17	2.22
योग		**37.93**	**41.52**	**3.59**
26. फैजाबाद	1993-94	**5.94**	**6.12**	**0.18**
27. जालौन	1995-96	5.24	7.01	1.77
	1996-97	3.20	3.93	0.73
	1997-98	4.78	17.20	12.42
योग		**13.22**	**28.14**	**14.92**

1	2	3	4	5
28. मथुरा	1993-94	7.51	7.78	0.27
	1994-95	5.47	9.36	3.89
	1995-96	8.31	11.46	3.15
	1996-97	8.55	13.38	4.83
	1997-98	11.62	14.99	3.37
	1999-00	16.80	16.81	0.01
योग		**77.90**	**93.95**	**16.04**
29. रायबरेली	1994-95	3.00	3.67	0.67
	1996-97	2.75	3.14	0.39
	1997-98	2.27	4.13	1.86
योग		**8.02**	**10.94**	**2.92**
30. एटा	1994-95	7.80	7.85	0.05
	1995-96	5.68	8.59	2.91
	1996-97	7.31	10.69	3.38
	1997-98	9.35	10.23	0.88
योग		**30.14**	**37.36**	**7.22**
31. गोंडा	1993-94	**8.11**	**8.12**	**0.01**
32. बदायूँ	1993-94	7.02	7.51	0.49
	1998-99	12.63	12.66	0.03
योग		**19.65**	**20.17**	**0.52**
33. पीलीभीत	1994-95	4.29	6.63	2.34
	1995-96	3.26	6.69	3.43
	1996-97	7.19	7.24	0.05
योग		**14.74**	**20.56**	**5.82**
34. झाँसी	1995-96	**6.58**	**6.59**	**0.01**
35. सहारनपुर	1995-96	11.12	14.19	3.07
	1996-97	13.04	14.82	1.78
	1997-98	13.94	15.63	1.69
योग		**38.10**	**44.64**	**6.54**
36. इटावा	1995-96	5.24	7.01	1.77
	1996-97	7.95	7.98	0.03
योग		**13.19**	**14.99**	**1.80**
37. बाँदा	1995-96	3.75	5.38	1.63
38. फिरोजाबाद	1995-96	7.89	7.91	0.02
	1996-97	7.64	8.85	1.21
	1997-98	7.43	8.80	1.37
योग		**22.96**	**25.56**	**2.60**
39. मऊ	1995-96	3.67	4.06	0.39
	1996-97	2.97	4.47	1.50
योग		**6.64**	**8.53**	**1.89**
40. कानपुर नगर	1997-98	**25.54**	**25.56**	**0.02**
41. कानपुर देहात	1995-96	**3.05**	**3.10**	**0.05**
42. ललितपुर	1995-96	2.42	2.70	0.28
	1996-97	3.00	3.90	0.90
	1997-98	3.72	4.14	0.42
योग		**9.14**	**10.74**	**1.60**
43. बलिया	1996-97	5.70	5.98	0.28
	1997-98	6.27	6.31	0.04
योग		**11.97**	**12.29**	**0.32**
44. रामपुर	1996-97	**3.26**	**9.41**	**6.15**
45. बहराइच	1996-97	**7.52**	**8.47**	**0.95**
46. महोबा	1996-97	2.18	2.29	0.11
	1997-98	2.38	2.40	0.02
योग		**4.56**	**4.69**	**0.13**
कुल योग		***1492.13***	***1896.81***	***404.68***

अनुलग्नक -XII

सम्पत्ति के अवमूल्यॉकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

प्रस्तर 5.3 के सन्दभ में

इकाई	विलेख संख्या वर्ष	क्षेत्रफल स्थान	विलेख में घोषित प्रतिफल (रूपये में)	दर की सूची के अनुसार बजार मूल्य (रूपये में)	स्टाम्प शुल्क / निबन्धन फीस		योग कम आरोपण (लाख रूपये में)
					आरोपणीय (रूपये में)	आरोपित (रूपये में)	
1	2	3	4	5	6	7	8
उपनिबन्धक–I नोएडा	1963/2003	416 वर्ग मीटर सेक्टर 80, ब्लाक (ए) नोएडा	666000	18720000	1497600 5000	53000 5000	14.45
उपनिबन्धक–I नोएडा	2111/2112 2002	3000 वर्ग मीटर प्लाट नं.-6 ब्लाक (ए), फेज-II होजरी काम्पलेक्स, नोएडा	4600000	24000000	1920000 5000	441600 5000	14.78
उपनिबन्धक–I 1 नोएडा	427/428 2001	416 वर्ग मीटर प्लाट नं.. 52 ब्लाक (बी) फेज -I, सेक्टर -II, नोएडा	1400000	16640000	1332000 5000	112000 5000	12.19
उपनिबन्धक–I 1 नोएडा	1267 2002	416 वर्ग मीटर (आच्छादित 258-24 वर्ग मीटर) सेक्टर– 2 ब्लाक -ए - जी.बी.नगर	1800000	22594000	1807520 5000	183500 5000	16.24
उपनिबन्धक–I 1 नोएडा	720 2002	376.50 वर्ग मीटर (आच्छादित - 83.10 वर्ग मीटर) प्लाट नं.. 112	1100000	16182000	12,94,560 5000	202350 5000	10.92
उपनिबन्धक–I 1 नोएडा	1816 2003	336 वर्ग मीटर सेक्टर-27, प्लाट नं... 45 ब्लाक 'एच' नोएडा, जी.बी.नगर	3360000	20160000	1612800 5000	268800 5000	13.44
उपनिबन्धक–I 11 नोएडा	843 2002	455 वर्ग मीटर सेक्टर 16, प्लाट नं. 31 ब्लाक 'ए' नोएडा	3250000	22027000	1762160 5000	260000 5000	15.02
उपनिबन्धक–I 11 नोएडा	खण्ड 206, पृष्ठ 287/294 1999	836.12 वर्ग मी. गाम इलावश, दादरी	180000	26756000	2140480 5000	30160 3600	21.12

1	2	3	4	5	6	7	8
उपनिबन्धक–I 1 कानपुर नगर	1573 2002	0.83 हेक्टा. या 8300 वर्ग मीटर ग्राम वेरी अकबरपुर, कानपुर नगर	1540000	12450000	1245000 5000	154000 5000	10.91
उपनिबन्धक–I V कानपुर नगर	3297 2000	0.810 हेक्टा. या 8100 वर्ग मी. कल्याणपुर कला, कानपुर	1201000	11340000	1134000 5000	120010 5000	10.14
उपनिबन्धक–I V कानपुर	2886 2000	1.04 हेक्टा या 10240 वर्ग मी. ग्राम कल्याणपुर कला, कानपुर	1520000	14336000	1433600 5000	152000 5000	12.82
उपनिबन्धक–I मथुरा	8396 2002	1.26 हेक्टा या 12600 वर्ग मी. गोविन्दपुर मथुरा	1450000	12600000	1260000 5000	145000 5000	11.15
उपनिबन्धक–I मथुरा	3116 2002	1.173 हेक्टा या 11730 वर्ग मी. राजस्व ग्राम नरहोल, मथुरा	1160000	11730000	1173000 5000	116000 5000	10.57
उपनिबन्धक–I 1 अलीगढ़	365 2003	0.3372 हेक्टा या 3372 वर्ग मी. चुंगी के बाहर, सरसौल	1539400	11802000	1180200 5000	154000 5000	10.26
उपनिबन्धक–IV लखनऊ	2073 2002	0.953 हेक्टा या 9530 वर्ग मी. वरवान कला वाड– बालकगंज लखनउ	1508000	15248000	1524800 --	150800 --	13.74
उपनिबन्धक–I 11 सहारनपुर	2796 2002	3.267 हेक्टा. or 32670 वर्ग मीटर दारा मिलकाना बरूनस्वाद सहारनपुर	2287000	32670000	3267000 5000	228700 5000	30.38
उपनिबन्धक– सुल्तानपुर	5635 1999	0.5421हेक्टा. or 45299.60 वर्ग मीटर करौंदिया परगना मिरानपुर सुल्तानपुर	335000	10419000	1041900 5000	33500 5000	10.08
उपनिबन्धक–I मेरठ	92 2000/ 01	2.9845 हेक्टा. or 29845 वर्ग मीटर कसेरू बक्सर मेरठ (नगर निगम के अन्दर शहरी क्षेत्र)	3432500	59690000	5969000 5000	343300 5000	56.26
उपनिबन्धक–I मुजफ्फर नगर	1905 2002	1.485 हेक्टा. or 14850 वर्ग मीटर शेर नगर मुजफ्फरगनर	743000	13365000	1336500 5000	74500 5000	12.62
उपनिबन्धक– बदॉयूं	2063 2003	1.590 हेक्टा. or 15900 वर्ग मीटर उझानी बदायॅ	638000	15900000	1590000 5000	63900 5000	15.26

अनुलग्नक -XIII

लेख पत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

प्रस्तर–**5.6** के सन्दर्भ में

इकाई	विले,स संख्या वर्ष	क्षेत्रफल स्थान	विलेख में घोषित प्रतिफल	दर की सूची के अनुसार बाजार मूल्य	स्टाम्प शुल्क/निबन्धन फीस		योग कम आरोपित
					आरोपणीय	आरोपित	
उ.नि-III, अलीगढ़	958 2001	24157.056 वर्ग. मी. रहमत पुर गरमही कोल	30500	8455000	845500 5000	3050 220	847230
उ.नि-III, अलीगढ़	5392 2002	25300 वर्ग. मी धौरा पलान कोल	32000	8855000	885500 5000	3200 640	886660
उ.नि-II, गोरखपुर	3861 2002	0.831 हेक्टा 8310 वर्ग. मी महादेव झारखन्डी	16000	9972000	997200 5000	1600 290	1000310
उ.नि-III, गाजियाबाद	4023 1999	3594.61 वर्ग. मी गॉव जगोला	3000	5392000	539200 5000	300 1001	542899
उ.नि-V, गाजियाबाद	9 2000	12541.806 वर्ग.मी मेहरौली गाजियाबाद	30000	10347000	1034700 5000	3000 600	1036100
उ.नि-V, गाजियाबाद	4624 2002	1630.20 वर्ग. मी मो0 राजापुर दसना 7380 वर्ग. मी मो0 शहपुर बमहेता	66000	13181000	1318100 5000	6600 1320	1315180
उ.नि-V, गाजियाबाद	6033 2002	5658.40 वर्ग. मी मो0 मेहरौली	72000	8488000	848800 5000	7200 1440	845160
उ.नि-I, मथुर	3128 2002	7742.43 वर्ग. मी बकलपुर मथुरा	36000	6195000	619500 5000	3600 720	620180
उ.नि-I, मथुर	8566 2002	5880 वर्ग. मी मथुरा बंगर	1000	5880000	588000 5000	100 100	592800

अनुलग्नक -XIV

ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा रायल्टी का भुगतान न करने के कारण क्षति

प्रस्तर–**6.2.10** के सन्दर्भ में

(लाख रूपये में)

जनपद का नाम	वर्ष	व्यापार कर विभाग के अनुसार संख्या		लेखपाल के अनुसार संख्या		वास्तविकता के अनुसार संख्या		दोषियों की संख्या		रायल्टी की दर		रायल्टी की हानि
		शहर	देहात	शहर	देहात	शहर	देहात	शहर	देहात	शहर	देहात	
गोरखपुर	2000-2001	75	302	-		52	188	23	114	8400	6400	9.23
	2001-2002	75	302			52	188	23	114	18400	12400	18.37
	2002-2003	75	302			62	80	13	222	18400	12400	29.92
बरेली	2000-2001	268	40			251	35	17	05	20400	16400	4.29
	2001-2002	184	25			180	20	04	05	30400	24400	2.44
	2002-2003	188	22			159	20	29	02	30400	24400	9.31
मिर्जापुर	2000-2001	171	-	-		18	-	153	-	20400	-	18.97
	2001-2002	175	-	-		136	-	39		30400	-	7.18
	2002-2003	178		-		136		42		30400	-	7.73
लखनऊ	1999-2000	180	28	-		30	14	150	14	20400	16400	32.90
	2000-2001	187	30	-		85	15	102	11	20400	16400	22.61
	2001-2002	190	31	-		102	21	88	10	30400	24400	29.19
	2002-2003	190	31	-		80	14	110	17	30400	24400	37.59
कानपुर	2001-2002	171	34	-		135	26	36	08	30400	24400	12.89
	2002-2003	175	35	-		74	16	101	19	30400	24400	35.38
मुजफ्फर नगर	1999-2000	203	35	-		165	32	38	03	20400	16400	8.24
	2000-2001	239	28	-		201	27	38	01	20400	16400	7.92
	2001-2002	208	28	-		155	22	53	06	30400	24400	17.57
	2002-2003	217	19	-		152	15	65	14	30400	24400	23.18
बुलन्दशहर	2000-2001	45	30			85	66	40	36	20400	16400	13.54
	2001-2002	66	40			80	70	24	30	30400	24400	14.62
	2002-2003	68	50			70	50	02	-	30400	24400	0.61
सहारनपुर	2001-2002	145	50			81	30	60	20	30400	24400	23.12
	2002-2003	60	12			41	06	19	06	30400	24400	10.58
इलाहाबाद	2001-2002	392								30400	24400	70.80
	2002-2003	392								30400	24400	66.77
		4517	1474			2582	955	1935	519			
योग		**5991**				**3537**		**2454**				**534.95**

यु..आर = शहर आर.आर- = देहात

अनुलग्नक -XV

स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

प्रस्तर **6.2.11** के सन्दर्भ में

(लाख रूपये में)

क.सं.	जनपद का नाम	अवधि	जांच किये गये प्रकरणों की संख्या	स्टाम्प शुल्क आरोपित करने की दर	राशि जिस पर स्टाम्प शुल्क लगाया जाना था	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क की धनराशि	आरोपित स्टाक शुल्क की कुल धनरारशि	कम वसूला गया स्टाम्प शुल्क
1.	मिर्जापुर	1998-99 to 2002-03	23	2000 to 6000	92.63	17.78	4.84	12.94
2.	बांदा	1998-99 to 2002-03	23	2000 to 6000/	33.29	4.16	1.07	3.09
3.	इलाहाबाद	2002-2003	67	6000/	131.32	16.41	10.35	6.06
4.	झांसी	1998-1999 to 2002-2003	28	2000 to 6000/	68.08	8.51	2.52	5.99
	योग		**141**			**46.86**	**18.78**	**28.08**

स्टाम्प शुल्क की गणना, 21.4.97 तक प्रभावी, प्रति एक हजार, 125 रूपये और 22.4.1997 से प्रभावी, प्रति एक हजार 80 रूपये की दर के आधार पर किया गया है ।

अनुलग्नक -XVI

पत्थर के बोल्डरों के एकत्रीकरण पर रायल्टी की वसूली न करना

प्रस्तर– **6.2.16** के सन्दर्भ में

(मात्रा घन मीटर में) (लाख रूपये में)

प्रखण्ड का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	कुल मात्रा	रायल्टी की न वसूली गयी राशि
एन.एच.फैजाबाद	=	=	7011.15	4424.33	8065.09	19500.57	18.96
प्रा.ख.लो.नि.वि.फैजाबाद	=	=	-	2062.85	15117.99	17180.84	19.45
प्रा.ख.लो.नि.वि.फैजाबाद	=	=	-	-	20672.66	20672.66	23.77
सी.डी.–1लो.नि.वि.गोरखपुर	=	=	-	-	17003.00	17003.00	19.55
एन.एच.लो.नि.वि.गोरखपुर	754.88	1363.25	6111.14	1482.89	16929.32	26641.40	27.12
प्रा.ख.लो.नि.वि.बरेली	=	=	9728.66	12468.94	4005.89	26203.49	24.37
एन.एच.पी.डब्ल्यू.डी.लखनऊ	=	=	4110.09	-	4131.34	8241.43	7.34
सी.डी.–2लो.नि.वि.लखनऊ	=	=	-	12816.28	6278.94	19095.22	20.04
डी.आर.डी.ए.बांदा	=	=	1520.08	-	5400.00	6920.08	6.35
डी.आर.डी.ए.चित्रकूट	=	=	-	-	5879.31	5879.31	6.76
सी.डी.–1 मुजफ्फरनगर	=	=	12113.80	15220.86	4865.42	32200.08	29.90
आर.ई.एस.सहारनपुर	=	=	-	1954.29	2239.83	4194.12	45.30
आर.ई.एस.इटावा	=	=	-	4255.94	1567.27	5823.21	6.06
आर ई.एस.फतेहपुर	=	=	3927.68	2668.23	-	6595.91	5.61
डी.आर.डी.ए.इटावा	=	=	-	-	5602.60	5602.60	6.44
पी.आर.पी.डब्ल्यू.डी.इटावा	=	=	4992.57	7828.87	18073.60	30895.04	32.36
सी.डी.फतेहपुर	=	=	-	3713.21	-	3713.21	3.71
सी.डी.गाजियाबाद	=	5314.74	9962.13	-	5605.93	19872.70	17.90
पी.डी.बुलन्दशहर	=	-	10847.30	3872.48	5949.37	10899.15	18.85
सी.डी.–2 मुरादाबाद	=	-	-	-	24419.74	24419.74	28.08
पी.डी.मुरादाबाद	=	-	14039.00	4237.66	65424.51	83701.17	90.01
सी.डी.–1 मुरादाबाद	12769.64	-	-	-	26923.31	39692.95	40.54
योग					**128322.86**	**434947.88**	**498.47**

वर्ष 1998–99 से 2000–01 तक के लिये 75 रूपये प्रति घन मीटर, 2001–02 के लिये 100 रूपये प्रति घन मीटर और 2002–03 के लिये 115 रूपये प्रति घन मीटर की दर से रायल्टी सहित माल की कीमत के रूप में लिया गया है ।

अनुलग्नक -XVII
मिट्टी एकत्रीकरण पर रायल्टी की वसूली न करना

प्रस्तर– 6.2.16 के सन्दर्भ में

(मात्रा घन मीटर में) (लाख रूपये में)

प्रखण्ड का नाम	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	कुल मात्रा	रायल्टी की न वसूली गयी राशि
प्रान्तीयखण्ड फैजा.				5159.27	2382.55	7511.85	0.30
प्रान्तीयखण्ड गोरख.	::	::	-	-	101957.42	101957.42	4.08
सी.डी.–1 गोरख.	::	::	-	-	62443.00	62443.00	2.50
एन.एच.पी.गोरखपुर	=	::	-	24980.48	38556.77	63537.25	2.54
प्रान्तीय खण्ड बरेली	::	::	12510.58	32475.30	28108.52	73094.40	2.92
एन.एच.बरेली	::	::	128741.23	-	-	128741.23	5.15
सी.डी. –2 बरेली	::	::	-	-	161145.91	161145.91	6.45
केन्द्रीय खण्ड भद्रा	::	::	-	-	16076.90	16076.90	0.64
आर.ई.एस.सोनभद्र	21351.25	::	27634.87	41745.19	27491.31	118222.31	4.73
निर्माण खण्ड–2 लखनऊ	::	::	-	131919.75	46203.46	178123.21	7.12
सारदा नहर डिवी.–2 लखनऊ	::	::	9322.18	31705.13	18965.55	59992.90	2.40
डी.आर.डी.ए.हमीरपुर	::	::	--	-	-	974686.01	38.99
आर.ई.एस.हमीरपुर	84348.64	87139.91	129231.69	76630.09	-	377350.33	15.09
डी.आर.डी.ए.बांदा	3237.28	-	7239.84	28871.66	34422.20	13770.98	2.95
डी.आर.डी.ए.चित्रकूट	::	::	5310.50	7940.85	225150.52	238401.87	10.95
सी.डी..चित्रकूट	::	::	-	-	138702.11	138702.11	5.55
प्रा.खण्ड चित्रकूट	::	::	-	158500.61	79265.35	237765.96	9.51
डी.आर.डी.ए.महोबा	::	::	7994.65	46024.88	216324.88	270344.41	10.81
प्रा.ख.लो.नि.वि.झांसी	47087.85	28453.34	37899.31	-	-	113440.05	4.53
डी.आर.डी.ए.झांसी	-	-	-	72765.23	-	72765.23	2.91
आर.ई.एस.झांसी	56056.59	75868.77	11264.04	-	-	143189.40	5.73
आर.ई.एस.ललितपुर	24796.31	42345.33	95766.00	89983.47	6890.28	259781.39	10.39
आर.ईएस.सहारनपुर	-	-	-	96999.18	55362.28	152361.46	6.09
सी.डी.सहारनपुर	-	-	-	-	283100.80	283100.80	11.32
आर.ई.एस.फतेहपुर	-	2921.69	78393.42	36451.43	103750.24	221516.78	8.86
आर.ई.एस.इटावा	-	20663.14	-	45402.16	52175.95	118241.25	4.73
डी.आर.डी.ए.इटावा	-	-	-	-	158303.86	158303.86	6.33
पी.डी.इटावा	-	-	53942.61	43276.34	35958.19	133177.14	5.33
सी.डी.फतेहपुर	-	-	-	-	262652.06	262652.96	10.51
सी.डी.गाजियाबाद	-	22338.62	30509.92	-	-	52843.54	2.11
सी.डी.गाजीपुर	-	-	15659.31	23890.00	17467.12	57016.43	2.28
पी.डी.मुरादाबाद	-	-	5643.55	19937.55	75541..51	101123.04	4.04
सी.डी.–2 मुरादाबाद	-	-	-	-	170128.85	170128.85	6.81
योग						**56.16** लाख	**224.65**

शुद्धि-पत्र

क्र.सं.	प्रतिवेदन का सन्दर्भ			के स्थान पर	पढ़ें
	शीर्षक	पृष्ठ संख्या	विवरण		
1.	अध्याय 1 सामान्य	4	प्रस्तर 1.5 सारिणी/तीसरा कालम	व्यापारकर संख्या	व्यापार कर राजस्व
2.	अध्याय 2 व्यापार कर विभाग	15	प्रस्तर 2.2.14 दूसरा पैरा/दूसरी पंक्ति	नही है। यह कमजोर...	नही है, जो कमजोर...
3.	अध्याय 2 व्यापार कर विभाग	26	प्रस्तर 2.13 अंतिम चौथी पंक्ति	...रूपये 8.67 लाख...	...रूपये 0.67 लाख...
4.	अध्याय 6 अन्य विभागीय प्राप्तियाँ	55	प्रस्तर 6.2.18 पहला पैरा चौथी पंक्ति	...प्रेषित कोयले की ...	...प्रेषित कोयले की ...
5.	अनुलग्नक V	69	पांचवा कालम शीषर्क	छेय छूट की धनराशि	देय छूट की धनराशि

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सर्वाधिकार सुरक्षित
2005

मूल्य : रू. 65 डालर 5

आर्मी प्रिंटिंग प्रेस, लखनऊ से मुद्रित
33 नेहरू रोड, सदर कैन्ट, लखनऊ–226 002
फोन : 2481164, 2483354